खण्ड-235, अंक-9
सोमवार, 23 आश्विन, शक संवत् 1884
(15 अक्टूबर, 1962 ई0)

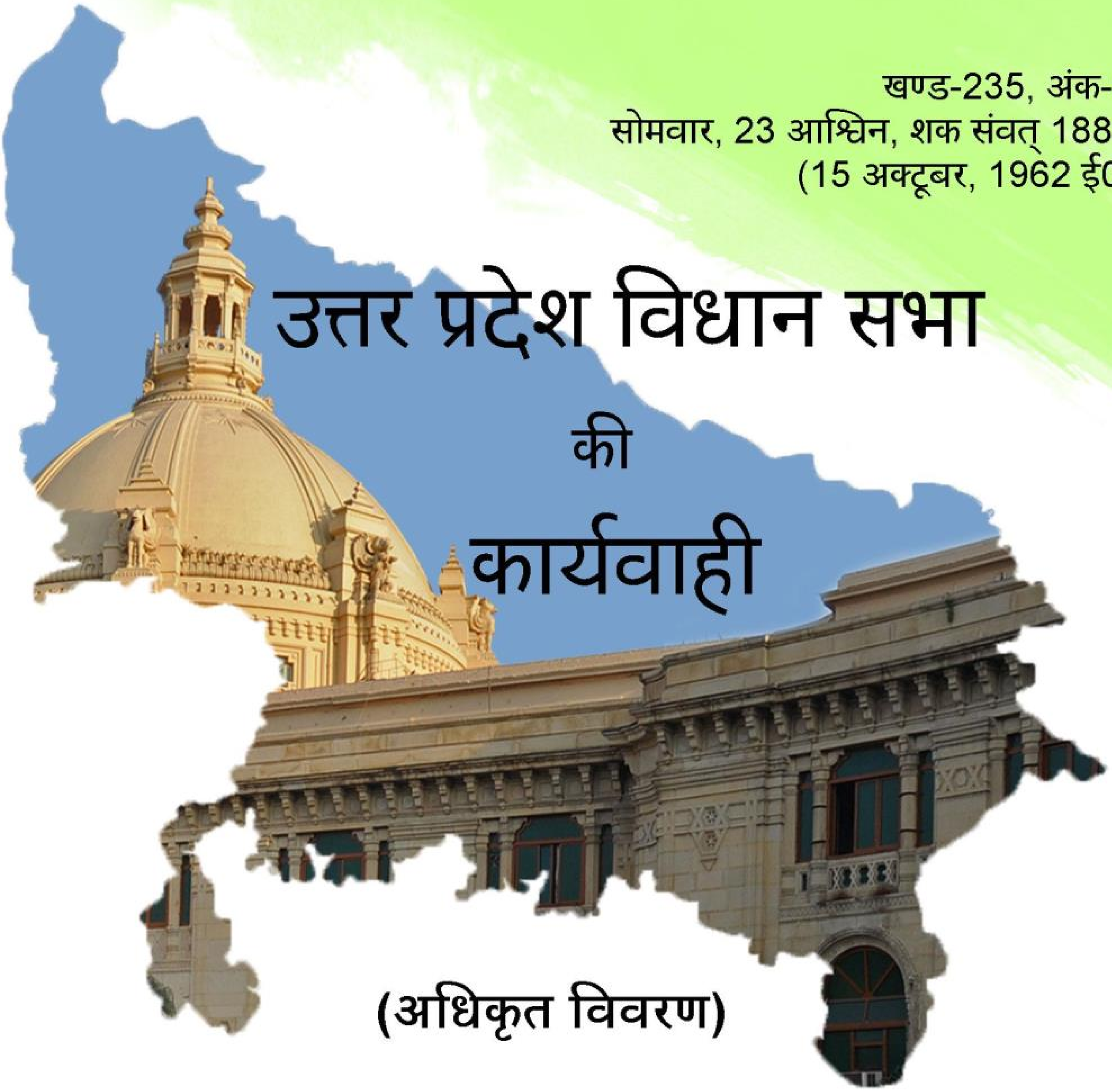

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 235 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	८५१–८५५
प्रश्नोत्तर	८५५–८७९
श्री विजयानन्द मिश्र के निधन पर शोकोद्गार	८७९–८८०
उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (समितियों के सभापति तथा उपसभापति के निर्वाचन की रीति) नियमावली, १९६० में प्रख्यापित संशोधन (सदन की मेज पर रखे गये)	८८०–८८१
उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (सदन की मेज पर रखा गया) ..	८८१
प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	८८१
तृतीय विधान सभा की याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	८८१
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (स्वीकृति नहीं दी गयी) ..	८८१
नेपाल पुलिस द्वारा प्रदेश के कुछ जिलों में आतंक के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	८८२
आजमगढ़ जिलान्तर्गत कुछ ग्रामों में पुलिस कर्मचारियों के कथित आतंक के संबंध में कार्य-स्थगन-प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	८८२–८८३
श्री सत्यनारायण को ४ अक्तूबर, १९६२ को विधान सभा की बैठक में आते समय पुलिस द्वारा रुकावट डालने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था	८८३
पुलिस अधिकारियों के कथित अभद्र व्यवहार के संबंध में श्री शिवेन्द्रप्रताप द्वारा ४ अक्तूबर, १९६२ को अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (विचार जारी)	८८४
नेता, उत्तर प्रदेश विधान मंडल कांग्रेस दल द्वारा दल के सदस्यों को उत्तर प्रदेश जोत कर विधेयक के समर्थन करने के बारे में संबोधित एक पत्र के संबंध में अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	८८४–८९२
विशेषाधिकार की अवहेलना के अन्य प्रश्नों के संबंध में सूचना ..	८९२
निलम्बित सदस्यों, सर्वश्री नाथूराम शिक्षक तथा लखीसिंह, को इंगित करने के पूर्व सदन छोड़ने की आज्ञा न दिये जाने के संबंध में उठायी गयी आपत्ति पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	८९२–८९३
सरकारी बसों में यात्री-कर अधिक किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	८९३–८९६

विषय	पृष्ठ-संख्या
मुहल्ला अर्मापुर कानपुर में चोरी, राहजनी और डकैती की घटनाओं के संबंध में नियम ५२ के अंतर्गत वक्तव्य	८९७–८९९
सदन के भावी कार्य-क्रम के संबंध में जानकारी	८९९
मद्य निषेध बोर्ड के लिये चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	८९९–९००
उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक १९६२, (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय—विचार जारी)	९००–९३६
नत्थियां	९३७–९४६

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

विधान सभा
सचिवालय, पटना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १५ अक्तूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५४

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन सिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट राम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
प्रेमसिंह, श्री

बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती

विधान सभा उत्तर प्रदेश

राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेंद्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर

सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुधाकाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविंद सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १५ अक्तूबर, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ब्लाक जीपों के प्रयोग के संबंध में आदेश

**१—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डेवलपमेंट कमिश्नर उत्तर प्रदेश ने २५ अगस्त, १९६२ को प्रदेश के जिला परिषद् के अध्यक्षों तथा जिलाधीशों के नाम कोई कान्फिडेन्शियल लेटर ऐसा भेजा है जिसमें कुछ एम० एल० ए० तथा एम० एल० सी० को गवर्नमेंट ब्लाक की जीपों के इस्तेमाल से वंचित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कारणों का विवरण सदन की मेज पर रक्खेगी ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—जी हां। कथित कान्फिडिन्शियल पत्र में किसी एम० एल० ए० तथा एम० एल० सी० को ब्लाक की जीपों के प्रयोग से वंचित नहीं किया गया है। हां, ब्लाक की जीपों की सुविधा ब्लाक के उच्च कर्मचारियों के साथ ब्लाक क्षेत्र में भ्रमण करने के लिये उन सदस्यों को अवश्य प्रदान करने का आदेश हुआ है जो विकास योजना की पूर्ति में अधिक कर देने का वातावरण उत्पन्न कर सकें। ये आदेश केवल ८ सप्ताह के लिये थे अब समाप्त हो चुके हैं।

**२—श्री कल्पनार्थसिंह तथा श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार को २ जुलाई, १९६२ का कोई पत्र केन्द्रीय सरकार के कमेटी डेवलपमेंट और कोआपरेशन मन्त्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी से जो मध्य प्रदेश सरकार के प्लानिंग तथा डेवलपमेंट सेक्रेटरी के नाम था उसकी भी प्रतिलिपि प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त पत्र की मंशा क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय—जी हां। एम० पी० और एम० एल० ए० को अपने क्षेत्रों में भ्रमण करके जनता से सम्पर्क रखने का अवसर प्राप्त करने के लिये ब्लाक की जीपों की सुविधा प्रदान करने का सुझाव दिया गया है कि वे सरकार से बगैर सरकारी दृष्टिकोणों की समीक्षा के एक दूसरे को बता कर गैर-सरकारी सहयोग दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकें।

**३—श्री कल्पनार्थसिंह तथा श्री कमलासिंह यादव—क्या उपरोक्त दोनों आदेशों में विरोधाभास है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बंशीधर पांडेय—कोई विरोधाभास नहीं है। यहां का आदेश केन्द्रीय सरकार के सुझाव के अन्तर्गत है? पहला आदेश केवल ८ सप्ताह के लिये था जो अब समाप्त हो चुका है।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त आदेश जो केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुआ वह किस तारीख को प्राप्त हुआ और किस तारीख को जिला परिषदों को यह आदेश दिया गया?

श्री बंशीधर पांडेय—पहला आदेश जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का था वह २ जुलाई, १९६० का था, मध्य प्रदेश के प्लानिंग के सेक्रेटरी ने गवर्नमेंट आफ इंडिया को रेफरेंस किया था उसके उत्तर में था। और हमारे यहां से जो आदेश जिलाधीशों और अध्यक्षों को गया वह २५ अगस्त, १९६२ का है।

श्री कल्पनाथसिंह—क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि दो साल बाद जो यह आदेश दिया गया उसका क्या कारण है और आठ सप्ताह के लिये जो आदेश दिया गया इस का क्या कारण है?

श्री बंशीधर पांडेय—दो साल के बाद का प्रश्न नहीं है। वह आर्डर तो स्टैन्ड करता है हमेशा के लिये। आठ सप्ताह में इंटेंसिव कार्य करने के लिये, योजना के रिसोर्सेज जुटाने के लिये ऐसी विशेष व्यवस्था की गयी थी।

श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बतायेगी कि एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० को जीप देने के लिये जो इसमें दिया गया है उसके मुताबिक जीपें नहीं दी जातीं, कांग्रेस पार्टी के लोगों को ही जीपों दी जाती हैं?

श्री बंशीधर पांडेय—श्रीमन्, ऐसी कोई सूचना नहीं है। जो भी एम० एल० ए० जायेंगे, स्पष्ट रूप से लिखा है, उन्हें आदेश हैं कि ब्लाक के अधिकारी उनके साथ जायेंगे। प्लानिंग के लिये जन-सहयोग प्राप्त करने के लिये या प्लानिंग के रिसर्सेज आदि जुटाने के कार्यों में जो भी जायेंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी और विरोधी पार्टी के सदस्यों का प्रश्न नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—उत्तर में उन्होंने कहा है कि गैर-सरकारी और सरकारी जो विचार हैं उनको जनता में समझाने के लिये इस तरह का आदेश दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के जो विरोधी विचार के हैं, उनके जरिये इस प्रकार का प्रचार करने का अवसर न देने का क्या कारण है?

श्री बंशीधर पांडेय—जो कर के पक्ष में या योजना के समर्थन में जायंगे उन्हीं को जीप दी जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैंने पूछा, श्रीमन्, कि उनको आदेश में शामिल नहीं करने का कारण क्या है जो योजना के पक्ष में रहते हुये, सरकार के जो विचार हैं टैक्सों के संबंध में, और विचारों में मतभेद है जिन लोगों का, ऐसे व्यक्तियों को, एम० एल० एज०, एम० एल० सीज० और एम० पीज० को, साथ में न रखने का क्या कारण है?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—इसलिये कि उनको अगर वह सुविधा दी जाय तो वह जो साधन इकट्ठा करने की बात है उसकी मुखालिफत करेंगे।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि २ जुलाई, सन् १९६० को केन्द्रीय सरकार का एक पत्र आया था कि गैर-सरकारी और सरकारी दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिये एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० ब्लाक की जीपों का इस्तेमाल करें तो क्या उस पत्र से ही सरकार की यह मंशा पूरी नहीं होती कि जो एम० एल० ए० टैक्स के पक्ष में प्रचार करना चाहें वह उस जी० ओ० के मुताबिक ही उसका प्रयोग कर सकते हैं? यदि ऐसी बात है तो २५ अगस्त, सन १९६२ का पत्र क्यों भेजा गया?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसलिये कि करों का प्रस्ताव इस समय उपस्थित है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार का जो २ जुलाई का परिपत्र था उस परिपत्र में इस तरफ इशारा किया गया था कि ब्लाकों के अन्दर कम्यूनिटी डेवलपमेंट के सिलसिले में उस क्षेत्र के एम० एल० ए०, एम० एल० सी० और एम०पीज० दौरा कर सकते हैं और जो २५ अगस्त का यू० पी० सरकार का पत्र है उसमें यह निश्चित कर दिया गया है कि केवल ८ सप्ताह के लिये ही जीपें इस्तेमाल की जा सकती हैं जो कि करों के संबंध में दौरे के लिये होगीं। तो इन दोनों आर्डर्स के इश्यू होने के बाद एक विषम स्थिति पैदा हो गई है और जिला अधिकारी एम० एल० एज०, एम० पीज० और एम० एल० सीज० को कम्यूनिटी डेवलपमेंट के सिलसिले में अगर वह दौरा करना चाहें तो जीपें नहीं दे सकते हैं, तो क्या इस संबंध में पूरा स्पष्टीकरण सरकार अपने अधिकारियों को भेजने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—यह तो स्पष्ट कर दिया गया है कि यह जो यहां से परिपत्र गया वह केवल ८ हफ्ते के लिये था।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पत्र में किसी तरह का भी इस बात का जिक्र नहीं है कि किसी एम० एल० ए० को या किसी एम०पी० को या किसी एम० एल० सी० को इन जीपों के इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, लेकिन प्रान्तीय सरकार ने अपने सर्कुलर में यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल उन्हीं लोगों को जो रिसोर्सेज इकट्ठा करने के पक्ष में जायेंगे, उनको यह सुविधा प्रदान की जायगी, तो केन्द्रीय सरकार के दृष्टिकोण और प्रान्तीय सरकार के दृष्टिकोण में जो विरोधाभास है, इसका क्या कारण है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—यहां के रवैये से हम लोग ज्यादा वाकिफ हैं ?

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, यह तो कोई उत्तर नहीं हुआ....

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये, मैं फिर आपको मौका दूंगा।

श्री मैनेजरसिंह—क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि यह जो ८ सप्ताह का जी० ओ० था यह तो समाप्त हो गया तो पुराना जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जी० ओ० है वह अब लागू है और क्या एम० एल० एज०, एम० एल० सीज०, और एम० पीज० आज भी उस पुराने जी० ओ० के मुताबिक विकास कार्यों के निरीक्षण के लिये जीपों का इस्तेमाल कर सकते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, कर सकते हैं, यदि यह विश्वास हो कि वह विकास में विश्वास रखते हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, आपने मुझे मौका देने के लिये कहा था.....

श्री अध्यक्ष—हां, लेकिन आप खड़े नहीं हुए थे जब मैनेजर सिंह जी खड़े हुये थे।

श्री कल्पनार्थसिंह—आपने कहा था....

श्री अध्यक्ष—मगर आप खड़े नहीं हुये।

श्री कल्पनार्थसिंह—एक सवाल....

श्री अध्यक्ष—नहीं, अब आप बैठ जायं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिया गया।]

हमीरपुर जिले के लिए टीन, तथा सीमेंट का कोटा

*२—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पहली जनवरी, सन् १९६२ से ३१ जुलाई, १९६२ तक जिला हमीरपुर को टीन तथा सीमेंट का कितना कोटा दिया।

रसद उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—सूचना निम्नलिखित है:

१—टीन—१ जनवरी सन् ६२ से जुलाई ३१ सन् ६२ तक २७,४४६ टन

२—सीमेंट—१ जनवरी सन् ६२ से ३० सितम्बर सन् ६२ तक २१८५ टन

(सीमेंट का एलाटमेंट तिमाही होता है। अतः जुलाई ६२ तक के कोटे की संख्या देना संभव नहीं है।)

*३—श्री मदनपाल सिंह—क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पूर्ति अधिकारी, हमीरपुर ने १ जनवरी, १९६२ से ३१ जुलाई, १९६२ तक किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी ताद्दाद के परमिट सीमेंट तथा टीन के दिये गये?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सूचना †संलग्न है।

*४—श्री मदनपालसिंह—क्या यह सत्य है कि जिला हमीरपुर की ग्रामीण तथा निम्न श्रेणी की जनता को टीन व सीमेंट के परमिट बहुत कम मिल पाते या दिये जाते हैं? क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने का आदेश जिला पूर्ति अधिकारी, हमीरपुर को देने की कृपा करेगी कि जिससे ग्रामीण तथा निम्न श्रेणी की जनता को टीन व सीमेंट के परमिट आसानी से मिल सकें?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह सत्य नहीं है। अतः कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मदनपालसिंह—क्या माननीय खाद्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लिस्ट दी गई है उसमें टीन को देखने से यह पता चलता है कि महोबा और चरखारी तहसील में केवल ५ परमिट दिये गये हैं जो करीब २० टीन के हैं, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे, जैसी प्रार्थना की है, कि उचित वितरण हर तहसील में जिला हमीरपुर में हो सके?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—टीन की इस वक्त बहुत कमी है और कमी के कारण रोटेशन से जहां जहां दिये जाने की आवश्यकता समझते हैं वहां दी जाती है।

श्री मैनेजर सिंह—माननीय खाद्यमन्त्री ने कहा कि टीन की कमी है इसलिये रोटेशन से जहां आवश्यकता होती है दिया जाता है। मैं खाद्यमन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बलिया जिले में, जो बाढ़ग्रस्त जिला है जहां पर कटान की विभीषिका है सैकड़ों गांव कटे हैं, टीन की बहुत आवश्यकता है। उस जिले में एक साल से कोई टीन नहीं गया तो आप रोटेशन किस आधार पर करते हैं?

---

†छापी नहीं गई।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इस वक्त फ्लड कोटा के लिये एक स्पेशल कोटा देने के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखा गया है और उन्होंने कुछ मंजूर किया हो तो उसमें से आपके जिले को भी टीन मिलेगा ।

भर्थना में पानी निकासी की अव्यवस्था

*५—**श्री बद्री प्रसाद पालीवाल** (जिला इटावा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि भर्थना (इटावा) कस्बे के बरसाती व बारहमासी गन्दे पानी निकलने के लिये कोई रेगुलर ड्रेन नहीं है जिसके अभाव से कस्बे के अन्दर गन्दा पानी भरा रहता है और जन-स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है ? यदि हां, तो सरकार गन्दे पानी के निकास के लिये टाउन एरिया कमेटी को कोई अनुदान तथा ऋण देकर व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—जी हां। जन-स्वास्थ्य की रक्षा हेतु प्रति वर्ष एक कच्ची नाली खोद कर गन्दा पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करा दी जाती है। इस प्रयोजन के लिये अनुदान या ऋण के लिये टाउन एरिया कमेटी ने कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को नहीं भेजा है। अतः अनुदान या ऋण देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—क्या अनुदान या ऋण देने के लिये टाउन एरिया से प्रार्थना-पत्र आने पर सरकार अनुकूल विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—जब दरख्वास्त आयेगी तभी सरकार कुछ कह सकती है। यह काल्पनिक प्रश्न है। इसलिये मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

*६—८—**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया), **श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद) तथा **श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये प्रश्न ४६—४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

रिक्शा

*९—**श्री शांतिचन्द्र शुल्क** (जिला गोंडा)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस समय स्थानीय संस्थाओं द्वारा पंजीकृत रिक्शाओं की संख्या क्या है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—संलग्न सूची में दी गई स्थानीय निकायों को छोड़ कर जिनसे अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है प्रदेश की शेष स्थानीय निकायों द्वारा पंजीकृत रिक्शाओं की संख्या ५७,२६१ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९३७ पर)

श्री शांतिचन्द्र शुल्क—क्या माननीय मंत्री जी रिक्शाओं की बढ़ती हुई संख्या को रोकने की दृष्टि से स्कूटर रिक्शा चलाने की योजना पर विचार करेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—इनकी संख्या कम हो यह विचार सरकार के सामने है। इसके लिये कोशिश की जा रही है कि जो कमी पड़े उसको स्कूटर रिक्शा से दूर किया जाय। इन सब बातों पर विचार हो रहा है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वाराणसी से रिक्शाओं की संख्या को कम करने के लिये बहुत से स्कूटर चलाने के प्रार्थना सरकार को भेजे गये पर कुछ नहीं हुआ तो कैसे यह जान लिया जाय कि यह संख्या कम की जायगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने कहा कि विचाराधीन है। अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्तशासन मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रिक्शाओं की संख्या कम करने के लिये जो योजना उनके विचाराधीन है उस योजना के जरिये से काम कम मिलने की सम्भावना तो नहीं है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जो लोग इससे बेकार होंगे उनको जरूर दूसरा काम ढूंढ़ना पड़ेगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—इस बात को देखते हुये कि बहुत से लोग गरीबी के कारण ही रिक्शा चलाने पर मजबूर होते हैं और गोरखपुर इस प्रदेश का एक बड़ा जिला है, वहां भी रिक्शा चालकों की संख्या काफी अधिक है, वहाँ जो फर्टलाइजर फैक्टरी खुल रही है उसमें रिक्शा चलाने वालों को सर्विस दी जाय इस पर सरकार विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस पर विचार करने में तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती ।

जेलों में हिन्दी टाइपराइटर

*१०—**श्री गयाप्रसाद** (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि कई वर्षों से जिला जेलों पर हिन्दी की टाइप मशीनें रक्खी हुई हैं और वे रक्खे ही रक्खे खराब हो चलीं और उनसे एक दिन भी काम न लिया गया ? यदि हाँ, तो उन स्थानों पर बिना हिन्दी के टाइपिस्टों को नियुक्त किये ही मशीनों के रखने का क्या कारण है ?

कारागार राज्य मंत्री (श्री गोविन्दसहाय)—जेलों में कोई हिन्दी टाइपराइटर खराब नहीं हो रहा है । जेलों के लिये कोई हिन्दी या अंग्रेजी टाइपिस्ट का पद स्वीकृत नहीं है । कुछ सहायक जेलर हिन्दी टाइप जानते हैं और वे हिन्दी टाइप करते हैं । अन्य जेलों में जहाँ हिन्दी टाइपराइटर हैं वहाँ के कर्मचारियों को हिन्दी टाइप सीखने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

फूलपुर की सापट कोल दुकान के विरुद्ध शिकायत

*११—**श्री मंगलदेव** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ के फूलपुर टाउन एरिया के अन्दर सापट कोल की एक दुकान के विरुद्ध वहाँ के हलवाइयों ने जिलाधिकारी को एक शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हाँ, जाँच के उपरान्त शिकायत निर्मूल साबित हुई ।

*१२—**श्री मंगलदेव** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि उक्त दुकान से कोयला लेने वाले ग्राहकों को कम से कम एक बोरा चीनी भी उक्त दुकान से खरीदना अनिवार्य था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं, इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं था । चीनी लेना हलवाइयों की इच्छा पर निर्भर था ।

*१३—**श्री मंगलदेव** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि उक्त दुकानदार चीनी के निश्चित भाव से दो रुपया अधिक ग्राहकों से लेता था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं ।

गाजियाबाद के लिये कोयले का कोटा

*१४—**श्री तेजसिंह** (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद में किस-किस व्यक्ति या फार्म को कितना-कितना कोयला का कोटा मिला हुआ है और वह किस उद्देश्य के लिये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९३८ पर)

श्री तेज सिंह—श्रीमन्, उत्तर में जो लिस्ट दी गयी है वह है तहसील गाजियाबाद के कोयले के कोटा होल्डरों की सूची और इसमें केवल गाजियाबाद शहर के चार होल्डरों के नाम दिये गये हैं, दूसरे लोगों के नाम नहीं दिये गये हैं, दूसरा मैंने यह सवाल पूछा था कि क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद में किस किस व्यक्ति या फर्म को कितना कितना कोयले का कोटा मिला हुआ है और वह किस उद्देश्य के लिये ? तो मेरा उद्देश्य यह था कि इंडस्ट्रीज के लिये कितना-कितना कोयला किसे-किसे मिला हुआ है । लेकिन इसमें तो डिपो वालों के नाम दे दिये गये हैं जिनका हर एक को पता है कि वह लोगों को इस्तेमाल के लिये दिया जाता है । तो इसे जरा स्पष्ट कर दिया जाय ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रश्न को जिस प्रकार समझा गया उसका उत्तर वैसा ही दिया गया है । वैसे मैं इत्तला के लिये बतला दूं कि स्टीम कोल ७ वैगन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये दिया गया है ।

श्री तेजसिंह—मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं कि इंडस्ट्रीज को कोयला अलग से मिलता है, इन डिपो वालों का कोयला तो परचून वाले या हलवाई ले जाते हैं । तो मैं इंडस्ट्रीज के कोयले की बात जानना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसको स्थगित कर दिया जाय । जो उनका मलतब है वह उन्होंने बतला दिया और उसे दृष्टि में रख कर अब इसका उत्तर दिया जाय ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यदि आप स्पष्ट करके दूसरा प्रश्न दे दें तो अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, (श्री तेजसिंह से) आप इसे अमेंड कर के दूसरा प्रश्न भेज दीजियेगा ।

रिहन्द बांध-भूमि संबंधित परिवारों का पुनर्वासन

*१५—**श्री रामप्यारे** (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि पुनर्वास विभाग (रिहन्द बांध) द्वारा वितरित भूमि पर बसे कई परिवारों, उदाहरणार्थ श्री धनुषधारी पनिका पुनर्वास क्षेत्र जरहा तथा श्री अनन्तराम पुनर्वास क्षेत्र चैनपुर को डी० एफ० ओ० महोदय यह कह कर कि यह जंगल विभाग की भूमि है जबरदस्ती हटाने को तुले हैं ? यदि हां, तो क्यों, जबकि उनको उसी भूमि से खूंथ निकालने का अनुदान भी प्राप्त हो गया है ?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ।

[१५ अक्तूबर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों की सेवाएं

*१—**श्री मंगलदेव** (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों की सेवाएं प्रदेशीय स्तर की होने जा रही हैं ? यदि हां, तो सरकार इसका निर्णय कब कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां । इसके लिये नगरपालिका अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक होगा जिसके संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

*२—श्री नरसिंह नारायण पांडेय—[१५ वें सोमवार के लिए स्थगित किया गया ।]

*३-५—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—[१५ वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

लखनऊ में चांद बाग स्कीम

*६—श्री राम सिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में अलीगंज मन्दिर के पास "चांदबाग" स्कीम में कई वर्ष पूर्व जो प्लाट मोहन एंड कम्पनी द्वारा बेचे गये थे तथा जिनके लिये उक्त कम्पनी ने डेवलपमेंट चार्जेज भी वसूल कर लिये थे आज तक उनका डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—चांद बाग जिस समय सन् १९५७ में बनाया गया था वह नगरपालिका की सीमा के बाहर था व उस समय उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ भी लागू नहीं था। मोहन एंड कपम्नी का ले आउट नगर नियोजन विभाग द्वारा इस शर्त पर मंजूर किया गया था कि चांदबाग का डेवलपमेंट मोहन एंड कम्पनी करेगी। चांदबाग में सड़कों का कुछ डेवलपमेंट मोहन एंड कम्पनी कर भी चुकी है तथा पानी के लिए कुएं का भी प्रबन्ध किया जा चुका है। उक्त कम्पनी शेष कार्य करने जा रही है।

*७—श्री राम सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि उपरोक्त स्कीम में जिन लोगों ने हजारों रुपये लगा कर प्लाट लिये उनके द्वारा सरकार, लखनऊ म्युनिसिपैलिटी तथा टाउन प्लानर के पास कई शिकायतें दी गयी, किन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, ऐसे शिकायती पत्र केवल एक ही व्यक्ति से लखनऊ नगर महापालिका तथा सरकार के पास प्राप्त हुए हैं। इस विषय में वर्तमान नगर महापालिका कोई कार्यवाही करने में असमर्थ है, परन्तु उसने उक्त शिकायती पत्रों के प्राप्त होने पर मोहन एंड कम्पनी को इस विषय में लिखा है।

*८—श्री रामसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त कम्पनी द्वारा निकाली गई चांदगंज स्कीम टाउन प्लानर ने किस आधार पर पास की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मोहन एन्ड कम्पनी द्वारा निकाली गई चांद बाग स्कीम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा निम्नलिखित आधार पर पास की गयी थी—

(१) प्रत्येक प्लाट के ऊपर मकान सड़क की तरफ १० फीट पीछे हटा कर बनवाये जायेंगे ।

(२) प्लाट का केवल २/३ भाग पर ही निर्माण-कार्य किया जायगा ।

(३) विकास के सब कार्य, जैसे सड़क, नाली पानी की व्यवस्था कालोनाइजर्स (मोहन एडं कम्पनी) द्वारा किये जायेंगे ।

*९—श्री कृष्णा (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—[माननीय सदस्य क सदन की सेवा से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिया गया ।]

*१०-११—श्री शांतिचन्द्र शुल्क—[१५ वें सोमवार के लिए स्थगित किये गये ।]

*१२-१४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—[१४ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ४९-५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

वाराणसी नगरमहापालिका का साइकिल टैक्स

*१५--श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को मालूम है कि वाराणसी नगर महापालिका देहात के गरीबों की साइकिलों पर गैर-कानूनी ढंग से लाइसेंस फीस लेती है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---यह ठीक नहीं है कि नगर महापालिका, वाराणसी देहात से आने वाली साइकिलों पर गैर-कानूनी ढंग से लैसन्स फीस लेती है ।

*१६---श्री ऋषिनारायण शास्त्री (अनुपस्थित)---क्या सरकार को यह मालूम है कि जिस नियम के अनुसार यह टैक्स लगा है वह सिर्फ महापालिका की हद के अन्दर निवास करने वालों पर ही लग सकता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १८२(३) के अनुसार उन साइकिलों पर कर लगाना वैध है जो नगर की सीमाओं के बाहर रखी जायं किन्तु नियमित रूप से उन सीमाओं के भीतर प्रयुक्त हों । उनके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वे नगर में प्रयोग के लिये रखी गयी हैं ।

*१७---श्री ऋषि नारायण शास्त्री (अनुपस्थित)---क्या सरकार महापालिका, वाराणसी से गांव के रहने वालों पर लगे टैक्स की वसूली बन्द कर उसे वापस कराने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्र नाराण शर्मा---उपर्युक्त स्थिति में यह प्रश्न नहीं उठता ।

*१८---श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)---[हटा दिया गया ।]

*१९---[१५ वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*२०-२१---श्री लखपतराम शर्मा (जिला झाँसी)---[२२ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

जालौन जिले में टिन व सीमेंट का वितरण

*२२---श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ अप्रैल, १९६२ से ३१ अगस्त, १९६२ तक जिला सप्लाई आफिसर, जिला जालौन ने कितना सीमेंट देहात वालों को दिया और कितना उरई, कोंच, जालौन और कालपी के निवासियों को दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---सूचना निम्नलिखित है---

	बोरी
ग्रामीण जनता	१५,१९०
उरई	९,०४४
कालपी	१,७७३
जालौन	७७६
कोंच	३,६९३

*२३---श्री विजयसिंह---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जनवरी, १९६१ से ३१ अगस्त, १९६२ तक नालीदार टिनशीट कितनी जिले को सप्लाई की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---२७ टन, १३० किलोग्राम ।

*२४—श्री विजयसिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि ३१ अगस्त, १९६२ के बाद जालौन जिले में टीन कितनी स्टाक में है और जिन गांवों में आग लगी थी उन गांवों को दिये जाने के लिये सरकार D. S. O. jalaun को कोई आदेश देगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—३१ अगस्त, १९६२ के बाद जालौन जिले में टीन का कोई स्टाक नहीं है। जिन गांवों में आग लगी थी उनको ३१ अगस्त, १९६२ के पूर्व एक टन २०५ किलोग्राम टीनशीट दी जा चुकी है।

श्री विजयसिंह—जालौन जिले में और गांवों में जहां आग लगी वहां पूरी टीन सप्लाई नहीं हो सकी, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि उनको टीन और प्रोवाइड करे ताकि वहां के लोगों को टीन मिल सके ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—स्टाक को देखते हुए इस बात का प्रयत्न किया जायगा।

श्री विजयसिंह—मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया कि देहात को कितना और शहर को कितना सीमेंट मिला। क्या सरकार कुछ व्यवस्था करेगी कि जिले की सप्लाई में से देहात वालों के लिये भी कुछ रेश्यो के हिसाब से फिक्स कर दे और वह ग्राम सभा या ब्लाक के माध्यम से उन्हें मिल सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ऐसा कोई निश्चय किसी के लिये भी नहीं है कि किस को कितना दिया जायगा मगर आम तौर से प्लानिंग डेवलपमेंट आफीसर द्वारा देहाती क्षेत्र को ही दिया जाता है तथा तहसीलदार के द्वारा भी दिया जाता है। इसके अलावा बाकी जो कोटा बचता है वह भी डी० एस० ओ० द्वारा देहात को दिया जाता है।

श्री विजयसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि तहसीलदार को सिर्फ एक बोरी सीमेंट देने की आज्ञा होती है और देहात वालों का एक बोरी देने से कोई लाभ नहीं होता है तो क्या सरकार, जिस प्रकार से परमिट का प्रबन्ध शहरों में है उसी प्रकार वहां भी प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य का कहना यह है कि शहरों में अधिक मात्रा में दिया जाता है और रूरल एरिया में कम पहुंचता है, इसलिए आप शहरों और गांवों में कोटा मुकर्रर कर दें अलग-अलग।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ब्लाक डेलवपमेंट कमेटी द्वारा जो सीमेंट वितरित होता है वह ज्यादातर गांवों में ही होता है और वह अलहदा होता है। लेकिन चूंकि शहरों में कंस्ट्रक्शन ज्यादा होता है और देहात में कम होता है इसलिये दोनों की मात्रा बराबर कर देना उचित न होगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि देहात के लोगों को उनकी आवश्यकताओं का चौथाई भी नहीं मिलता है तो क्या तहसीलदार को जो कोटा दिया जाता है उसको ब्लाक डेलवपमेंट कमेटीज को देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अभी तहसीलदार भी देहाती क्षेत्र को सीमेंट देता है लेकिन लोगों का यह कहना है कि उनको वहां से मिलने में कठिनाई होती है। इसलिये यह विचार किया जा रहा है कि तहसीलदार वाला कोटा भी ब्लाक डेवलपमेंट आफीसर ही वितरित करे।

श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गांवों की जो शिक्षा संस्थायें हैं, जब वे अपनी डिमांड बी० डी० ओ० के पास रखती हैं, तो उनसे यह कहा जाता है कि उनको वह शहरी कोटा से मिलेगा लेकिन जब डी० एस० ओ० के पास जाते हैं तो वह कहता है कि गांवों के कोटा से मिलेगा, तो उनको यह कोटा कहां से मिलेगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिनको अलग से कोटा दिया जाता है जैसे पी० डब्ल्यू० डी० और इर्रीगेशन। इसी प्रकार से अगर शिक्षा विभाग का अलग कोटा है तो उसमें से दे दिया जायगा और अगर अलग कोटा नहीं है तो जनरल कोटे से उसको दिया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी सीमेंट की बिक्री को फ्री करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह आप स्वयं बता रहे हैं कि सीमेंट की कमी है इसलिये अगर उसको फ्री कर दिया जायगा तो एक ही आदमी उसको ले जायगा और सब चौपट हो जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—बाजार में सीमेंट इसलिये गायब हो जाता है कि उसमें बहुत ब्लैक चल रहा है लेकिन अगर उसको आप फ्री कर देंगे तो लोगों की जरूरत पूरी हो जायगी। इस बात को देखते हुए क्या मंत्री जी सीमेंट को फ्री करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि सरकार के पास, ब्लाक डेवलपमेंट आफीसर के पास या जिला अधिकारियों के पास इस बात की कोई सूचना नहीं है कि किस इलाके में कितनी सीमेंट की जरूरत है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी आवश्यकताओं को जानकर सीमेंट का बंटवारा उसके अनुसार करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जरूरत तो हमारी बहुत ज्यादा है, लेकिन उपलब्धि उतनी नहीं है इसलिये जो कोटा दिया जाता है वह जरूरत से कैसे मेल खायगा। वैसे जो कोटा है वह हाई मेटिरियल रिसोर्सेज कमेटी के द्वारा वितरित होता है।

श्री गेंदासिंह—इसका कुछ अन्दाजा है कि हाई मेटिरियल रिसोर्सेज कमेटी ने उसका कितना एस्टीमेट किया है स्टेट लेविल पर और उसमें से कितना मिलने की आशा है और अब तक कितना मिला है जिसके अनुसार हम लोग भी लोगों को बतला सकें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अगर आप नोटिस दें तो मैं इसके ठीक ठीक आंकड़े दे दूं, क्योंकि गलत आंकड़े देने से आपका काम चलेगा नहीं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—कुछ ब्लाक्स ऐसे हैं जहां आबपाशी के लिये नहर व ट्यूबवेल्स का सिस्टम नहीं है, तो क्या उन ब्लाक्स के लिये माननीय मंत्री जी हर जिला कलेक्टर को आदेश जारी करेंगे कि उन ब्लाकों में सीमेंट देने के लिये वहां के किसानों को खास रियायत दी जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, ऐसा तो आदेश है उनको कि वे अलग से कर सकते हैं। आवश्यकता को देखते हुए उनको अलग से देना चाहिये।

मुरादाबाद जिला जेल के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*२५—**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जेल मुरादाबाद द्वारा अप्रैल, १९६२ में २५ मन सन किस भाव खरीदा गया और उस समय सन का बाजार भाव क्या था ?

कारागार मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—अप्रैल, सन् १९६२ में सन् बिल्कुल नहीं खरीदा गया।

*२६—श्री हिम्मतसिंह—क्या कारागार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, १९६२ में उनके पास मुरादाबाद जिला जेल के अधिकारियों के खिलाफ शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या शिकायतें की गई हैं और उनके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी हां । शिकायतें संलग्न† तालिका में दी हुई हैं । इन की जांच एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा कराई गई। जांच की रिपोर्ट अभी हाल में प्राप्त हुई है और सरकार के विचाराधीन है ।

श्री हिम्मत सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने के कृपा करेंगे कि जिस समय अप्रैल के महीने में यह सन खरीदा गया तो उस समय बाजार भाव क्या था और किस भाव पर यह सन खरीदा गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—श्रीमन्, अप्रैल १९६१ से मार्च, ६२ तक सन खरीदा गया। वह ४५ रुपये मन के हिसाब से खरीदा गया था। उस समय बाजार भाव ५० रु० मन था और ४५ रु० मन का रेट था। प्रेन परचेज कमेटी की जांच के बाद तथा सीनियर मारकेटिंग इन्सपेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर क्रय किया गया था। तीन टेन्डर भी उसके लिये आये थे जो कि क्रमशः ५५ रु०, ५२ रु० और ४५ रु० के थे। चूंकि ४५ रुपये का टेन्डर सबसे कम था इसलिये ४५ रुपये में सन खरीदा गया था ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ उसमें कौन-कौन सी शिकायतें सच पाई गयीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, उसमें २४ शिकायतें थीं, जिनकी कि जांच कराई गई थी और कोई साबित नहीं हो सकी हैं। किन्तु कुछ संदेह है और उसके कारण आवश्यकीय कार्यवाही की जा रही है। २९ तारीख को जो रिपोर्ट आई है, शीघ्र ही इस पर कार्यवाही की जाने वाली है ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि वह उच्च अधिकारी कौन थे, जिन्होंने जांच की थी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—श्रीमन्, उप-कारागार महानिरीक्षक ने जांच की थी ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि अभी जिस सन या जूट का उन्होंने उत्तर दिया है, उसकी दर पिछले अप्रैल में १८ रुपये के करीब थी ? क्या उनको इसकी जानकारी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—यह तो नहीं बताया जा सकता है। लेकिन जब वह खरीदा गया तो सीनियर मारकेटिंग इन्सपेक्टर से रेट मंगाकर के ही खरीदा गया।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि मेरी सूचना को पर्याप्त समझ करके उसकी जांच कराई जायगी, उस वक्त इस प्रदेश में जूट का क्या भाव था और इतनी ऊंची दर में सरकार को क्यों सलाह दी गई थी, जूट खरीदने के लिये। मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, वह रिपोर्ट आ गई है और उस पर कार्यवाही हो रही है और इस संबंध में भी उस पर अनुकूल कार्यवाही की जायगी।

---

†छापी नहीं गई ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह जो कम्पलेन्ट्स आई हैं, उनमें यह बताया गया है कि सन का भाव उस समय २० रुपये था ? क्या यह सही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—श्रीमन्, जो शिकायत आई है, वह काफी लम्बी है। जो कि सन को खरीदने से पहले टेन्डर लिये गये वे तीन प्रकार के टेन्डर आये थे। ग्रेन परचेज कमेटी जो जेलों के लिये सामान खरीदती है, उसकी स्वीकृति से वह खरीदा गया। तीनों टेन्डरों को सामने रखकर उसमें ४५ रुपये का टेन्डर सबसे कम था, इसीलिये इस भाव में खरीदा गया। सीनियर मारकेटिंग इन्सपेक्टर से उसके रेट भी जो ५० रु० मन के थे मंगा लिये गये थे। उसके बाद कोई प्रश्न नहीं रह जाता है।

श्री हरिनाथ तिवारी—जब यह मालूम नहीं हुआ कि किस किस्म का सन था तो वह रेट किस सन के थे ?

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो कमेटी बैठी थी और जिन्होंने स्वीकृति दी, उन्हें मालूम था।

श्री हरिनाथ तिवारी—बाजार से भी कोई भाव लिये गये या इंसपेक्टर के वाक्य को ही ठीक समझा गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—बाजार से भाव मांगे गये। यह भी स्पष्ट कर दूं कि जो सन जेल के लिये खरीदा जाता है वह अच्छे किस्म का होता है, जिससे बैठने के लिये फट्टे और अन्य परदे वगैरह बनते हैं। ३ टेंडर आये और ग्रेन पर्चेज कमेटी ने निर्णय किया जेल अधिकारियों का इसमें प्रश्न क्या उठता है ?

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—मंत्री जी के वक्तव्य से स्पष्ट है कि जिस अधिकारी से जांच करायी गयी वह निर्मूल पायी गयी, लेकिन अभी कुछ संदेह है और उसके निवारण के लिये जांच करायी जा रही है। तो यह कैसे मालूम हुआ जब एवीडेंस रिकार्ड कर लिया गया ? अब आगे सरकार क्या कार्यवाही करेगी इसको आप स्पष्ट करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—श्रीमन्, जो जांच की है वह उप-कारागार महानिरीक्षक के द्वारा हुई है और जो चार्ज लगाये गये थे उसके संबंध में सबूत नहीं मिले। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनपर विभागीय तरीके से कार्यवाही होनी चाहिये, उसके लिये विचार किया जा रहा है और वह की जायगी।

सहारनपुर में भंगियों की हड़ताल तथा करों में वृद्धि

*२७—**श्री ब्रह्मदत्त मायर** (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगरपालिका के वर्ग चार के भंगियों (मेहतरों) ने १६ अगस्त, १९६२ को हड़ताल कर दी थी ? यदि हां, तो इसकी क्या वजह थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। नगरपालिका ने सफाई कर्मचारियों की मांग कि उनके वेतन में २ रु० प्रति मास की वृद्धि शासनादेश सं० ६७१—बी/११—सी—पी—५९—५७, दिनांक १—३—६२ के अनुसार १ अप्रैल, १९६१ से कर दी जाय, रद्द कर दी गयी थी।

*२८—**श्री ब्रह्मदत्त मायर** (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतायेंगे कि सहारनपुर नगरपालिका ने नगर की सारी फैक्टरीज पर Production Tax लगा दिया है जिसके कारणवश यह कारखाने नगर छोड़ने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनुचित कर को हटाने का प्रयास करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—पहला भाग :—

जी नहीं। ऐसा कोई Production Tax नहीं लगाया है।

दूसरा भाग :—

प्रश्न नहीं उठता है।

*२९—श्री ब्रह्मदत्त मायर (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि नगरपालिका सहारनपुर ने चुंगी टैक्स की दरों में एकदम वृद्धि कर दी है जिसकी वजह से नगर के व्यापार को एक बड़ा धक्का लगा है और व्यापारी लोग दूसरे स्थानों के मुकाबले में काम न कर सकने की वजह से बेरोजगार होते जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। सरकार इस दिशा में उचित कार्यवाही कर रही है।

*३०-३१—श्री झारखंडेराय—[५ अक्तूबर, १९६२ को प्रश्न ९७-९८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

मैले की खाद से आय

*३२—श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में प्रदेश की समस्त महापालिकाओं तथा नरपालिकाओं को उस कूड़े व मैले की खाद से कितनी आय हुई जिसको कि महापालिका व नगरपालिका के मेहतर लोग नागरिकों के निजी घरों से ढो कर जमा करते हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अभी तक केवल ३ महापालिकाओं और ८६ नगर पालिकाओं से सूचना प्राप्त हुई है। प्राप्त सूचना से यह विदित होता है कि उनको खाद की बिक्री से वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में क्रमशः ८५,७८२.२१ न० पै० और ८,३९,४६८.१३ न० पै० की आय हुई।

नकली सेंधा नमक

*३३—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के बाजारों में नकली सेंधा नमक बिकता है? इसकी रोक-थाम का सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद नगर महापालिका को रोड फंड से प्राप्त धन

*३४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोटर ट्रक चलाने के परमिट जारी करने से प्राप्त आमदनी में से सरकार द्वारा कितना धन वित्तीय वर्ष १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में इलाहाबाद नगर महापालिका को दिया गया?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इस मद से स्थानीय निकायों को कोई धनराशि नहीं दी जाती।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि महापालिका में जो ट्रकें और बसें चलती हैं बीसों वर्षों से उनकी आमदनी का कुछ हिस्सा महापालिका को दिया जाता है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—रोड फंड से दिया गया है। वह हिसाब अलग है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—वित्तीय वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में कुल कितनी आमदनी हुई?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रदेश की या महापालिका की और किस फंड में ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—परमिट जारी करने से। सवाल में दिया है, पढ़ लें ।

श्रीमती तारा अग्रवाल—सन् १९६०-६१ में १,४२,९६७ रुपये और १९६१-६२ में १,५८,२७९ रुपये ।

श्री हरिनाथ तिवारी—महापालिका को कितना रुपया इन वर्षों में रोड फंड से दिया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—नगर महापालिका इलाहाबाद को १९६०-६१ में ५,९८,००० और ६१-६२ में १,९६,४०० रुपये दिये गये ।

हरदोई जिला जेल में कैदियों को रखने की क्षमता

*३५—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिला जेल में कितने कैदियों (हवालाती सजायाफ्ता) रखने की जगह है और २३ अगस्त, १९६२ तक कितने कैदी रखे गये थे उन कैदियों में कितने हवालाती और कितने सजायाफ्ता थे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जिला जेल, हरदोई में कुल ४६६ बन्दियों के लिये जगह है। दिनांक २३ अगस्त, १९६२ को उक्त जेल में कुल ८५० बन्दी बन्द थे जिन में २१८ सजा याफ्ता तथा ६३२ हवालाती बन्दी थे ।

*३६—श्री चन्द्रबलीसिंह—कारागार मंत्री बतायेंगे कि हरदोई जिला जेल में ५ सोशलिस्ट कैदी हैं जो सत्याग्रह द्वारा कानून शिकनी कर जेल गये हैं ? यदि हां, तो उन्हें बाहर सोने, अलग भोजन बनाने आदि की सुविधायें न देने के क्या कारण हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—उन बन्दियों को कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई।

श्री चन्द्रबलीसिंह—जब हरदोई जिला जेल में सिर्फ ४६६ कैदियों को रखने की क्षमता है और ८५० रख दिये गये तो उस संख्या को कम करने के लिये कौन-सा कदम उठाया गया और इस वक्त कितने कैदी हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इस वक्त बताना मुश्किल है कि कितने कैदी हैं, लेकिन २१८ जो थे वह कैदी थे और बकिया हवालाती थे जिन पर मुकदमा चल रहा था।

श्री चन्द्रबलीसिंह—मैं जानना चाहता हूं कि इस संख्या को कम करने के लिये कौन सा कदम उठाया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—४६६ से किसी समय अधिक भी हो जाते हैं । लेकिन हवालाती बन्दी छटते रहते हैं और जिनको ज्यादा सजा होती है उनका स्थानान्तरण सेंट्रल जेल को कर दिया जाता है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—इस बात को देखते हुये कि सोशलिस्ट पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी उस जेल में रखे गये हैं और उनके साथ भी वही व्यवहार किया जाता है जो आम बन्दियों के साथ किया जाता है, क्या सरकार कोई ऐसी नीति निर्धारित करेगी कि जो राजनैतिक कैदी हों, उनको बाहर सोने की तथा अन्य सुविधायें जो हैं वह उन्हें दी जायं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसका निर्णय तो जो दफा इस संबंध में है उसके अनुसार होता है ।

श्री मैनेजरसिंह—श्रीमन्, उत्तर से यह स्पष्ट है कि कैदियों के रहने के लिये जितने स्थान हैं उससे कहीं ज्यादा यानी एक ही जगह दो कैदी रखे गये हैं। यह कहा गया है कि समय समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो क्या सरकार इस अमानुषिक व्यवस्था के बन्द करने के लिये ऐसे आदेश देगी कि जहां हवालाती कैदी बढ़ जायं वहां सजायाफ्ता कैदियों को अन्य जेलों में भेज दिया जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह—यह नहीं हो सकता है, क्योंकि सजा याफ्ता कैदियों की हर जेल में जरूरत होती है, उनसे काम लिया जाता है, हवालाती कैदियों से काम नहीं लिया जाता।

श्री चन्द्रबलीसिंह—जो ६२२ हवालाती कैदी हैं इनमें करीब १०० से अधिक ऐसे हैं जिन पर करीब २ साल से मुकदमा चल रहा है और वह अभी खत्म नहीं हो रहे हैं और यही कारण है कि इन कैदियों की संख्या बढ़ रही है। क्या सरकार ऐसी कार्यवाही करेगी जिससे उनके मुकदमें जल्दी फैसल हों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—यह हो सकता है, जो आप कह रहे हैं मगर सरकार को कोई ऐसी सूचना नहीं है कि उनके मुकदमें कब से चल रहे हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—जो सोशलिस्ट सत्याग्रही हरदोई जिला जेल में बन्द हैं उनको बाहर सोने आदि की सुविधायें पिछली मिनिस्ट्री ने दे रखी थीं। तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वक्त वे सुविधायें क्यों नहीं दी जातीं ? वे किन-किन दफाओं में गिरफ्तार हैं यह भी कृपया बतला दें ?

श्री अध्यक्ष—किन-किन दफाओं का प्रश्न नहीं उठता। वह सुविधाएं क्यों नहीं दी जातीं इसका भी उत्तर दिया जा चुका है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—मैंने सवाल में कहा था कि जो विशेष सुविधायें दी जानी चाहिये वह नहीं दी गयीं, और उसका कारण भी नहीं बताया गया। सन् १९५७ और १९६० में भी सत्याग्रही बन्द हुये उनको बाहर सोने की सुविधा दी गई और अलग उनका खाना भी बनाया गया। पिछले यह आदेश दिये गये। वह सुविधा अब न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष—अलग भोजन आदि बनाने की सुविधायें न देने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसलिये कि जेल के कायदों में ऐसा नहीं है।

सहायता तथा पुनर्वास विभाग में छटनी

*३७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सहायता तथा पुनर्वास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि सहायता तथा पुनर्वास विभाग से कितने कर्मचारी तथा इन्स्पेक्टर नौकरी से हटाये गये हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—सहायता तथा पुनर्वास विभाग के लगभग २१० कर्मचारियों की अब तक छटनी हुई है, जिनमें ३२ इन्स्पेक्टर हैं।

*३८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार के कार्यालय पत्र संख्या एस—इ-६१XXX२९७—५३, दिनांक २५ जनवरी, १९६० का विभागीय अनुसचिव द्वारा जारी किया गया है ? यदि हां, तो उस पत्र में खास-खास बातें क्या हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी हां, इस पत्र में संबंधित जिलाधीशों तथा अन्य अधिकारियों को सूचित किया गया था कि भविष्य में कारागार महानिरीक्षक के अधीन डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर व वार्डरों के पदों के रिक्त होने की संभावना है जिनमें सहायता तथा पुनर्वासन विभाग के छटनी किये गये कर्मचारियों की नियुक्ति करने का विचार किया जायेगा, इसलिये वे योग्य कर्मचारियों का विवरण सरकार को भेजें।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि जो इंसपेक्टर और दूसरे कर्मचारी निकाले गये वे स्थायी थे अथवा अस्थायी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—सूचना चाहिये।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—जो सर्क्यूलर भेजा गया उसके अनुसार सरकार के पास कोई सूचना आई थी कि कितने कर्मचारियों को जेल में स्थान दिये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—पब्लिक सर्विस कमीशन से जो होता है उसमें सरकार असमर्थ है। लेकिन दूसरी जगहों में, वार्डर वगैरह में, लिये जा सकते हैं। कितने लिये गये हैं, इसकी सूचना तो नहीं है। लेकिन जो उसके लिये आये होंगे उनको छूट भी दी गई थी और उसके साथ खास रियायत भी की गई थी।

श्री हिम्मतसिंह—जो इन्स्पेक्टर अलग किये गये उन्हें उसी ग्रेड में रखा गया या भिन्न ग्रेड में ?

श्री हरगोविन्दसिंह—सूचना चाहिये।

श्री तेजसिंह—जिन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन से लिया जाना है, क्या माननीय मंत्रीजी यह सोचकर कि उनकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा इस नौकरी में लगा है, इसलिए जो ओवरऐज हो गये हैं उन्हें उम्र में कुछ छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—वह तो बतलाया कि ये-ये छूट दी गई हैं ?

श्री तेजसिंह—मंत्री जी ने कहा कि जिन्हें कमीशन के बगैर रखना था उन्हें छूट दी, दूसरों के लिये क्या किया गया ?

श्री अध्यक्ष—वह पबलिक सर्विस कमीशन करेगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार के अधिकार में नहीं है।

बहराइच नगरपालिका का चुनाव

*३९—श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच नगरपालिका का चुनाव इस वर्ष अक्तूबर मास में होगा अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं। नगरपालिका बहराइच के अवक्रमण का कार्यकाल १३ फरवरी, १९६३ तक है।

छिबरामऊ को नगरपालिका न बनाया जा सकना

*४०—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि छिबरामऊ टाउन एरिया, जिला फर्रुखाबाद को म्युनिसिपल बोर्ड में परिवर्तन करने के लिये सरकार की तरफ से सभी कार्यवाही हो चुकी थी और दिसम्बर सन् १९५७ के गजट में इसे म्युनिसिपल बोर्ड घोषित किया जा चुका था और सरकारी नियमों के मुताबिक भी वह टाउन एरिया म्युनिसिपिल बोर्ड बनने का हक रखती है फिर इसको अब तक टाउन एरिया ही बनाये रक्खा गया ? ऐसा क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—दिसम्बर सन् १९५७ में सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित करते हुये विज्ञप्ति जारी की गई थी, न कि इसे म्युनिसिपल बोर्ड घोषित कर दिया गया था। स्थानीय कुछ सम्मानित व्यक्तियों, टाउन एरिया के अध्यक्ष तथा विधान सभा के स्थानीय कतिपय सदस्यों के आपत्ति के फलस्वरूप परिवर्तन न किया जा सका।

*४१—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री पिछले सभी कागजों को निकलवा कर इस टाउन एरिया को म्युनिसिपल बोर्ड घोषित करने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

*४२—श्री ऊदल—[१६वें गुरुवार के लिये प्रश्न १३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

इटावा जिले में चुर्क सीमेंट की एजेन्सियां

*४३—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—विधान सभा के प्रथम सत्र के ९वें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के संदर्भ में क्या खाद्य मंत्री निम्नलिखित सूचनाएं देने की कृपा करेंगे :

(अ) सर्वश्री कृष्ण बिहारी, गोविन्द बिहारी, फर्म रजिस्टर्ड है ? यदि हां, तो इसकी रजिस्ट्री कब हुई और रजिस्ट्रेशन नम्बर क्या है ?

(ब) क्या सर्वश्री कृष्ण बिहारी, गोविन्द बिहारी जो चुर्क सीमेंट की एजेन्सी देने से पूर्व उनकी आर्थिक स्थिति, व्यापारिक अनुभव आदि की जांच कर ली है ? यदि हां, तो वह कैसी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—(अ) सर्वश्री कृष्ण बिहारी गोविन्द बिहारी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है।

(ब) जी हां, आर्थिक स्थिति संतोषजनक है परन्तु व्यापारिक अनुभव नहीं है।

*४४—श्री सहदेवसिंह (अनुपस्थित)—[१५वें सोमवार के लिए स्थगित किया गया।]

*४५-४६—श्री बलदेवसिंह तथा श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—[१५वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४७-४८—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—[१५वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट

*४९—श्री रामलखन वकील (अनुपस्थित) तथा श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या स्टेट ला कमीशन ने उत्तर प्रदेश किराया और बेदखली नियन्त्रण कानून (ऐक्ट ३ आफ १९४७) के सुधार के संबंध में कोई रिपोर्ट सरकार को दी है ? तो उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री गिरधारीलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त कमेटी कि कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जैसा कि उत्तर में जी नहीं कह दिया गया है और रहा यह कि लाइयर एसोसिएशन की एक सब-कमेटी ने कुछ तैयारी की है और उसने कमीशन से रिक्वेस्ट किया है कि हमारी बात भी सुन ली जाय। अगर उसे स्वीकार कर लिया गया तब तो गवर्नमेन्ट को देर में रिपोर्ट प्राप्त होगी वरना कमेटी ने हस्ताक्षर के लिये मेम्बरों के पास सरक्यलेट कर दिया है और वह अक्तूबर महीने तक आ जायगी।

नगरपालिका कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु

*५०—श्री गिरधारीलाल—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका के कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति की आयु ६० वर्ष से ५८ वर्ष कर दी गई है ? यदि हां, तो उक्त शासकीय आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी हां, । सेवा निवृत्ति की आयु संबंधी विनियम जो सरकारी विज्ञप्ति सं० १०३२५–एच/११–ए—५३१–५४, दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५५ तथा सं० ९९६–एफ/११–ए—८७७–५७, दिनांक २५ जून, १९५८ की एक-एक प्रति संलग्न हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९४९–९५० पर)

*५१—श्री गिरधारीलाल—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त पत्र में यह निर्देश है कि जो कर्मचारी ३१ दिसम्बर, १९५५ को ५० वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं उन्हें ६० वर्ष तक की उम्र तक नगरपालिका की सेवा में रखने का आदेश है ?

श्रीमती ताराअग्रवाल—जी हां ।

*५२—श्री गिरधारीलाल—क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि उक्त आदेश के कारण जिनकी उम्र ४९-१/२ वर्ष या उससे कम है ५० वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले कर्मचारी से पहले ही नौकरी से सेवा निवृत्त हो जा रहे हैं । यदि हां, तो ऐसा क्यों हो रहा है ? क्या इस संबंध में नगरपालिका कर्मचारियों की तरफ से कोई सुझाव आया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी हां, सेवा निवृत्ति संबंधी नियमों में ऐसा प्राविधान होने के कारण ही ऐसा हो रहा है । जी नहीं ।

श्री गिरधारीलाल—जो आदमी कम उम्र का है उसको जल्दी रिटायर कर दिया जाता है और ज्यादा उम्र वाले को ज्यादा समय दिया जाता है, तो क्या माननीय मंत्री जी इसमें कुछ संशोधन करने का प्रयास करेंगे ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जब कि उम्र बदला जाता है तो अक्सर कुछ असुविधा होती है कितना ही हम करें, कुछ न कुछ तकलीफ जरूर रह जायगी । अब कोई विचार नहीं है उसे बदलने का ।

*५३—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—[१५ वें सोमवार के लिए स्थगित किया गया ।]

*५४–५५—श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—[हटा दिये गये ।]

*५६–५७—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—[१५वे सोमवार के लिए स्थगित किये गये ।]

एरच टाउन एरिया के चेयरमैन के विरुद्ध शिकायत

*५८—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि झांसी जिले में एरच टाउन एरिया के चेयरमैन के विरुद्ध कई प्रार्थना-पत्र जनता की ओर से जिले के संबंधित अधिकारियों के पास भेजे गये हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां । जांच के तथ्यों के आधार पर चेयरमैन को दो अभियोग-पत्र दिये जा चुके हैं । एक अभियोग-पत्र के विषय में सबूत तथा सफाई की सुनवाई होना बाकी है ।

*५९–६१—श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—[१५वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६२–६४—श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊदल—[१५ वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६५-६६—श्री विष्णुप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—[१५वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६७—श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—[१५वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६८—श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)—[१५वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६९-७१—श्री कल्पनाथसिंह—[हटा दिये गये।]

*७२—श्री हिम्मतसिंह—[१५वें बुधवार के लिये प्रश्न २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७३—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—[१५वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर नगर महापालिका में द्विसदस्यीय सीटें

*७४—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—क्या सरकार नगर महापालिका कानपुर के अन्तर्गत द्विसदस्यीय सीट को एक सदस्यीय सीट बनाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

१-२—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—[१५वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

बहजोई तथा पवासा ब्लाकों को सीमेंट

३—श्री बिशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बतान की कृपा करेगी कि ब्लाक बहजोई तथा ब्लाक पंवासा (तहसील सम्भल, जिला मुरादाबाद) को मार्च सन्, १९६२ से अब तक कितना सीमेंट दिया गया है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सम्बन्धित ब्लाकों को मार्च सन्, १९६२ से अब तक लगभग ४,७०८ बोरी सीमेंट दिया गया।

४—श्री बिशनलाल यादव—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त ब्लाकों में सीमेंट के अभाव के कारण नियोजन कार्य बिल्कुल बन्द पड़ा है? क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र इस असुविधा को दूर करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

असिस्टेन्ट सेल्स आफिसर, इवैक्यू प्रापर्टी, इलाहाबाद के विरुद्ध कार्यवाही

५—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—क्या कारागार मन्त्री दिनांक २० अगस्त, १९६२ के प्रश्न सं० ९० के उत्तर के क्रम में यह भी बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व असिस्टेंट सेल्स आफीसर इवैक्यू प्रापर्टी श्री श्यामाधीन जी की सन् १९५६ से १९५८ तक जब वह आगरे में थे कितनी शिकायतें व गलतियां गलत टी० ए० बिल का रुपया सरकार से लेने की हैं और इलाहाबाद रहने के कार्यकाल की कितनी हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—८ शिकायतें व गलतियां आगरे की हैं जिनमें ५ सन्देहजनक यात्रा बिल भुगतान के सम्बन्ध में हैं और ७ शिकायतें व गलतियां इलाहाबाद की हैं, जिनमें ४ सन्देहजनक यात्रा भत्ता बिल के भुगतान के सम्बन्ध में हैं।

६—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त भूतपूर्व असिस्टेंट सेल्स आफीसर पर चार्जशीट कौन-सी तारीख को लगाई गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—२० अप्रैल, १९६१।

७-९—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—[१५वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

१०—श्री गयाप्रसाद (अनुपस्थित)—[हटा दिया गया।]

भरसंडा ग्राम में पशुचर भूमि न होना

११—श्री विजयसिंह—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि ग्राम भरसन्डा, तहसील कोंच, जिला जालौन को जानवर चराने के लिये कोई सुविधा नहीं है और अक्सर उनके जानवर जंगलात के पास से भी गुजरने पर कांजी हाउस में बन्द कर दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अलगूराय शास्त्री—ग्राम भरसन्डा, तहसील कोंच, जिला जालौन को वन बन्दोबस्त अधिकारी जानवर चराने के लिये कोई हुकूक नहीं मिलते हैं अतः इस क्षेत्र में कोई भी निःशुल्क या रियायती चराई नहीं दी जाती है फिर भी चराई की पूरी फीस देने पर इस वन में उस सीमा तक चराई की आज्ञा दी जाती है जहां तक कि वर्किंग प्लान के निर्देशों के अनुसार दी जा सकती है। इस वन में अभी तक कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिसमें जानवर इस वन के नजदीक गुजरने पर मवेशीखाने (कांजी हाउस) में बन्द कर दिये गये हों, लेकिन जहां कहीं भी बिना किसी आदेश के इस वन में पशु चराये जाते हैं वहां उन पशुओं को कांजी-हाउस में बन्द कर दिया जाता है।

सिंगरौली ग्राम की सुविधाएं

१२—श्री रामप्यारे (अनुपस्थित)—क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी डिवीजन के अन्तर्गत सिंगरौली रेंज से जो सुविधायें जमींदारी के समय वहां की जनता को प्राप्त थीं वे उनको दे रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी हां।

१३—श्री रामप्यारे (अनुपस्थित)—क्या वन मन्त्री सिंगरौली रेंज द्वारा दी जा रही सुविधाओं का विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री—सिंगरौली रेंज के ग्रामीणों को निजी उपयोग के लिये निम्नलिखित सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं—

(१) चराई
(२) कांटे एवं सूखा गिरा ईंधन
(३) खाने वाले फल जैसे महुआ, पियार आदि।

ग्रामीणों को निम्नलिखित वन उपज रियायती दर पर [illegible]

(१) इमारती लकड़ियां वर्तमान शेड्यूल रेट पर।

(२) डोम और थरकारों को विशेष तौर पर उनकी सहायता करने एवं आजीविका कमाने के लिये पांच रुपया प्रति हजार की दर पर बांस।

आगरा में गन्दी बस्ती निपातन योजना

१४—श्री बालोजी अग्रवाल (जिल आगरा)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतमने की कृपा करेंगे कि आगरा महापालिका द्वारा "गन्दी बस्ती निपातन योजना" के अन्तर्गत खंदारी में कितने मकान बनाये गये हैं और उसपर कितना रुपया खर्च हुआ है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—८७ मकानों का निर्माण कराया गया है और इनके निर्माण पर अब तक कुल २,४१,२०६ रुपये ७० नये पैसे व्यय हुए हैं।

१५—श्री बालोजी अग्रवाल—यह मकान कब बनाये गये थे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह मकान १९५७–५८ में बनाये गये थे।

१६—श्री बालोजी अग्रवाल—अब तक इन मकानों में कितने परिवार बसाये जा चुके हैं और कितने मकान खाली हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अभी तक सभी मकान खाली पड़े हैं।

१७—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—[१५वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

१८–१९—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—[१५वें सोमवार के लिये स्थगित किए गये।]

२०—श्री पातीराम अहरवार (जिला फर्रुखाबाद)—[१५वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

२१–२२—श्री बलदेवसिंह तथा श्री सुखदेवप्रसाद—[१५वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

२३—श्री बलदेवसिंह तथा श्री सुखदेवप्रसाद—[१५वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

२४—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिया गया।]

२५–२७—श्री मतोलासिंह—[१५वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

२८–२९—श्री लखपतराम शर्मा—[१४वें सोमवार के लिये प्रश्न ११–१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

वन विभाग में स्थायी गजेटेड स्थान

३०—श्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग में कुल कितने स्थायी गजेटेड स्थान हैं?

श्री अलगूराय शास्त्री—९२।

३१—श्री रामबली मिश्र—इन स्थानों में सहायक वन सेवा से पदोन्नति हुये गजेटेड अधिकारियों का क्या प्रतिशत है तथा इस समय कुल कितने स्थायी स्थान रिक्त हैं?

श्री अलगूराय शास्त्री—सहायक वन सेवा से पदोन्नति हुये गजेटेड अधिकारी ८.७ प्रतिशत हैं। इस समय उत्तर प्रदेश वन सेवा में १७ पद रिक्त हैं।

३२-३४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[१५वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

प्रान्तीय रक्षक दल हेड क्वार्टर्स पर हवलदार का पद

३५—श्री रामकिशोर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय रक्षकदल के हेड क्वार्टर के हवलदार मेजर ने जनरल डायरी में श्री बजरंग सिंह बी० ओ० की उपस्थिति दिनांक १ से ५ सितम्बर तक अंकित की है और क्या यह सही है कि इन्हीं दिनों के मध्य उक्त बजरंगसिंह बी० ओ० बदमाशों के एक गिरोह के साथ जुआ खेलते हुये पकड़े भी गये? यदि हां, तो सम्बन्धित दोनों अधिकारियों के विरुद्ध कौन-कौन-सी कार्यवाही की गयी या सरकार करने जा रही है?

श्री हरगोविन्दसिंह—बजरंगसिंह नामक कोई व्यक्ति पी० आर० डी० के हेडक्वार्टर्स पर नहीं है। बल्कि बजरंग प्रसाद यादव की नियुक्ति क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता के पद पर १९ जुलाई, १९६२ से अस्थायी रूप से की गई थी और प्रशासकीय कारणों से ३ सितम्बर सन् १९६२ से उसकी सेवायें समाप्त कर दी गईं। जांच करने पर मालूम हुआ है कि इनकी उपस्थिति १ सितम्बर से ५ सितम्बर, १९६२ तक जनरल डायरी में नहीं दिखाई गई हैं। सरकार को इनके जुयें में पकड़े जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा किसी आगामी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

३६—श्री रामकिशोर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय रक्षकदल हेडक्वार्टर्स में हवलदार की पोस्ट (post) है और वहां हवलदार मेजर नियुक्त भी हैं परन्तु उक्त पोस्ट (post) एक बी० ओ० कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों और हवलदार-मेजर से कार्य न लेने का क्या कारण है?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां, प्रान्तीय रक्षक दल हेडक्वार्टर्स पर हवलदार मेजर का एक पद स्वीकृत है और उस पर एक व्यक्ति नियुक्त भी है। जब वह व्यक्ति छुट्टी पर जाते हैं तो उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की अस्थायी रूप से नियुक्ति कर दी जाती है। उस समय इस पद पर कोई ब्लाक आर्गनाइजर अस्थायी रूप से भी कार्य नहीं कर रहा है।

३७—श्री रामकिशोर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय रक्षक दल हेडक्वार्टर्स में डी० आई० एस० है तो क्या यह सही है कि उनके स्थान पर बी० ओ० एस० से कार्य लिया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसा करने का कारण क्या है तथा वह बी० ओ० एस० उक्त पदों पर कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं और उनके स्थानान्तरण न करने के कारण क्या हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—यह सही है कि प्रान्तीय रक्षक दल के प्रधान कार्यालय पर दो पद ड्रिल इंस्ट्रक्टर के स्वीकृत हैं। इन पदों पर वही व्यक्ति कार्य कर रहे हैं जिनकी नियुक्ति हुई है। ऐसी स्थिति में यह कहना ठीक नहीं मालूम होता कि उक्त इंस्ट्रक्टर्स के स्थान पर ब्लाक आर्गनाइजर्स से काम लिया जा रहा है।

राइस मिल, बहेरी के विरुद्ध शिकायत

३८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को या रीजनल फूड कन्ट्रोलर, लखनऊ को कोई पत्र २ जून, १९६२ को यूनियन राइस मिल बहेरी के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है और उस पत्र में यह भी शिकायत की गई है कि उपरोक्त मिल में चोरी से धान की कुटाई होती है? यदि हां, तो वह क्या है और सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—श्री दीपचन्द के नाम से एक पत्र इस सम्बन्ध में यूनियन राइस मिल बहेरी, जिला बरेली के बारे में प्रा० एफ० सी०, लखनऊ को प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र में अन्य बातों के साथ यह भी शिकायत की गई थी कि उक्त राइस मिल में हजारों मन धान हर हफ्ते बिना किसी लाइसेंस के कूटा जाता है और सब चावल मिल मालिक के सम्बन्धी तथा साथी, बिना सरकार को लेवी दिये, मार्केटिंग इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर, निकाल ले जाते हैं।

इस मामले में एक गजेटेड आफिसर द्वारा तुरन्त जांच करवाई गई। दीपचन्द नामक किसी व्यक्ति का पता नहीं लग पाया और जांच करने से शिकायतें निर्मूल सिद्ध हुईं।

३९–४०—**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—[१५ वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

गाजीपुर जिले में टाउन एरियाओं की आय

४१—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कौन-कौन टाउन एरिया हैं और उनकी तीन साल की वार्षिक आमदनी क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस जिले में पांच टाउन एरिया हैं जिनका नाम तथा गत तीन वर्ष की आमदनी निम्नलिखित है—

नाम टाउन एरिया	गत तीन वर्ष की आमदनी		
	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२
	रु०	रु०	रु०
१—मुहम्मदाबाद ..	२७,९४२.०७	३३,५३१.५७	२८,०९९.८७
२—जमानिया ..	२०,१५६.३३	२४,०९२.९२	२३,५४६.२२
३—सैदपुर ..	३३,७८०.७०	२७,५९६.२८	२४,४७०.३३
४—बहादुरगंज ..	८,३७१.२०	१२,०६६.७५	५,९७०.११
५—दिलदारनगर फतेहपुर बाजार	१२,९०५.००	१०,८२०.३०	१०,५०६.७४

४२—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर के टाउन एरिया किस ग्रेड में हैं और ग्रेड के मुताबिक उनके अधिकारियों को वेतन मिलता है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—टाउन एरियाएं उनके नाम के सामने दिखाई गई श्रेणियों में हैं और जिस श्रेणी में टाउन एरियाएं हैं उस श्रेणी के लिये निर्धारित ग्रेड के अनुसार ही कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है।

नाम टाउन एरिया	श्रेणी
१—मुहम्मदाबाद	छठवीं
२—जमानिया	छठवीं
३—सैदपुर	छठवीं
४—बहादुरगंज	सातवीं
५—दिलदारनगर फतेहपुर बाजार	सातवीं

४३–४४—श्री रामलखन वकील (अनुपस्थित) तथा श्री गिरधारी लाल—[१५ वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

एटा जिले में टाउन एरिया कर्मचारियों को महंगाई भत्ता न मिलना

४५—श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा की अधिकांश टाउन एरिया कमेटियों, उदाहरण के लिये अलीगंज एवं राजा का रामपुर के कर्मचारियों को १ अप्रैल, सन् १९६० से ३१ मार्च, सन् १९६१ तक का अतिरिक्त महंगाई भत्ता जो कि पांच रुपया पचास नये पैसे प्रतिमास की दर से राजकीय पत्र संख्या ३६१३ ए।आई एक्स-ए आई-(२६७)-६०, दिनांक २८ दिसम्बर, १९६० के अनुसार मिलेगा, नहीं दिया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां । अलीगंज व राजा का रामपुर टाउन एरिया कमेटियों के अतिरिक्त निधौली कलाँ, बिलराम तथा अमापुर टाउन एरिया कमेटियों के कर्मचारियों को भी २८ दिसम्बर, १९६० की राजाज्ञा में स्वीकृत अतिरिक्त महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है । जिलाधीश, एटा को आदेश दिये जा रहे हैं कि वह संबंधित कर्मचारियों को निर्धारित तिथि से महंगाई भत्ते के भुगतान कराने हेतु बिल बना कर उत्तर प्रदेश के महालेखापाल की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन को भेज दें ।

४६–४७—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—[१७वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

श्री विजयानन्द मिश्र के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, आज फिर मुझे एक दुःखद समाचार इस सदन को देना है और वह यह कि हमारे सदन के एक पुराने साथी श्री विजयानन्द मिश्र का जो सन् १९४६ से सन् १९५२ तक इस सदन के सदस्य रहे, स्वर्गवास हो गया । वह मिर्जापुर के निवासी थे और उन नवयुवकों में से और उन सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में से थे कि जिन्होंने आजादी के आन्दोलनों में सन् १९३० से सन् १९४२ तक बराबर, जब-जब आजादी की लड़ाई का आन्दोलन छिड़ा उनमें उन्होंने भाग लिया और बराबर कारावास की यातनाओं को सहा । वह उन सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में से थे कि जो असेम्बली के सदस्य होने के अलावा अन्य कार्यों में भी सदा सम्मिलित रहते थे जिनके द्वारा उनके जिले का लाभ होता था । एक या दो वर्ष तक उन्होंने जिला बोर्ड के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया था । जहां तक कांग्रेस का संबंध है, अपने जिले में वह उसके उन अग्रणी कार्यकर्ताओं में से रहे, जिन्होंने राजनीतिक विचारों को जिले की जनता के बीच में जगाया और साथ ही बहुत से साथियों को अपने कार्य के द्वारा सार्वजनिक जीवन में आमंत्रित किया । आजकल भी वह भारत सेवा समाज के अपने जिले के कनवीनर थे और उन कार्यों का सम्पादन करते थे जिनका संबंध देश के विकास कार्यों से है । हमारा दुर्भाग्य है कि इतनी कम उम्र में वह हमारे बीच से उठ गये । मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि हमारी सहानुभूति और समवेदना उनके घर वालों को इस सदन की ओर से भेज दें । मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शांति दें । जो कार्य उन्होंने सदा समाज और देश की सेवा के लिये किये वे सदा आगे आने वाले हमारे साथियों के बीच में प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे, जिससे कि आगे आने वाले नवयुवकगण देश और समाज के उत्थान के कार्यों के सम्पादन के लिये तत्पर हों । इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपने पुराने साथी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन है कि आप सदन की सहानुभूति और समवेदना उनके घर वालों तक पहुंचा दें ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ माननीय विजयानन्द जी के विषय में कहा है और जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को

[श्री यादवेन्द्रदत्त]
और जनसंघ दल को सम्बद्ध करता हूं और श्रीमन् से मेरा निवेदन है कि हमारी सब की समवेदना दुःखित और संतप्त परिवार तक भेजने का कष्ट करें ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, हमें माननीय विजयानन्द जी के निधन के समाचार से बहुत कष्ट हुआ है । इस संबंध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिन भावनाओं को व्यक्त किया है उनसे और माननीय नेता विरोधी दल के विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप हमारी सब की समवेदना और सहानुभूति के समाचार को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, जिन भावनाओं को नेता सदन तथा नेता विरोधीदल ने व्यक्त किया है मैं अपने को और सोशलिस्ट पार्टी को उससे सम्बद्ध करता हूं और अपने दल की समवेदना संतप्त परिवार के प्रति व्यक्त करता हूं और मुझे आशा है कि आप यह सहानुभूति और समवेदना दुःखित परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, श्री विजयानन्द मिश्र के निधन से वास्तव में बहुत दुःख है । वे हमारे साथी रह चुके हैं और स्वतंत्रता संग्राम में एक सेनानी रहे हैं । हमारे साथी तथा नेता सदन ने जो उनके बारे में कहा है हम लोग अपने को उससे सम्बद्ध करते हैं और आपसे प्रार्थना है कि हमारी समवेदना उनके परिवार तक पहुंचा दें ।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—श्री विजयानन्द मिश्र जी के संबंध में नेता सदन ने जो विचार प्रकट किये हैं उनसे स्पष्ट है कि वे एक राजनीतिक कार्यकर्त्ता ही नहीं, वरन् सामाजिक कर्मठ कार्यकर्त्ता भी थे । ऐसे लोगों की हमारे समाज को नितांत आवश्यकता है । इस असामयिक मृत्यु से हम सब दुःखी हैं और अपनी तथा अपने दल की ओर से समवेदना प्रकट करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि आप उसे उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—माननीय मिश्र जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय था । वे एक राजनीतिक कार्यकर्त्ता ही नहीं वरन् एक समाज सेवी भी थे । मधुरभाषी, स्पष्ट वक्ता तथा उनका यही मकसद था कि गरीब किसान और मजदूरों के लिये अपने जीवन को लगायें । आज उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर मुझको और हमारे दल को बड़ा दुःख है । आशा है आप हमारी समवेदना उनके दुःखी परिवार तक पहुंचा देंगे ।

श्री अध्यक्ष—माननीय नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने जो समवेदना प्रकट की उसको मैं संतप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा । इसमें कोई शंका नहीं है कि जब साथी चले जाते हैं तब ही उनका मूल्य हम अनुभव करते हैं और उनको स्मरण करते हैं । अगर यह भी करें कि उनके दिखाये हुए मार्ग पर हम चलें तो उनको याद करना भी सुफल होता । इन शब्दों के साथ मैं आप के विचारों से अपने आपको सम्बद्ध करता हुआ प्रार्थना करूंगा कि हम सब २ मिनट के लिये अपने स्थान पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिये खड़े हो जायं ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर २ मिनट के लिये खड़े हुए ।)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (समितियों के सभापति तथा उपसभापति के निर्वाचन की रीति) नियमावली, १९६० में प्रख्यापित संशोधन†

श्री अध्यक्ष—अब स्वायत्त शासन मंत्री जी नियमावली प्रस्तुत करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।
†छापे नहीं गये ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (समितियों के सभापति तथा उप सभापति के निर्वाचन की रीति) नियमावली, १९६०, में नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या २३४०-ए/११-ख-१०१५-कवाल-६०, दिनांक १ सितम्बर, १९६२, के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९, की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८४१-८४६ पर)

प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ४ सितम्बर, १९६२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २० सितम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २ अक्तूबर, १९६२ को प्राप्त हो गई और वह १९६२ का ११वां अधिनियम बन गया ।

तृतीय विधान सभा की याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन*

उपाध्यक्ष (श्री होतीलाल अग्रवाल)—मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से तृतीय विधान सभा की याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक विशेषाधिकार की सूचना माननीय चन्द्रबली ने दी है । उसमें हमारे नियमों के अनुसार कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता । अतः मैंने उसे अस्वीकृत किया है ।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—उसे कम से कम पढ़ तो दीजिये । लोग जान तो जायं ।

श्री अध्यक्ष—उसमें बात यह है कि नियमों के अनुसार ऐसा कोई कायदा नहीं है जिनके अनुसार यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता हो । आप कहते हैं कि जो बड़े नेता हैं उनको मैं इंगित नहीं करता लेकिन छोटों को इंगित करता हूं, यह अच्छी बात नहीं है ।

श्री चन्द्रबली सिंह—संविधान की १४वीं धारा के अनुसार कानून की निगाह में सब बराबर हैं ।

श्री अध्यक्ष—मैं आपसे बातचीत करके समझने का प्रयत्न करूंगा ।

---

*छापा नहीं गया ।

नेपाल पुलिस द्वारा प्रदेश के कुछ जिलों में आतंक के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—३ कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं । एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय नरसिंह नारायण का, दूसरा माननीय रामसुन्दर पांडेय और कल्पनाथ सिंह जी का तथा तीसरा माननीय उमाशंकर जी का है ।

माननीय नरसिंह नारायण जी का कार्य-स्थगन प्रस्ताव नेपाल सरहद की कुछ घटनाओं से संबंधित है । उनका यह कहना है कि सरहद के अन्दर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है । नेपाल सरहद के शरणार्थी भारतीय क्षेत्र के अन्दर आ गये हैं और नेपाल के कुछ उच्चाधिकारी गोरखपुर, बलरामपुर, बड़नी तथा नौतनवां आदि जगहों पर अपने दफ्तर खोले हुए हैं और कुछ आदमियों को पकड़ कर, घसीट कर ले जाया गया है और हत्या कर दी गयी है । एक कांस्टेबिल के संबंध में भी यह कहा गया है । इन चार महीनों के अन्दर ऐसी घटनायें हुई हैं जिनसे वहां एक आरक्षा की स्थिति पैदा हो गयी है । बस्ती के बड़नी नामक स्थान पर १० तारीख को कुछ घटनाएं हुई हैं और झंडानगर के संबंध में भी ऐसा ही हुआ है । मेरा ऐसा विचार है कि अगर इस प्रश्न को सदन में रखा जायगा तो कदाचित् ऐसी बातें आ जायंगी जो हमारे अधिकारों के वह अन्तर्गत न हों । फिर भी, इसके महत्व को समझते हुए मैं मुख्य मंत्री जी के पास इसे भेज दूंगा और जो उचित कार्यवाही समझेंगे करेंगे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—इस संबंध में इतना ही मुझे निवेदन करना है कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से बार्डर के ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है । सारी व्यवस्था का इन्तजाम वहां डी० आई० जी० पुलिस ही कर रहे हैं । इसलिये यह प्रांतीय सब्जेक्ट हो जाता है । शांति व व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी प्रांतीय सरकार पर ही है । मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे इस पर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि वहां स्थिति बड़ी गम्भीर हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष—मैं यह सोच रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज दूं । कदाचित् वह उचित समझेंगे तो कुछ वक्तव्य दे देंगे ताकि समस्या का समाधान हो जाय । लेकिन डिस्कशन में तो मालूम नहीं हम ऐसे केन्द्रीय विषयों पर पहुंच जायं जो हमारे लिये उचित नहीं होगा । इस विचार से मैंने कहा था ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मैं आपसे सहमत हूं । यह विषय ऐसा है जो बार्डर से संबंधित है । मैं यह समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी माननीय नरसिंहनारायण जी से बातचीत कर लें और जो आवश्यक कार्यवाही हो वह सारी बतला कर करवा दें । और यह विषय सदन में आये और इसमें बहुत-सी बातें उठें वह मैं समझता हूं उचित नहीं होगा । मैं आपकी राय से बिल्कुल सहमत हूं ।

आजमगढ़ जिलान्तर्गत कुछ ग्रामों में पुलिस कर्मचारियों के कथित आतंक के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—तो एक कार्य-स्थगन माननीय रामसुन्दर जी पांडेय का है । यह तीन घटनाओं से संबंधित है । इसी प्रकार का माननीय उमाशंकर जी का । कार्यस्थगन के रूप में तो मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है । इसमें मैंने जो आदेश दिया है वह यह है कि बहुत अधिक घटनाओं का समावेश है । नियम ५९ (२) का अतिक्रमण होता है । अतः अस्वीकार किया जाता है । लेकिन इसी संबंध में माननीय रामसुन्दर जी और माननीय कल्पनाथ जी की नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना आयी है । अतरौलिया की जो घटना हुई है उसको मैं महत्वपूर्ण समझता हूं । अतः मैंने उसे स्वीकार कर लिया है । लेकिन नियम

५२ के अन्तर्गत भी एक ही घटना आ सकती है । तो माननीय रामसुन्दर जी, उसको मैंने संशोधित रूप में यहां तक स्वीकार किया है, मैं पढ़ कर सुना दूं :

"महोदय

निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष द्वारा नियम ५२ के अनुसार माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु आज्ञा दिलाने की कृपा करें ।

आजमगढ़ जिलान्तर्गत अतरौलिया, महाराजगंज और पुलिस थानों के क्रमशः कस्बा अतरौलिया, कप्तानगंज तथा गूजरपार में पुलिस कर्मचारियों द्वारा अक्तूबर के प्रथम तथा द्वितीय सप्ताह में शराब के नशे में चूर हो कर अबलाओं के शील भंग किये गये और उनकी चीत्कार पर हस्तक्षेप करने वाले ६५ वर्षीय साधु की हत्या की गई जिसके फलस्वरूप अतरौलिया कस्बा तथा आसपास के नागरिकों द्वारा हजारों की तादाद में कई दिनों तक थाना घेरा रखा गया और कस्बे में पूर्ण हड़ताल रही । इसी प्रकार १३, १४ अक्तूबर की रात को कप्तानगंज कस्बे में पुलिस द्वारा घृणित कार्य करने की कार्यवाही की गई जिसके विरोध में १४ अक्तूबर को हड़ताल रही. . . . ।"

इतना मैंने इसमें से स्वीकार किया है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय पर विचार करने हेतु तथा माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुये आज्ञा चाहता हूं ।"

इसको मैंने स्वीकार कर लिया है । माननीय गृह मंत्री जी कबतक इसपर वक्तव्य देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मैं पांच रोज के बाद दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—तो १९ तारीख को इसके ऊपर वक्तव्य हो जायगा ।

श्री सत्यनारायण को ४ अक्तूबर, १९६२ को विधान सभा की बैठक में आते समय पुलिस द्वारा रुकावट डालने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—एक प्रिविलेज मोशन माननीय कमलासिंह जी, आपने दिया था । वह माननीय सत्यनारायण से सम्बन्धित है । माननीय नेता सदन का इतना वक्तव्य हो जाने के बाद मैं समझता हूं अब इसको समाप्त किया जाय ?

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—श्रीमन्, माननीय नेता सदन की बात नहीं है । एस० एस० पी० साहब खेद प्रकट कर दें क्योंकि जिनके कार्य के द्वारा यह चीज हुई मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उनको कोई क्षोभ हुआ या नहीं । तो मैं समझता हूं कि इसके चलाने या न चलाने के सम्बन्ध में जैसा श्रीमन्, मुनासिब समझें वैसा करें, लेकिन जब तक एस० एस० पी० अपने विचार स्पष्ट नहीं करते तब तक के लिये मैं चाहूंगा कि इसका निर्णय हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—माननीय कमलासिंह जी, मुख्य मंत्री जी जो इस गवर्नमेंट के हेड हैं अगर वे अपना खेद सदन में प्रकट करते हैं और अपनी भावनाओं को सदन में रख देते हैं तो हमारे लिये शोभाजनक यही होगा कि इसको समाप्त कर दिया जाय और आशा की जाती है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा । हमारी बात स्वीकार कर लीजिये ।

पुलिस अधिकारियों के कथित अभद्र व्यवहार के संबंध में श्री शिवेन्द्र प्रताप द्वारा ४ अक्तूबर,१९६२ को अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—अब एक माननीय शिवेंद्रप्रतापसिंह जी का है। उनसे भी मैं यही निवेदन करूंगा कि उस रोज जो घटनाएं हो चुकी हैं उनके सम्बन्ध में माननीय नेता सदन ने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं तो शायद अच्छा होगा कि हम इसे भी समाप्त कर दें।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं इसको वापस लेने के लिये तैयार नहीं हूं। इसलिये कि रोज ऐसी घटनाएं होती हैं और पब्लिक को पीटते हैं। मन्त्री जी यहां माफी मांग लेते हैं और वहां पुलिस पर कोई असर नहीं होता है। अभी श्रीमन्, अतरौलिया में हुआ है।

श्री अध्यक्ष—देखिये विशेषाधिकार के प्रश्न और पुलिस के बाहर के व्यवहार में जरा सा अन्तर है। प्रश्न हमारा है अगर इसको प्रेस न करें तो अच्छा है। मेरा आप से यह निवेदन है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, इस विषय पर खेद प्रगट नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष—नहीं, उस रोज़ किया गया है। मैंने कहा कि इस सम्बन्ध में इस समय नहीं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आपकी राय उचित है। क्योंकि माननीय नेता सदन ने खेद प्रगट कर दिया है तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है और मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको प्रेस न करें।

श्री शिवेन्द्रप्रताप—श्रीमन्, मैं वापस लेता हूं।

नेता, उत्तर प्रदेश विधान मंडल कांग्रेस दल द्वारा दल के सदस्यों को उत्तर प्रदेश जोत कर विधेयक के समर्थन करने के बारे में सम्बोधित एक पत्र के संबंध में अधिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—अब एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय नरसिंहनारायण जी का है। वह व्हिप के सम्बन्ध में है। मैं उनका ध्यान दिलाऊंगा कि ३ अप्रैल, ५९ से ५ मई, १९६० तक के जो संकलित निर्णय हैं उनमें २० अगस्त, ५९ को माननीय खेर साहब ने निर्णय दिया था।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्.....

श्री अध्यक्ष—मैं सुनने के लिये तैयार हूं लेकिन मैं बतला दूं कि जो निर्णय दिया गया है, मैं समझता हूं कि वह उसको कवर करता है। वैसे दो चार शब्द, आप कहना चाहें तो कह दें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, मेरा तो निवेदन दो मुख्य बातों पर आधारित है। एक तो यह कि मुख्य मन्त्री जी जो कि विधान मंडल कांग्रेस दल के नेता होने के नाते, जो आज बहुमत में हैं इस सदन के नेता हैं और मुख्य मन्त्री भी हैं। विधान मंडल कांग्रेस

दल की जो मीटिंग २४ सितम्बर, ६२ को हुई उसमें उन्होंने साफ तरीके से इस बात का जिक्र किया तथा बहुमत दल ने एक प्रस्ताव पास किया कि २६–२७ तारीख को जोत सम्बन्धी विधेयक पेश किया जायगा वह संशोधित विधेयक होगा।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान भारतीय संविधान की ओर ले जाना चाहता हूं और....

श्री अध्यक्ष—नहीं, यह तो व्हिप के सम्बन्ध में है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन् उसी के सम्बन्ध में कह रहा हूं। मेरा तो एक प्रीपोजीशन है, श्रीमन्—...

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों के डिस्चार्ज आफ ड्यूटीज में विघ्न और बाधा डाली और उन्होंने इस तरह का जो सर्कुलर इश्यू किया २६ और २७ को कि सदन में संशोधित विधेयक पेश होगा और अनिवार्य रूप में आपको उस पर अपना मत देना है। मेरा कहना सर्वप्रथम यह है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी को यह हक नहीं है कि वह सदन के किसी माननीय सदस्य की कार्यवाही के बारे में यह कह सकें कि जो विधेयक पेश होगा उस विधेयक पर आपको अनिवार्य रूप से वोट देना ही है। इसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि व्हिप कैसे इश्यु होता है और किन-किन दशाओं में इश्यु होता है। यह पार्लियामेंटरी डिक्शनरी है, अब्राहम और हटरी की।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य कांग्रेस के अन्दर जो मजलिस हुई उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। अगर वह कांग्रेस पार्टी के मेम्बर होते तो बजा था कि यह एतराज उठाते। लेकिन जब कि हमारी कांग्रेस पार्टी के किसी माननीय सदस्य ने एतराज नहीं उठाया तो मैं समझता हूं कि इनका नुक्ता गलत है, क्योंकि उनको कोई हक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—वह आर्गूमेंट नहीं है। उनका सिर्फ इतना कहना है.....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—जरा प्वाइंट आफ आर्डर पर रूलिंग दीजिये।

श्री अध्यक्ष—यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

उनका प्वाइंट यह है कि यह व्हिप गलत इश्यू हुआ है। उसके सपोर्ट में कुछ बातें कहना चाहते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस पार्लियामेंटरी डिक्शनरी के पेज २१४ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कितने तरह के व्हिप इश्यू होते हैं यह दिया हुआ है—

"The word 'whip' is used to describe also the circular announcement of forthcoming business which is sent out from time to time by the whips of each party to its members. In this, attention is drawn to the more important business by the appended words 'Yours attendance is particularly requested.' The word "particularly" is underlined once, twice or thrice according to the importance of the business, a 'three-line whip' being the most urgent communication of all".

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—इसकी हिन्दी करवा दीजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मैं चन्द्रबली सिंह जी का बहुत आभारी हूं। संक्षेप में मैं ऐसा कहूंगा कि माननीय चन्द्रबली सिंह जी की खुद समझ में आ जायगा। एक लाइन का व्हिप इश्यू होता है, दो लाइन का व्हिप इश्यू होता है, तीन लाइन का व्हिप इश्यू होता है।

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

लेकिन किस प्रश्न पर इश्यू होता है इस पर विचार करने की बात है। मैं अंग्रेजी में उद्धरित कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष—सारांश बता दीजिये, नहीं तो चन्द्रबली जी नाराज होंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मेरा कहना यह है कि व्हिप जो इश्यु किया जाता है उपस्थिति के बारे में किसी पार्टी की तरफ, तो उसके तीन भूलभूत आधार होते हैं—आप का रहना आवश्यक है, इसमें एक लाइन लगा दी जाती है, दूसरे में दो लाइनें लगा दी जाती हैं, और तीसरे में तीन लाइनें लगा दी जाती हैं कि आपका रहना अत्यावश्यक है।

श्री अध्यक्ष—आवश्यक, अत्यावश्यक और परमावश्यक।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—धन्यवाद। मैं हिन्दी कम जानता हूं। दूसरे देखना यह है कि यह कब इश्यू किया जाता है, सफा २१४ में अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है—

"Their chief duty is to arrange the business of their party in the House and inform their members of all forthcoming business".

उनका मुख्य कर्त्तव्य होता है कि वह सदन में अपनी पार्टी के मेम्बरों को आने वाले किसी भी कार्यक्रम के बारे में सूचना दें। एक तो इस बारे में व्हिप इश्यू होता है।

"The Government Chief whip in the House of Commons is a most important person, since he is responsible for arranging the time-table of the Government's business in the Houses".

और गवर्नमेंट बिजनेस क्या हाउस में है, क्या कार्यक्रम चल रहा है उसके लिये केवल व्हिप इश्यू किया जा सकता है। मैं मान्यवर, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय नेता विधान मंडल कांग्रेस दल ने जो व्हिप जारी किया, एक तो उनको एक नेता की हैसियत से कोई व्हिप जारी नहीं करना चाहिये, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो व्हिप जारी होता है, वह जो चीफ व्हिप होता है, वही पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोस्ट होल्ड करता है और मुख्य सचेतक होता है, वही व्हिप जारी करता है, लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इन परम्पराओं से आगे चलकर के यह व्हिप जारी किया जिसमें यह साफ तरीके से लिखा है—

"उत्तर प्रदेशीय विधान मंडल कांग्रेस दल,
८, विधान भवन,
लखनऊ।
दिनांक २५-९-६२।

विधान सभा के समस्त कांग्रेस दल के सदस्यों की सेवा में,
प्रिय साथी,

उत्तर प्रदेश भूमि जोतकर विधेयक को कांग्रेस विधान मंडल दल ने अन्तिम रूप से कल सितम्बर, १९६२ को स्वीकृति दे दी है और अब यह विधेयक संशोधित रूप में सदन के विचारार्थ दिनांक २६ या २७ सितम्बर, १९६२ को पेश होगा। इस विधेयक का समर्थन करना दल के प्रत्येक सदस्य के लिये अनिवार्य है।"

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि जो आज तक की परम्पराएं हैं व्हिप इश्यू करने की वह यह परम्पराएं नहीं हैं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन की कार्यवाही के बारे में किसी भी आदरणीय सदन के सदस्य को यह कह सकते हैं कि सदन के अन्दर अनिवार्य रूप से आपको अमुक कार्य करना है और आपको अमुक तरीके से अपना मत देना है। इसलिये मेरा कहना यह है कि एक तो माननीय मुख्य मन्त्री जी को व्हिप इश्यू नहीं करना चाहिये था और अगर उन्होंने किया तो जो संशोधित विधेयक है उसको सदन के समक्ष पेश करना चाहिये था। इसके अलावा जो व्हिप इश्यू करना चाहिये वह केवल अटेंडेंस के बारे में करना चाहिये। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो मेरा प्रीपोजीशन यह है कि आपने ऐसा करके उन मान-

नीय सदस्यों के इस सदन में अपना कार्य करने में बाधा पहुंचायी है और इस तरह से आपने माननीय सदन और माननीय सदन की समितियों के विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित कर दिया है। दूसरी बात जो हाउस को मिसलीड किया है, उसका भी एक उद्धरण पेश करना चाहता हूं। मेरा पहला कन्टेशन यह है कि व्हिप के बारे में, हाजिरी के बारे में इश्यू करना चाहिये, आपने हाजिरी के बारे में नहीं किया बल्कि सदन में क्या कार्यवाही माननीय सदस्य करें, उसके बारे में व्हिप उन्होंने जारी किया जिसको जारी करके आपने एक बहुत ही मौलिक विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित कर दिया है।

अब श्रीमन्, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वह मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के सोलहवें एडीशन के पृष्ठ १२३ पर आप देखेंगे, सबसे नीचे लिखा हुआ है—

"Acts Tending indirectly to obstruct members in the discharge of their duty.

Conduct not amounting to a direct attempt to influence a Member in the discharge of his duties, but having a tendency to impair his independence in the future performance of his duty, will also be treated as a breach of privilege".

मेरे कहने का मतलब यह है मान्यवर, कि आपने इस तरीके का कार्य करके एक बहुत ही मौलिक विशेषाधिकार का प्रश्न खड़ा कर दिया है कि आपने उन मेम्बर्स को मजबूर किया कि अनिवार्य तरीके से वह ऐसा करें और कहा कि संशोधित विधेयक उपस्थित हो गया है जबकि संशोधित विधेयक उपस्थित नहीं किया गया। इस तरीके से आपने सदन को धोखे में डाला। इसलिये मैं कहता हूं कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है और इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द आप करें।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रिविलेज का प्रश्न लाया गया है मुझे मालूम देता है कि माननीय सदस्य ने गलतफहमी से यह काम किया है। असल में यह कहना चाहिये कि जो प्रजातांत्रिक पद्धति है और जो उसके मौलिक आधार हैं उन्हीं को नजर-अन्दाज करके यह पेश किया है। माननीय सदस्य यह भली प्रकार जानते हैं कि प्रजातांत्रिक पद्धति का मूल आधार है पार्टी सिस्टम और पार्टी सिस्टम का मतलब है कि जो माननीय सदस्य सदन का कार्य करें वह पार्टी के निर्देशन के मुताबिक करें। इस सिलसिले में अध्यक्ष महोदय, यदि आप इजाजत दें तो मैं आपके सामने पार्लियामेंटरी सिस्टम के प्रमुख जानकार हरबर्ट मौरिसन की किताब को पढ़कर कुछ उसके उद्धरण पेश करदूं। उनसे मैं यह साबित करने की कोशिश करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह गलतफहमी के आधार पर उठाया है। अध्यक्ष महोदय, आप कृपा कर पेज १६१ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट बाइ हरबर्ट मौरिसन को देखने का कष्ट करें जिसमें उन्होंने यह बतलाया है कि प्रत्येक सदस्य को यह हक है कि वह पार्टी मीटिंग में अपनी राय को जाहिर करे और माइनारिटी को यह हक है कि वह अपनी राय जाहिर करके मेजारिटी को अपनी राय में तब्दील कर ले लेकिन पार्टी के फैसले के बाद यह जरूरी है कि वह पार्टी के फैसले को माने। आप कृपा कर देखें पेज १६१ को.....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—यह प्रक्रिया नियमावली की बात कर रहे हैं या किसी और की ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रक्रिया नियमावली का प्रश्न नहीं है। हमारे संविधान के अनुच्छेद १०५ और १९४ के अन्तर्गत जो प्रिविलेज हाउस आफ कामन्स के हैं वही हमारे हैं और उसी प्रकार के हैं। हम लोगों के प्रिविलेज क्या हैं उनके अध्ययन के लिये ब्रिटिश पार्लियामेंट और वहां पार्टी किस प्रकार से काम करती है उसी को देखना पड़ेगा। उसी पर आप कह रहे हैं।

श्री वीरसेन—"There is, however, something else to be said if members of a parliamentary party are flagrantly disagreeing and are gravely at sixes—and sevens, and particularly if they personally attack each other in public, it is obvious that the party will be damaged. A political party is a voluntary association of people who have agreed to co-operate with each other for certain general ends".

यह प्रमुख बात है कि जितने माननीय सदस्य किसी पार्टी के होते हैं वह वालन्टरी एसोसियेशन के सदस्य हैं और वालन्टरिली वह यह स्वीकार कर लेते हैं कि जो पार्टी का व्हिप होगा, निर्देशन होगा उसको वह स्वीकार करे । तो यह कोई डैमेज या कोई भी अधिकार का प्रश्न नहीं बनता है। साधारण कानून में भी है कि अगर कोई स्वीकृति किसी बात की दे दे तो उससे अधिकारों के बारे में हनन नहीं होता। यहां पर यदि कोई सदस्य पार्टी का मेम्बर हो जाता है तो स्वेच्छा से उन सभी निर्देशन के मातहत हो जाता है जो पार्टी की तरफ से दिये जांय।

"To the extent that a party is democratic (and this varies), its general policy is arrived at after collective discussion in which members can participate, and decisions are reached by majority vote where necessary, though there are limits to this when the party is in power."

इसमें साफ जाहिर है कि जब कभी फैसला होता है वह साधारण तौर पर बहुमत का फैसला होता है और उन फैसलों में भी यह जरूरी नहीं है कि वह बहुमत के फैसले हों। "Members of the party have certain rights, notably the right of discussion argument, and voting at the party meeting. Having taken advantage of those rights, the general unity of the party whould be imperilled and feelings aroused if members then went away and carried on as if no consultation had taken place. The man in a minority has a perfect right to seek to convert the majority, but it is desirable that the right should be excercised in a way which is least likely to damage the standing or reputation of the party".

अध्यक्ष महोदय, जाहिर है कि जो भी फैसले पार्टी में हों उनको मानने के लिये हर एक सदस्य बाध्य है और यदि वह उन्हें नहीं मानता है तो वह सारे का सारा पार्टी सिस्टम..

(व्यवधान)

श्री चन्द्रबली सिंह—आप सारांश तो कहते हैं नहीं, सारा व्याख्यान अंग्रेजी में ही दे रहे हैं और बोलते जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—वीरसेन जी, चन्द्रबली जी नाराज जल्दी हो जाते हैं । आप शांतिपूर्वक अपनी बात कहें और उसका सारांश हिन्दी में बतलाते जायं।

श्री वीरसेन—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि अगर डिफरेंसेज बहुत ज्यादा हों, तो भी पार्टी की ओर से यह निर्देश हो सकता है...

श्री अध्यक्ष—सारांश यह है कि पार्टी में आप जितनी चाहे बहस कर लें, जिस प्रकार से चाहे टीका-टिप्पणी, कटाक्ष कर लें, लेकिन अगर पार्टी में बहुमत इस राय का होता है कि एक विषय को इस प्रकार से तय किया जाय तो अन्ततोगत्वा प्रत्येक सदस्य का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि अपनी पार्टी के निर्णयों का वह पालन करे। यह उसका सारांश है।

श्री वीरसेन—अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा मूल प्रश्न है और अगर नरसिंहनारायण जी के प्रश्न को मान लिया जाय तो सारा का सारा पार्टी सिस्टम ब्रेक हो जायगा और फिर यह प्रजातन्त्र चल ही नहीं सकता। तो मैं समझता हूं कि इस ऐस्पेक्ट को माननीय सदस्य ने गौर नहीं किया है और मैं समझता हूं कि अगर उनकी पार्टी के व्हिप पर यह लागू हो तो वह मेरी बात मानेंगे ।

इसके बाद एक दूसरी चीज मैं बतलाना चाहूंगा। हेराल्ड लास्की ने भी इस सिलसिले में अपनी राय जाहिर की है। अपनी पुस्तक Parliamentary Government in England के 165 पेज पर लेबर पार्टी के बारे में वह कहते हैं--
"Its standing orders permit a member to refrain from voting where his conscience is engaged ; but he may not go into the division-lobby against a party-decision without risking his right to continue as a member of the party".

इसमें बिलकुल स्पष्ट है कि यह हो सकता है कि किसी प्रश्न पर किसी सदस्य की आत्मा गवाही न देती हो तो वह राय न दे, लेकिन वह खिलाफत में राय नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्ष--आप संक्षेप में ही कहिये।

श्री वीरसेन--सिर्फ जितनी जरूरी बातें हैं, मैं उन्हीं को कहूंगा। इस पुस्तक के पृष्ठ. ७४ पर आप देखें पार्लियामेंटरी कंट्रोल के बारे में वे कहते हैं--

". . . .and the secret of that control lies in the fact that the leaders of the Government and the opposition alike are in control of the activities of their members through the domination of the party machine".

पार्टी मशीन की मार्फत जो लीडर्स हैं वह चाहे गवर्नमेंट साइड के हों या विरोधी दल के, वह मेम्बर्स की एक्टिविटीज पर कंट्रोल रखते हैं। वे आगे कहते हैं :

"The day of the independent member has gone ; and there is no prospect that it is likely to be revived".

तो इस तरह से इस प्रजातांत्रिक पद्धति का स्वीकृत सिद्धान्त है कि अब कोई सदस्य सदन में स्वतंत्रता पूर्वक अपनी स्वेच्छा से काम नहीं करता है, बल्कि वह पार्टी निर्देश के मुताबिक काम करता है। अध्यक्ष महोदय, Sir Ivor Jennings की एक पुस्तक का मैं और उद्धरण देना चाहता हूं जिसमें लेबर पार्टी ने ११ मार्च, १९५२ को एक प्रस्ताव पास कर के यह स्वीकार किया था कि कोई भी सदस्य पार्टी के विरुद्ध राय नहीं दे सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को आप के सामने पढ़ कर सुना देता हूं :

"Believing that the disregarding of decisions arrived at by the Parliamentary party gravely damages the party as a whole, and makes it impossible for the Parliamentary party to discharge its duties as an effective Opposition, this meeting decides to impose such Standing Orders as will make it obligatory on all members to carry out decisions of the Parliamentary party, taking into account the traditional conscience clause".

श्रीमन्, आप देखें कि इससे साफ जाहिर है कि यह प्रस्ताव जिन्होंने पेश किया, उन्होंने यह निश्चय किया कि हर सदस्य को यह मजबूरी होगी कि वह पार्टी के फैसलों को आबलिगेटरी रूप से मानें। यह १९५२ का है। हर मेम्बर को पार्लियामेंटरी पार्टी के डिसिशन मानने चाहिये। जेनिंग्स ने पृष्ठ ९० पर लिखा है :

"any candidate who, after election fails to accept or act in harmony with the Standing Orders of the Parliamentary Labour Party shall be considered to have violated the terms of this Constitution".

श्रीमन्, आगे लिखा है :

"The privilege of membership of the Parliamentary Labour Party involves the acceptance of the decisions of the party meeting".

[श्री वीरसेन]

श्रीमन्, आप देखें कि पार्टी मीटिंग के फैसलों को स्वीकार करना यह एक विशेष और जरूरी कर्त्तव्य हर सदस्य का हो जाता है । इसमें आगे लिखा है :

"The party recognises the right of the individual member to abstain from voting on matters of deeply held personal and conscientious conviction. They add that the whip may be withdrawn 'on account of things said or done'.

श्रीमन्, अगर हाउस में कोई चीज कही जाय या की जाय तो दंड के स्वरूप में पार्टी व्हिप विदड्रा कर सकती है । यह सब चीजें मैंने बताईं । यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है पार्लियामेंटरी प्रोसीज्योर का कि जो भी माननीय सदस्य किसी भी पार्टी का सदस्य होता है, वह पार्टी के फैसलों को मानें । केवल स्वेच्छा से नहीं बल्कि उन्हें आबलीगेटरी रूप से मानना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आप संक्षेप में कहें तो अधिक ठीक रहेगा ।

श्री वीरसेन—अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ व्हिप के बारे में अर्ज कर देना चाहता हूं । मैं उसके अर्थ में यह कोटेशन पढ़ देना चाहता हूं :—

"Whips have a similar task in regard to Members of Parliament to round them up to support".

श्रीमन्, व्हिप का जो काम है वह राउन्ड करना है । सिर्फ हाजिरी के लिये नहीं । वह मानें कभी नहीं हैं । जहाँ तक थ्री लाइन और टू लाइन व्हिप का सवाल है, वह कोई रेलीवेन्ट इस ताल्लुक में नहीं है । सिर्फ एक तरह का आदेश है कि "यू मस्ट अटेन्ड ।" यह थ्री लाइन व्हिप में है ।

श्रीमन्, यह मैंने जो व्हिप के बारे में मूल सिद्धान्त हैं, उनका जिक्र किया है । अब मैं रूलिंग के बारे में अर्ज कर देना चाहता हूं । कुछ यहाँ की और एक पार्लियामेंट की लोक सभा की एक रूलिंग है, लेकिन वह मिल नहीं रही है ।

श्री अध्यक्ष—जाने दीजिये, मेरे पास है, मैं पढ़ दूंगा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—उसमें यह रूल किया गया है कि पार्टी के फैसले इंटरनल फैसले हैं और सदस्य उनकी नोटिस नहीं ले सकते । अब इसी विधान सभा की खेर साहब की एक रूलिंग है, उसमें स्पष्ट है कि कोई भी प्रश्न जो पार्टी के अन्दर का प्रश्न हो वह नहीं किया जा सकता है । मैं समझता हूं कि इन सिद्धान्तों का विचार करके जो प्रिविलेज का मोशन है वह गलत और निराधार है ।

श्री अध्यक्ष—श्री नेकराम शर्मा । बहुत संक्षेप में कहिये ।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, मैंने माननीय वीरसेन की बहस को सुना । यहाँ पर बहस यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आदेश दिया वह ऐज व्हिप दिया या नेता की हैसियत से दिया ? उनको अधिकार है कि ऐसा व्हिप या आदेश ईश्यू कर सकते हैं ? इस संबंध में मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के १०९ सफे पर आप देखें, साफ लिखा हुआ है कि :

"It may be stated generally that any act or ommission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions, or which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge of his duty, or which has a tendency.....".

श्री अध्यक्ष—यही माननीय नरसिंह नारायण ने पढ़ कर सुनाया था ।

श्री नेकराम शर्मा—तो टेंडेंसी जब है वही देखना है । इसी सदन में जब स्वर्गीय पंत जी मौजूद थे तो एक माननीय सदस्य बोलना चाहते थे । पंत जी ने कहा कि बैठ जाइये, तो अध्यक्ष ने कहा कि कोई माननीय सदस्य किसी को रोक नहीं सकते हैं । यहाँ पर मुख्य मंत्री

जी ने आदेश दिया । हाउस आफ कामन्स की बात कही गयी, तो वह सीक्रेट होता है और वह व्हिप किसी को दिखाया नहीं जाता, हर मेम्बर अपने पास रखता है । जहाँ तक पार्टी संगठन का सवाल है, वह सीक्रेट व्हिप नहीं था, माननीय मुख्य मंत्री का आदेश था । तो वह कंटेम्प्ट हुई और उसको आपने स्वयं कंटेम्प्ट मान लिया, क्योंकि जब प्राइमा-फेसी केस इस्टैबलिश हो गया तभी आपने बहस करने की इजाजत दी । इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि वाकई कंटेम्प्ट हो गयी है और इसको प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं, काफी हो चुका ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—एक खेर साहब की बात कह दूं । एक बार समाजवादी दल का एक व्हिप केवल कागज पर निकला था, उसमें दस्तखत नहीं था, उस पर खेर साहब ने पूरा चुनाव अवैधानिक करार दे दिया था । वह बाहर की बात थी, सदन की कार्यवाही भी नहीं थी । तो यह महत्व की बात नहीं है कि पार्टी के अन्दर क्या होगा । हम तो उन्हीं सदस्यों से निवेदन कर रहे हैं जिन्होंने कई बार विधान सभा में बताया कि हम पार्टी का व्हिप नहीं मानते ।

श्री अध्यक्ष—अब मैं निवेदन कर दूं कि जो माननीय नरसिंहनारायण जी ने पेश किया है उसमें दो तीन बातें स्पष्ट हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपनी अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार किसी भी पार्टी में सम्मिलित हो सकता है और यह भी हम सब जानते हैं कि किसी भी दल में सम्मिलित होने के पहले उसको यह घोषणा करनी पड़ती है कि हम दल के नियमों का पालन करेंगे । तीसरी बात हमें यह याद रखनी है कि प्रत्येक दल यह समझता है कि किसी व्यक्ति ने अनुशासनहीनता की है तो वह उसको सूली पर तो चढ़ा नहीं सकता, वह यह कह देता है कि अब आप स्वतंत्र हैं, जाइये । इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं होती । इसको ध्यान में रखते हुये कि प्रत्येक व्यक्ति जब तक वह किसी दल में है अपनी ही की गयी घोषणाओं का पाबन्द है कि वह अपने दल के निर्णयों के अनुसार काम कर, अन्यथा उसे अधिकार है कि वह उस दल को छोड़ कर चला जाय । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये हमें इस व्हिप के ऊपर विचार करना पड़ेगा ।

एक बात यह कही गयी है कि माननीय नेता दल को व्हिप जारी करने का अधिकार है या नहीं । मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी का नेता अपनी सुविधा के लिये अपने कामों को बांट देता है और विभिन्न व्यक्तियों से अलग-अलग काम लेता है । लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि इस तरह से वह अपने अधिकारों से वंचित हो गया । यह निर्विवाद सिद्धान्त भी है कि डेलीगेशन से ओरीजीनल पावर्स अफेक्ट नहीं होते । तो नेता दल को यह अधिकार प्राप्त था कि वे समस्त उन अधिकारों का प्रयोग करें जो कि अन्य सदस्यों या अधिकारियों को प्राप्त हैं । उसमें कोई अड़चन मैं नहीं देखता ।

दूसरी बात, जैसा कि माननीय नरसिंहनारायण जी ने कहा कि इंगलैण्ड की पार्लियामेंट में प्रायः व्हिप की तरफ से ऐसा लेख जारी होता है कि तुम्हारा आना आवश्यक है, या परम आवश्यक है आदि और वहाँ कदाचित यह नहीं कहा जाता है कि तुमको अमुक कार्य के लिये हुक्म दिया जाता है । माननीय नेकराम जी ने एक बात कही कि वह सीक्रेट होता है । अगर सीक्रेट होता है तो माननीय नरसिंहनारायण जी उसको न देखते तो अच्छा होता । खैर, यह तो केवल संकेत है । पार्टी के चूंकि कुछ नियम होते हैं और जब पार्टी में कोई चीज तय हो जाती है, तो प्रत्येक को अनिवार्य रूपेण उसके निर्णय का समर्थन करना चाहिये । इस कारण से इसके ऊपर और अधिक बल देने से कोई लाभ नहीं होगा. . . . . .

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं और वह यह कि सदन की कार्यवाही के अन्दर कोई भी माननीय सदस्य, वह किसी भी पार्टी का क्यों न हो, वह जो करना चाहता है, उसके ऊपर क्या कोई अनिवार्य रूप से व्हिप की तरफ से कोई आदेश ईश्यू हो सकता है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष—इसमें यह नहीं कहा है कि तुम बोलोगे नहीं ।

अब मैं माननीय खेर साहब की स्लिंग भी पढ़ दूं । उसमें एक माननीय मंत्री ने त्यागपत्र दिया था । उस त्याग पत्र के संबंध में वह एक वक्तव्य देना चाहते थे । वक्तव्य देने का निषेद्ध कांग्रेस हाई कमान्ड के अधिकारियों से प्राप्त हुआ । उस पर आचार्य दीपंकर, जो उस समय यहां सदस्य थे, ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया । उस पर माननीय खेर साहब ने कहा—"मैं किसी को भी इजाजत नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसमें पहली बात तो यह है कि यह निश्चित नहीं है, अखबार में कोई चीज छप जाना इससे घटना निश्चित नहीं होती है और अगर निश्चित भी हो तो भी जब सर्वत्र पार्लियामेंटरी पद्धति में पार्टी सिस्टम अनिवार्य सा है और हर पार्टी अपने अपने सदस्यों के सम्बन्ध में अनुशासन रखती है, इस कारण अगर उसे मदाखलत समझा जाय इस आदरणीय सदन के कार्य में,तो मैं समझता हूं कि इस पार्टी सिस्टम को ही तोड़ देना पड़ेगा और तभी सदस्यों की स्वतंत्रता कायम रह सकती है, नहीं तो रोजाना जब सदन में पार्टियों द्वारा 'व्हिप' इश्यू होते हैं, रोजाना पार्टियों की केन्द्रीय संस्थाओं से प्रान्तीय संस्थाओं को हिदायतें आती हैं और उसी के अनुसार वह कार्य करती हैं तो प्रस्तुत परिस्थिति में उनको मैं समझता हूं कि एक तरह से ऐडवाइस या सलाह ही माननी चाहिये । हर पार्टी अपने आदमियों को ऐडवाइस देती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का जब्र नहीं है कि अगर वह उसको न माने तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जायगा या जेल खाने भेजने का दंड दिया जायगा बल्कि सिर्फ यही हो सकता है कि उसे पार्टी छोड़नी पड़े । ऐसी अवस्था में इस तरह का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है कि अगर किसी पार्टी के अन्दरूनी मामले में कोई अनुशासन की बातें होती हैं तो उसके लिये सदन में ऐसा प्रश्न उठाया जाय । इस कारण से मैं अगर उक्त अखबारी बात को सही भी मान लूं—हालांकि मेरे पास कोई सूचना नहीं आयी है और सिर्फ अखबारों में पढ़ कर माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है—तो भी मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के इस प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं देता हूं ।"

इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता लेकिन इसके साथ साथ इतना मैं निवेदन अवश्य करूंगा कि जिस भाषा में व्हिप जारी किया गया है उसमें जरा सा परिवर्तन हो जाय तो अच्छा होगा ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के अन्य प्रश्नों के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मेरे पास दो विशेषाधिकार के प्रश्न हैं । एक तो नेशनल हेरल्ड के विरुद्ध और दूसरा माननीय बैजनाथसिंह जी ने दिया है माननीय यादवेन्द्रदत्त जी के विरुद्ध । नेशनल हेरल्ड के बारे में कल थोड़ी देर के लिये माननीय सदन के सदस्यों का मत सुनूंगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—जो मेरे विरुद्ध है, उसकी मुझे भी सूचना दे दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—मैं उसकी प्रतिलिपि आपके पास भेज दूंगा ।

निलम्बित सदस्यों, सर्वश्री नाथूराम शिक्षक तथा लखीसिंह को इंगित करने के पूर्व, सदन छोड़ने की आज्ञा न दिये जाने के संबंध में उठायी गयी आपत्ति पर, श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने यह प्रश्न उठाया था कि जिस समय मैंने माननीय नाथूराम शिक्षक तथा माननीय लखी सिंह को इंगित किया था, उसके पूर्व मैंने उनसे

नियमों के अन्तर्गत सदन छोड़ने का आदेश नहीं दिया था और चूंकि मैंने उनको सदन छोड़ने का आदेश नहीं दिया था, इस कारण से उनका कहना है कि मैं उनको इंगित नहीं कर सकता था । मैंने कार्यवाही देखी । आपका इतना आक्षेप सही है कि मैंने उनको इंगित करने से पूर्व सदन छोड़ने का आदेश नहीं दिया था । मैंने उस दिन की कार्यवाही पढ़ी, उसमें मैंने स्थान-स्थान पर यह कहा था कि जो खड़े हो जायेंगे अथवा जो अव्यवस्था उत्पन्न करेंगे उनको मैं इंगित करूंगा, उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा । यह गलती हो गयी । लेकिन प्रश्न अब यह है कि यदि सदन एक प्रस्ताव स्वीकृत कर चुका है, तो क्या किसी प्वाइन्ट आफ आर्डर पर वह सदन का प्रस्ताव निरस्त हो सकता है । मेरा ऐसा खयाल है कि ऐसा प्वाइन्ट आफ आर्डर उस समय रेज नहीं किया गया था और माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद और माननीय नेता विरोधी दल सदन छोड़ कर चले गये थे । परिणाम यह हुआ कि प्वाइंट आफ आर्डर जो रेज किया जा सकता था, वह रेज नहीं हुआ और उसके उपरान्त प्वाइंट आफ आर्डर नहीं बल्कि सदन के सामने एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और वह स्वीकृत हो गया । तो मैं समझता हूं कि कोई भी कार्यवाही जो प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हो वह किसी प्रक्रिया की गलती से नाजायज या अनियमित नहीं हो सकती । इस वजह से माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद की आपत्ति कुछ अंश में सही होते हुये भी, उसका कोई प्रभाव उस इंगित करने या निलम्बन करने पर नहीं पड़ता, यह मेरा मत है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—एक प्रस्ताव हो जाय.....

श्री अध्यक्ष—वह बाद में हो सकता है ।

सरकारी बसों में यात्री-कर अधिक लिये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब मद १० पर माननीय परिवहन मंत्री अपना वक्तव्य देंगे ।

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—अध्यक्ष महोदय, दफा ५२ के मातहत ध्यान आकर्षित करने का जो प्रस्ताव आया है उस संबंध में मुझे यह अर्ज करना है कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ४३ के मातहत नवम्बर, १९५४ में प्रदेशीय सरकार ने बसों के अधिकतम किराये की दरें इस तरह नियत की थीं—

लोअर क्लास	.. ..	साढ़े ७ पाई फी मील,
अपर क्लास	.. ..	९ पाई फी मील ।

केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार इन किराये की दरों को मीट्रिक सिस्टम में बदलने के लिये ५ मार्च, १९६२ को सरकार ने दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कि अधिकतम बसों के किराये की दर किलोमीटर व नये पैसों में इस तरह मुकर्रर की गयी—

लोअर क्लास	.. ..	२.५ नये पैसे फी किलोमीटर,
अपर क्लास	.. ..	३ नये पैसे फी किलोमीटर ।

ऊपर दी गयी अधिकम किराये की दरें रोडवेज और प्राइवेट आपरेटर दोनों पर लागू हैं । राउंड आफ करते समय साढ़े ७ पाई फी मील को जो कि २.४३ नये पैसे फी किलोमीटर के बराबर आता है, २.५ नये पैसे कर दिया गया है और इसी तरह अपर क्लास के किराये को जो कि ९ पाई फी मील यानी २.९२ नये पैसे फी किलोमीटर आता था, ३ नये पैसे कर दिया गया ।

इसी दरमियान में प्रदेशीय सरकार ने मोटर पर सफर करने वाले यात्रियों पर यात्री-कर लगाने का निश्चय किया । इस समय यात्री-कर की दर ५ प्रतिशत है । यात्री-कर अधिनियम के अनुसार किराया व यात्री-कर टिकट पर अलहिदा अलहिदा दिखलाना होता है । इसलिये रोड़वेज को काफी तादाद में एकदम नये टिकट छपवाने पड़ेंगे ताकि रोडवेज के टिकटों में बार

[श्री मुजफ्फर हसन]
बार तबदीली न करनी पड़े। यह मुनासिब समझा गया कि किराये की बढ़ोत्तरी व यात्री-कर लगाने का काम एक साथ कर दिया जाय और बार-बार टिकट छपवाने में अधिक खर्चा न करना पड़े।

पिछले कई सालों से रोडवेज के कुछ मार्गों पर जहाँ रेल से मुकाबला था अधिकतम दर से कम किराया चार्ज किया जाता था। ऐसे सभी मार्गों के बारे में विभाग द्वारा जाँच पड़ताल की गयी और कुछ मार्गों पर किराये की धनराशि बढ़ा दी गयी, लेकिन मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ४३ के अधीन जो अधिकतम दरें मुकर्रर की गयी थीं उससे ज्यादा किराया कहीं भी नहीं लिया जा रहा है। कहीं-कहीं रोडवेज के किराये के बढ़ाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि विभाग का खर्च बराबर बढ़ता चला जा रहा है। मोटर गाड़ियाँ, उनके स्पेयर पार्ट्स, टायर, डिजल तेल वगैरह की कीमतें बराबर बढ़ रही हैं। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार ने ३१ मार्च, १९६२ से मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स ऐक्ट प्रदेश में लागू कर दिया है, जिसकी वजह से स्टाफ काफी तादाद में बढ़ाना पड़ रहा है। लगभग ३० लाख रुपया इमारतों वगैरा के बनाने में खर्च करना पड़ेगा।

रोडवेज उत्तर प्रदेश सरकार की एक कार्मशियल अन्डरटेकिंग है और समय-समय पर कास्ट आफ आपरेशन को मद्दे नजर रखते हुये किराये की दरों में तब्दीली करने की आवश्यकता पड़ती है लेकिन प्रस्ताव में जो यह कहा गया है कि सारे उत्तर प्रदेश में १६ प्रतिशत से लेकर ३० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है यह बात सही नहीं है।

(इस समय १२ बजकर २९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

लखनऊ से कानपुर की दूरी ४८ मील या ७७ किलोमीटर है। लोअर क्लास का पहली अक्तूबर से पहले किराया १.५० नया पैसा था जिस को बढ़ाकर १.६७ नये पैसे कर दिया गया है। इसके अलावा ८ नये पैसे पैसेन्जर टैक्स भी वसूल किया जायगा। इस तरीके से अब १.७५ नये पैसे हो गया है। २.५ नया पैसा फी किलोमीटर की दर से ७७ किलोमीटर का किराया १.९२ पैसे आता है। अब भी जो ज्यादा से ज्यादा किराया होता है उस से २५ पैसा कम है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उससे स्पष्ट है कि सरकार ने जानबूझकर किराया बढ़ाया है, यह नहीं कि मील से किलोमीटर में परिवर्तन के कारण से बढ़ गया है या यात्रीकर लगने से बढ़ गया है। बल्कि उन्होंने कहा कि खर्च बढ़ रहा है, स्टाफ बढ़ रहा है और पार्ट्स की कीमत बढ़ रही है इससे ऐसा हो रहा है। उदाहरण के लिये मैं बता दूं कि आजमगढ़ से लखनऊ का लोअर दर्जे का किराया ५ रुपया था, अब यह यात्री कर के बाद ५.२५ होना चाहिये लेकिन वह ६.०४ हो गया है, इस तरह से वह २० प्रतिशत बढ़ गया है। इसी तरह से कानपुर से लखनऊ बस का लोअर दर्जे का किराया डेढ़ रुपए से पौने दो हो गया है। इस तरह से दर्जनों मिसालें दी जा सकती हैं कि जहां किराया बढ़ा दिया गया है। माननीय मंत्री जी ने यात्री-कर बिल पेश करते हुये आश्वासन दिया था कि प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई और भार को देखते हुये केवल दस प्रतिशत की जगह ५ प्रतिशत की ही बढ़ोत्तरी की जायगी तो सरकार ने यह इतना किराया अब क्यों बढ़ाया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैंने इसके वजूहात तो पहले ही अपने बयान में बता दिये। कहीं भी मुकर्रर किराये से किराया अधिक नहीं बढ़ाया गया है। आपने कानपुर लखनऊ रूट के किराये की मिसाल दी। यह फासला ४८ मील का है या ७७ किलोमीटर है नये पैमाने में, लोअर क्लास का किराया उसमें १.५० था जिसको बढ़ाकर अब १.६७ कर दिया गया है और इसके अलावा ८ नया पैसा पैसेंजर टैक्स का वसूल होता है, इस तरह से कुल १.७५ अब हो गया है। २.५ नया पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया १.९२ होता था लेकिन अब भी उससे २५ नया पैसा कम है।

श्री चन्द्रजीत यादव—मंत्री जी ने जो कहा कि राउन्ड फिगर करने में हम ने यह बढ़ाया है तो इस राउन्ड फिगर..

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने कहा है कि जो अधिकतम हो सकता था उससे भी यह कम है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—नहीं, नहीं, वह बात नहीं है । उन्होंने बताया था कि लोअर का साढ़े सात पाई प्रति मील था और अपर का था ९ पाई और अब लोअर का २.५ नया पैसा प्रति किलोमीटर और अपर का ३ नया पैसा प्रति किलोमीटर है और राउन्ड फिगर में इस तरह से बढ़ाया जा रहा है, एक मील की बात हो कि आधे पाई का एक पाई कर लिया तब तो कोई बात नहीं है लेकिन लम्बे रूट्स में इसके कारण दस से १५ प्रतिशत तक का इजाफा हो गया है । तो क्या मंत्री जी ऐसे आदेश देंगे कि पहले मील के हिसाब से जितना किराया होता था उससे अधिक अब किलोमीटर में न होगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—राउन्ड आफ करने का जो तरीका है उसके कारण केवल २ प्रतिशत ही बढ़ता है । मैं पोस्ट आफिस के बारे में आपको बताऊं कि वहां राउन्ड आफ करने में १० प्रतिशत तक का फर्क पड़ गया है और यह तो एक ऐसा तरीका है जो हर जगह रायज है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—मंत्री जी ने बताया कि १.९२ नया पैसा वह ले सकते हैं लेकिन १.७५ नया पैसा ले रहे ह । तो १.९२ न० पै० क्यों नहीं ले रहे हैं और कब तक उतना लेना शुरू कर देंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैंने अर्ज किया था कुछ रूट्स जिन पर रेल भी चलती हैं और हमारी बसेज भी चलती हैं वहां पर हमने शुरू में कम किराया रखा था और अब जांच पड़ताल करने के बाद यह समझा गया कि इतनी कमी की जरूरत नहीं है । फिर भी हमने जो अधिकतम किराया होता है उससे कम ही रखा है और इसीलिये रखा है कि हम उसको बिजनेस लाइन पर चला रहे हैं ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—मंत्री जी बतायेंगे कि बाज जगह किराये की दरें ऐसी हो गई हैं कि १२ मील दूर आगे का किराया कम है और उससे इधर का किराया अधिक है, यानी लखनऊ से उन्नाव का किराया अधिक है और कानपुर का किराया कम है। क्या ऐसा भी कोई मोडीफिकेशन हो गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—ऐसी कोई सूचना नहीं है । जो उसूल था वह मैंने बता दिया, कोई वजह नहीं कि फर्क पड़े ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मेरा कहना है, ऐसा फर्क पड़ा है, उनको सूचना है ।

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने मना कर दिया ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी को इस बात की इत्तला है कि जिन रूट्स पर रेल और बसेज दोनों चलती हैं और बस का किराया कुछ कम था तो जब से बस का किराया बढ़ा दिया गया तब से सवारियाँ बसेज पर बहुत कम आ रही हैं, ऐसी उनको इत्तला है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं, मुझे इत्तला है कि इस तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा, मुसाफिर उसी तरह आ रहे हैं जैसे पहले आ रहे थे ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—मंत्री जी ने कहा राउन्ड फिगर करने पर बढ़ गया, जब कि डेसिमल सिस्टम के बारे में विशेष बात यह है कि राउन्ड फिगर करने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती। जो २.५ नया पैसा किराया रखा गया है उसको अगर २.४५ भी रख दें तब भी गुणा करने के बाद जो फर्क होता है उसको राउन्ड फिगर में कर दें । तो रेट को राउन्ड फिगर क्यों करते हैं ? पहले रेट को कैलकुलेट करके जो लास्ट में फिगर आये उसको राउन्ड आफ कर लें ।

श्री मुजफ्फर हसन—जो किया गया है बहुत मुनासिब किया गया है ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—मंत्री जी बतायेंगे कि जौनपुर से इलाहाबाद तक चलने वाली बसेज पर किसी में साढ़े ३५ परसेंट और किसी में साढ़े ३६ परसेंट और किसी में साढ़े ३३ परसेंट की किराये में वृद्धि हुई है । जैसे जौनपुर से फूलपुर जाने वाली बस पर साढ़े ३३ परसेंट की वृद्धि हुई है, जौनपुर से मुंगरा बादशाहपुर जाने वाली बस पर ३६.५ प्रतिशत और इसी तरह से जौनपुर से सिंगरामऊ जाने वाली बस पर ३३.५ प्रतिशत की वृद्धि हो गई है । इसको देखते हुए मंत्री जी पुनः ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इतनी अधिक वृद्धि न हो और रेट में कुछ कमी कर दें ?

श्री मुजफ्फर हसन—इतनी तफसील तो मेरे पास नहीं है । लेकिन मैं इत्मीनान दिलाता हूं कि इतनी वृद्धि कहीं नहीं हुई जिसका वह जिक्र कर रहे हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—अभी एक माननीय सदस्य कल बरेली से लखनऊ आये हैं और अपर क्लास में आये, उनको पहले २.५६ रु० अपर क्लास का किराया देना पड़ता था, अब ३.०८ रु० कल देकर आये हैं । तो मंत्री जी बतायेंगे कि जो परसेंटेज के हिसाब से फर्क आता है उसकी जांच करायेंगे कि इतना भाड़ा क्यों देना पड़ा ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैंने लोअर क्लास का वर्क आउट करके बता दिया कि ४८ मील जो ७७ किलोमीटर है उसका ३ पाई फी किलोमीटर अपर क्लास का किराया पड़ता है । उसमें मेरे खयाल में कोई फर्क नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार कानपुर-लखनऊ रूट्स की दरों को अन्य रूट्स पर भी प्रचलित करेगी जहां बस और रेल साथ-साथ चलती हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैंने तो अर्ज किया, ऐसे तमाम रूट्स पर कुछ उलटपलट हुआ है ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—लांग रूट पर चेंज करके किलोमीटर का हिसाब कर दिया गया है लेकिन शहर में निश्चित दरें हैं । जैसे १० नये पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिये क्योंकि ५ परसेंट के हिसाब से एक चौथाई आता है और उसका कोई राउंड फिगर नहीं होता; लेकिन १० पैसे के बजाय ११ पैसे वसूल किये जा रहे हैं, तो क्या यह इल्लीगल नहीं है ?

श्री मुजफ्फर हसन—इस दिक्कत को देखते हुए कि शहर में बहुत छोटा किराया है और ५ परसेंट के इजाफा से दिक्कत होती है तो ओरिजिनली मैंने उसे नहीं रखा था । लेकिन हाउस में जब ये भावनायें प्रकट की गयीं कि शहर और जिले का फर्क किया गया है तो हमें उसे मजबूरन करना पड़ा और जरूर शहर में इन तब्दीलियों से दिक्कत पड़ रही है ।

मुहल्ला अर्मापुर-कानपुर में चोरी, राहजनी और डकैती की घटनाओं के संबंध में नियम ५२ के अन्तगत वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संतसिंह यूसुफ ने दफा ५२ के अन्तर्गत कानपुर की जिन घटनाओं के बारे में ध्यान आकर्षित किया है वे इस प्रकार हैं :—

"अर्मापुर इस्टेट शहर के बाह्य प्रदेश में कालपी रोड पर छोटी हथियारों की फैक्टरी के सामने स्थित है । यह इस्टेट प्रतिरक्षा विभाग की एक कालोनी है, जिसमें मुख्यतया आर्डिनेंस फैक्टरी के नागरिक कर्मचारी रहते हैं । कालोनी के निवासियों द्वारा कुछ आउट-हाउसेज बाहरी व्यक्तियों को किराये में उठा दिये गये हैं तथा कुछ व्यक्तिगत मकान भी बना लिये गये हैं । कालोनी की कुल जनसंख्या १२,००० है । यहां पर इस समय कोई अभियंत्रण विद्यालय या टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं बनाया जा रहा है ।

इस वर्ष १ जनवरी, १९६२ से लेकर ११ अक्तूबर, १९६२ तक कुल ४० हस्तक्षेप के अपराध इस कालोनी में दर्ज किये गये हैं । दिन तथा रात में मिला कर सेंध लगाने के आठ मामले हुए और यह कहना गलत है कि दिन दहाड़े यहां पर ताले तोड़ दिये जाते हैं । मकान लूटे जाने का एक मामला तथा दूसरा मामला मकान लूटे जाने के साथ हत्या का भी हुआ । साधारण चोरी के छः मामले तथा साइकिलों की चोरी के तीन मामले दर्ज किये गये । सम्पत्ति की चोरी के अन्य कोई मामले नहीं दर्ज किये गये । इस वर्ष इस कालोनी में डकैती का कोई भी मामला नहीं हुआ ।

गम्भीर किस्म के निम्नलिखित फौजदारी के अपराध पिछले कुछ महीनों में हुए हैं । वास्तव में यह ही गम्भीर आरोप इस वर्ष हुए हैं—

१—मकान में सेंध लगाने का एक मामला जो जुलाई १/२, १९६२ के रात में हुआ और जिसमें २,४१७ रुपये के मूल्य की सम्पत्ति आर्डिनेंस फैक्टरी के एक रिटायर्ड एकाउन्टेंट के घर से हटा ली गई । इस मामले का पता लगा लिया गया है और अपराधी, जो कि इस कालोनी के निवासी थे, पकड़ लिये गये हैं तथा उनका चालान कर दिया गया है ।

२—मकान लूटे जाने के साथ हत्या का एक मामला जो कि अगस्त १५/१६, ६२ की रात्रि को हुआ था जिसमें मकान के एक निवासी की जिसने संभवतः हत्यारे को पहिचान लिया था, उस्तरे से सांस की नली काट लिये जाने से हत्या कर दी गई। इस मामले के सभी अपराधी जो इस कालोनी के निवासी थे और जिनमें प्रतिरक्षा विभाग के सुरक्षा दल का एक दरबान भी सम्मिलित था, पकड़ लिये गये हैं और विशेषज्ञों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनका चालान कर दिया जायगा । इस दूसरे मामले के अपराधी भी, केवल दरबान को छोड़कर, पहले मामले के ही अपराधी हैं ।

३—सेंध लगाये जाने का एक मामला, जो अक्तूबर ५/६, १९६२ की रात्रि को आर्डिनेन्स फैक्ट्री के फोरमैन के मकान में हुआ और जिसमें १२,५४० रुपये की कीमत की सम्पत्ति जिसमें मुख्यतया नगदी तथा जेवरात शामिल थे, चोरी की गयी । वादी ने केवल एक ही दरवाजे को बन्द किया था जो कि प्रातः काल के समय तार की जाली को काट कर खोल दिया गया । वादी तथा उसके परिवार के लोग प्रातः ३.३० में सोने को गये और अपराधी ने उनके ऊपर नियंत्रण रखी होगी और उनके सो जाने के बाद ही अपराध किया होगा । इसलिये यह निश्चय है कि कालोनी में रहने वाले लोग ही इसमें शामिल हैं । जांच-पड़ताल जोर-शोर से जारी है परन्तु बशहरे के कारण उसकी प्रगति जरा रुक गयी है ।

[श्री नवलकिशोर]

यह कहना सही न होगा कि इस कालोनी में नागरिक निवासियों की सुरक्षा के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । इस कालोनी में एक पुलिस चौकी जिसमें एक सब-इंसपेक्टर, एक हेड कांस्टेबिल तथा १५ कांस्टेबिल हैं, प्रति रक्षा विभाग द्वारा दिये गये मकान में स्थित हैं ।"

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---मैं खुद इस कालोनी में गया और वहां जांच की । जांच करने के बाद मेरी रिपोर्ट यह है कि चोरियां और इस तरह की घटनायें ज्यादा हैं लेकिन आपकी सूचना को मैं सही मान लूं तो भी ८ चोरी, एक कत्ल और एक डकैती, ये कम नहीं हैं, बहुत काफी हैं । और मैं आपसे यह प्रार्थना करूं कि यह मेरी अकेले की राय नहीं है, उस कालोनी में पांच यूनियनें हैं, चार आई० एन० टी० यू० सी० की और एक इंडिपेंडेंट .....

श्री उपाध्यक्ष---आप सवाल कर लीजिये, यह तो आप भाषण दे रहे हैं ।

श्री संतसिंह यूसुफ---मैं बैकग्राउन्ड बता रहा हूं । पांचों यूनियनों ने एक राय से तय करके सेन्ट्रल गवर्नमेंट और आपसे प्रार्थना की कि उनकी सुरक्षा का ठीक ढंग से इन्तजाम किया जाय । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने इसके बारे में क्या किया । क्या कोई आप ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उनमें कान्फीडेंस आये ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, कोई केस इस कालोनी में डकैती का नहीं हुआ । मैंने यह कभी नहीं कहा कि वहां डकैती पड़ी । जहां तक चोरियों की बात है, मैंने स्वयं कहा कि छोटी-मोटी ४० घटनायें हुई हैं । यह कोई संतोष की बात नहीं है । यह चोरियां इत्यादि सीसामऊ थाने के अन्तर्गत हुई थीं । अब हम फजलगंज के अन्दर एक थाना खोल रहे हैं और डिफेन्स डिपार्टमेंट को हमने लिख भी दिया है कि अगर वह हमें बिल्डिंग दे दें तो फिलहाल पुलिस की संख्या बढ़ा कर हम १ सब-इंसपेक्टर, ३ हेड कांस्टेबिल और १८ कांस्टेबिल कर देंगे ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---यह जो हमीरपुर का आपने कहा है, तो राहजनी का वहां इतना जोर है कि रात को १० बजे के बाद वहां पर लोग चल नहीं सकते । तो क्या आपको मालूम है कि वहां पर जो कुछ बाहर के लोग आते हैं, क्योंकि आपने ऐसा कहा है कि जो दूसरे जिलों के लोग हैं पुलिस को मालूम नहीं होता, तो उन लोगों का एक गिरोह है और मेरा ऐसा खयाल है कि अभी उसी के नजदीक पनकी स्टेशन की चौकी के सब कांस्टेबिल्स का तबादला किया गया है क्योंकि वहां के सिपाही और चीफ साहब खुद एक रात को पकड़े गये एक मकान के अन्दर और वहां के एस० पी० ने तमाम तबादले किये । जब से ये नये इन्चार्ज साहब आये हैं उनके जमाने से राहजनी की शिकायत ज्यादा है, लोगों के अन्दर भय है और रात के १० बजे के बाद वे अपने मुहल्ले के अन्दर नहीं निकल सकते । तो क्या मंत्री जी इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे कि वहां पर पुलिस वाले खुद भी चोरी में पकड़े गये हैं ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, इस स्टेटमेंट में बहुत-सी बातें पूछी गई हैं । जिस बात का आप कहें मैं जवाब दे दूं ।

श्री उपाध्यक्ष---एक ही सवाल होना चाहिये । स्पीच में तो भूल जाते हैं ।

श्री बलवानसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस चौकी पनकी के चीफ और दो पुलिस कांस्टेबिल एक मकान में इसलिये पकड़े गये कि वे चोरी करने आये थे और उनका तबादला हो गया है ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह बात सही है कि वहां की ४-५ यूनियनों ने इस तरह का तार सरकार और गृह मंत्री के पास भेजा है कि लोग अरक्षा की भावना महसूस कर रहे हैं ? अभी मंत्री जी ने बताया कि डिफेंस डिपार्टमेंट से लिखा पढ़ी चल रही है । अगर वे इजाजत दे देंगे तो पुलिस की तादाद बढ़ायेंगे और नई चौकी खोलेंगे । संभवतः इसमें देरी हो जाय, इसलिये सरकार इस संबंध में क्या करने जा रही है ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, मैंने दो बातें बताईं । एक तो यह कि नया थाना खोलेंगे और दूसरी यह कि पुलिस की संख्या बढ़ायेंगे । लेकिन जैसा कि माननीय चन्द्रजीत जी ने कहा कि लोगों में ऐसा आतंक है, इसकी सूचना सरकार के पास नहीं है कि बड़ी घबराहट की बात है ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—श्रीमन्, अभी १५ रोज पहले एक सुपरवाइजर के यहां १५ हजार रुपये की चोरी हुई है तो ऐसी वारदातें चल रही हैं। अगर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से जमीन के मिलने में देर हो तो पास ही राजनगुरुवा में जगह है । सरकार का काम है कि आम जनता की सुरक्षा करे बहाने बजाय इसके कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को लिखे ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इस बात की पूरी कोशिश की जायगी कि अगर लोगों के अन्दर ऐसी कोई बात है तो उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाय ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि पुलिस की कार्यक्षमता गिरती जा रही है, कानपुर में ही नहीं बल्कि मंत्री जी के यहां भी तीन मर्तबा चोर पकड़े गये और चोरों की हिम्मत बढ़ती जा रही है, पुलिस की ताकत बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, कार्य-क्षमता गिरती नहीं जा रही है बल्कि उसका इस्तेमाल माननीय मित्र की वोटों के ऊपर चल रहा है। इसलिये कुछ वहां लग गई हो, ऐसी बात हो सकती है ।

सदन के भावी कार्य-क्रम के संबंध में जानकारी

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, आज सोमवार है। क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस सप्ताह का कार्य-क्रम क्या होगा ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—यह विधेयक चल रहा है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—आप इसमें कितने दिन लेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जितना आप कम से कम समय लें उतना ही अच्छा होगा ।

मद्य निषेध बोर्ड के लिये चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, तीन वर्ष के

[डाक्टर सीताराम]

लिये पुनस्संघटित होने वाले राज्य मद्य-निषेध बोर्ड में कार्य करने के लिये, विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, तीन वर्ष के लिये पुनस्संघटित होने वाले राज्य मद्य-निषेध बोर्ड में कार्य करने के लिये, विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री चैतन्यराज सिंह (जिला अलीगढ़)—श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय विराजमान थे तो उन्होंने कहा था कि किसी कारणवश नहीं, वैसे ही दो सदस्य निलंबित हो गये, उन्होंने रूलिंग दे दी। उसका हम आदर और स्वागत करते हैं लेकिन मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य निलम्बित हो गये हैं जिनका जिक्र माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद के प्वाइन्ट आफ आर्डर में था उस रूलिंग को तो आनर करते हैं। उसके ऊपर आपत्ति नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि आदरणीय सदन के उन माननीय सदस्यों का निलम्बन समाप्त कर दिया जाय और उनको कार्यवाही में भाग लेने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—नेता सदन से परामर्श करके बातचीत कर लें।

श्री चैतन्यराजसिंह—हमारा निवेदन है, श्रीमन्....

श्री उपाध्यक्ष—वह तो रूलिंग हो गयी।

श्री चैतन्यराजसिंह—मैं प्रस्ताव कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि आपस में विचार करके ले आइयेगा प्रस्ताव।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—चैतन्यराजसिंह जी का एक प्रस्ताव है। वह प्रस्ताव ले आ रहे हैं। उस प्रस्ताव पर तो आप विचार कीजिये। वह जब फार्मल प्रस्ताव रख रहे हैं तो उस पर विचार कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—इस तरह से आना ठीक नहीं है। माननीय नेता सदन से बातचीत कर लीजिये। उसके बाद आ जायगा।

अब हम उठते हैं। दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

†उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२ (क्रमागत)*

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिन जब मैं इस भूमि जोत-कर विधेयक पर बोल रहा था तो मैं माननीय गेंदासिंह और डाक्टर जेड० ए० अहमद

---

†४ सितम्बर, १९६२ को पुरः स्थापित किया गया।

*५ अक्तूबर, १९६२ की कार्यवाही से।

साहब ने जो कुछ सवाल उठाये थे, उनका जवाब दे रहा था। डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने यह फरमाया था कि वह इस बात को पसन्द करेंगे कि उनके आँकड़ों का जवाब आँकड़ों से दिया जाय और सदन में नीतियों को लेकर के यदि संघर्ष हो तो ज्यादा अच्छा है। मान्यवर, मुझे खेद है कि डाक्टर अहमद साहब इस समय यहाँ तशरीफ नहीं रखते हैं और माननीय गेंदासिंह जी भी नहीं हैं। बहरहाल, मैं कोशिश करूंगा कि जो आपत्ति उन्होंने इस विधेयक के सम्बन्ध में उठायी है उनका जवाब मैं दूं। मान्यवर, सभी पार्टियों के जो नेता थे वह अब तक बोले हैं, डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब और माननीय गेंदासिंह तथा उन सबका लुब्बोलवाब यह था कि बावजूद इसके कि उत्पादन बढ़ा है, कीमतें बढ़ी हैं, बल्कि घटी हैं। किसानों को जो आमदनी होती है वह अब कम होती है और यह भी कहा गया कि देहात की पर कैपिटा इन्कम घटी है और टैक्सेशन के सम्बन्ध में भी कहा गया कि देहात में टैक्सेशन बहुत है। इस सम्बन्ध में बहुत आँकड़े भी दिये गए हैं।

मान्यवर, सबसे पहले मैं आपकी आज्ञा से प्रोडक्शन की बात लेता हूं कि उत्पादन किस अनुपात में बढ़ा है। अगर ५०–५१ को १०० मानें तो दस सालों के अन्दर २६.८ परसेंट इन्क्रीमेंट ऐग्रीकल्चरल इन्कम में हुई है उत्तर प्रदेश के अन्दर और इन्कम के अलावा अगर उत्पादन लें तो फूडग्रेन के अन्दर २२ परसेंट वृद्धि हुई है। शुगर केन में ३४ परसेंट, आलू में २४ परसेंट और आयल सीड्स में ६९ परसेंट की वृद्धि हुई है। यह, मान्यवर, मैंने जनरल फिगर्स दी हैं। अब मैं मुख्य मुख्य कुछ क्राप्स (फसलों) के आँकड़े पेश करना चाहता हूं। मान्यवर, चावल जो कि हमारे यहाँ ५०–५१ में ५.२७ मन फी एकड़ पैदा होता था, ६०–६१ में ७.९४ मन फी एकड़ हो गया है। गेहूं ८.८ से १०.९४ मन हो गया। जौ ९.६१ से १०.०१ हो गया। मक्का ८.५१ से १०.२८ हो गयी, यह ५९–६० की फिगर हैं। चना ६.६ से ७.७८ मन हो गया। अरहर १२.४७ से १४.७२ मन हो गयी। मटर ८.६४ से १०.७९ मन हो गयी। शुगर केन ३१५ मन से ४४४ मन हो गया। जूट १० से बढ़कर १३.८६ मन फी एकड़ हो गया। मस्टर्ड सीड ४.०१ से ५.४१ मन हो गया। (व्यवधान) यह ५०–५१ और ६०–६१ का मुकाबला मैं कर रहा हूं। टुबैको (तम्बाकू) ८.६१ से ९.०४ मन हो गया। मान्यवर, यह तो मैंने आपको उत्तर प्रदेश के आँकड़े दिये। मेरे पास कुछ आँकड़े १९५९ के हैं हिन्दुस्तान के उनको मैं उत्तर प्रदश के आँकड़ों के मुकाबिले में पेश करना चाहता हूं। ज्वार की पैदावार उत्तर प्रदेश के अन्दर ६८३ पौंड फी एकड़ थी और हिन्दुस्तान की पैदावार ३४३ पौंड थी। बाजरा उत्तर प्रदेश के अन्दर ५८६ और पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर २२० पौंड; बार्ली यू० पी० में ८०३, हिन्दुस्तान में ६६९, मक्का यू०पी० में ६७९ हिन्दुस्तान में ५६०, चना यू० पी० में ५९२, हिन्दुस्तान में ४३३ और शुगर केन यू० पी० में २,७६५, हिन्दुस्तान में २,६३२ पौंड। १९६०–६१ के अन्दर गेहूं हिन्दुस्तान में ९.१ मन फी एकड़ और यू० पी० में १०.९ मन था।

अब मैं, मान्यवर, दूसरे प्रदेशों से उत्तर प्रदेश का मुकाबिला करना चाहता हूं। एक चावल को छोड़कर और सबमें उत्तर प्रदेश काफी आगे है। चावल में जरूर ऐसा है कि उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है। मद्रास व बंगाल वगैरह काफी आगे हैं। लेकिन ज्वार में मद्रास फर्स्ट है, यू० पी० फोर्थ है। बाजरे में मद्रास फर्स्ट है और यू० पी० थर्ड है। मक्का में पंजाब फर्स्ट है और यू० पी० फोर्थ है। गेहूं के अन्दर पंजाब फर्स्ट है और यू० पी० थर्ड है। जौ के अन्दर राजस्थान फर्स्ट है और यू० पी० थर्ड है। चना में पंजाब फर्स्ट है और यू० पी० थर्ड है। अरहर में यू०पी० फर्स्ट है। इन सब बातों से साबित होता है कि और प्रदेशों के मुकाबले में हमारा प्रोडक्शन भी काफी अच्छा रहा है। खराब नहीं रहा है। एक बात और है कि डाक्टर साहब ने जो आँकड़े पेश किये हैं वह बड़ी होशियारी से उन्होंने आंकड़े पेश किये। उन्होंने चावल और गेहूं के आँकड़े जो दिये हैं वह ६०–६१ के ही दिये। जब हमारे यहाँ ज्यादा पैदावार हुई उसके आँकड़े नहीं दिये। सन् १९६२ के आँकड़े उन्होंने नहीं दिये। मैं उसका भी स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। आपका कहना था कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की कीमतें घटी हैं। यह चीज सही नहीं है। मैं हिन्दुस्तान की बात छोड़ता हूं। हिन्दुस्तान के आँकड़े

[श्री नवलकिशोर]

नहीं देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। १९४८–४९ को यदि १०० मान लें तब कीमतें इस प्रकार हैं—

	१९६०	१९६१	१९६२ (जुलाई तक)
१	२	३	४
गेहूं	८३.१	७६.१	७६.४
चावल	८८.५	८४.६	८४.१
चना	११५.०	..	१२२.९
जौ	९६.९	..	..
मक्का	९१.३	१०९.१	..
बाजरा	१२०.४	१२२.९	..
ज्वार	१०६.६	..	..

दालों के बारे में भी कीमतें इस प्रकार से हैं :—

	१९६०	१९६१	१९६२
१	२		३
अरहर	१०९.९	..	१४२.४
उर्द	१२०.४	..	१६७.८
मूंग	१२०.३	१४२.५	..
खली सरसों	१३५.३	..	१४७.५
बिनौला	१२२.९	..	..
अलसी	१३६.६	..	१६१.२
तिल	१३५.२	..	१५१.५
मूंगफली	१४७.२	..	१७९.७
सन	१५०.५	२४०.७	१७४.८
काटन	१८३.७	..	..
गुड़	११४.३	..	१३८.२
तम्बाकू	११९.२	..	१३५.२

विधान सभा प्रदेश

डाक्टर साहब ने सिर्फ दो फसलों की बात कहीं। यह बात कही गयी कि सन् १९४७ के मुकाबले में किसान को कीमत कम मिलती है। यह भ्रम की बात है। यह सही बात नहीं है कि इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस की प्राइस बढ़ती जा रही है। मान्यवर, मैं इस बात को बतलाना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की कीमत ऊपर जा रही है और इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस की कीमतें गिरती जा रही हैं। शुगर की कीमत सन् १९६० में ११७ थी जो १९६१ में १११.४ हो गई। काटन कपड़े की कीमत भी १९६० में ११९ थी जो १९६१ से ११६.२ हो गई। माचिस की कीमत १९६० में १६० थी जो १९६१ में १५५ हो गई। इसी प्रकार से खद्दर की कीमत ६० में ९६ थी जो १९६१ में ९४ रह गई।

मैं इस बात को मानता हूं कि इंडस्ट्रियल प्राइस के अन्दर जो पैरिटी की बात करते हैं वह उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिये लेकिन फिर भी वह हमवार होती जा रही है। उन्होंने यह कहा कि पर कैपिटा इन्कम घटी है। सो, मान्यवर, पर कैपिटा इन्कम ५०-५१ में सारे प्रदेश की २५९.६२ थी जबकि वह १९६०-६१ में आकर २६८.७१ हो गई। उन्होंने यह बतलाने की कोशिश की कि जो देहात के आँकड़े हैं और जो देहात की इन्कम है वह घटी है। मान्यवर, मैं नहीं जानता कि उन्होंने आँकड़े कहाँ से लिये, लेकिन जो आँकड़े मेरे पास हैं वह यह हैं कि १९४८-४९ की बेसिस पर १९५०-५१ में देहात की पर कैपिटा इन्कम १९४.७४ थी जब कि १९६०-६१ में २०५.४१ हो गयी। इस के बाद शहर की स्थिति आप देखिये। १९४८-४९ को जो कीमतें हैं उनके अनुसार ५०-५१ में जो इन्कम पर कैपिटा ६९८.२८ थी वह ६०-६१ में ६८६.३४ हो गयी। मेरे कहने का मतलब यह है कि आँकड़ों के अनुसार उनकी बात सही नहीं साबित होती। यह ठीक है कि देहात की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी जितनी कि बढ़नी चाहिये, लेकिन वह घटी है यह कहना सही नहीं है।

इसके बाद उन्होंने सवाल उठाया कि टैक्सेशन की क्या आवश्यकता है और इसके बाद उन्होंने उदाहरण दिये। मैं इसकी बैकग्राउन्ड एक मिनट में बतलाना चाहता हूं। पहले तो मैं बतलाना चाहता हूं कि जिस समय थर्ड प्लान बना उस समय स्टेट्स की प्रचलित रेवेन्यूज से बैलेंस क्या था १९६०-६१ के टैक्सों की दरों के आधार पर। और यह मैं ४, ५ स्टेट्स का बतलाना चाहता हूं। यह है बैलेंस फ्राम करेंट रेवेन्यूज ऐक्ट १९६०-६१ रेट्स आफ टैक्सेशन—आंध्र का १४.८ करोड़, आसाम का ७ करोड़, बिहार का १९.८ करोड़, गुजरात का १०.२ करोड़, जम्मू काश्मीर का ८ करोड़, केरल का १०.६ करोड़, मध्य प्रदेश का माइनस ७.७ करोड़, मद्रास का माइनस ३०.२ करोड़, महाराष्ट्र का ३०.६ करोड़, मैसूर का ९.८ करोड़, उड़ीसा का माइनस २१.१ करोड़, पंजाब का १४ करोड़, राजस्थान का .५ करोड़, वेस्ट बंगाल का ११.३ करोड़ और उत्तर प्रदेश का माइनस ४३.५ करोड़। इसके बाद देखिये रिसोर्सेस विदआउट टेकिंग इनटू एकाउन्ट एडीशनल टैक्सेशन आंध्र में ५२ करोड़, आसाम में १७ करोड़, बिहार में ६९ करोड़, गुजरात में ९३ करोड़, जम्मू काश्मीर में ५ करोड़, केरल में ३५ करोड़, मध्य प्रदेश में ४५ करोड़, मद्रास में ५६ करोड़, महाराष्ट्र में १६८ करोड़, मैसूर में ६८ करोड़, उड़ीसा में ५ करोड़, पंजाब में ५७ करोड़, राजस्थान में ४८ करोड़, वेस्ट बंगाल में ५० करोड़, और उत्तर प्रदेश में केवल ३८ करोड़। उस पर भी सभी प्रदेश अपने यहाँ तीसरी योजना के लिये अतिरिक्त टैक्स लगा रहे हैं।

मेरे कहने का मतलब यह है कि इन दो प्लान्स के बाद हम अपने रिसोर्सेस को ज्यादा डेवलप नहीं कर पाये और उसकी वजह यह थी कि पहले और दूसरे प्लान में लोयेस्ट पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट हमारे प्रदेश में हुआ है और इसी वजह से जो १४७ करोड़ का कमिटमेंट है उसमें हमको १०९ करोड़ की आवश्यकता है और वह हम को जुटाना है। माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू हिन्दुस्तान में हाइयेस्ट है। उनकी बात को, मान्यवर, मैं बड़ा मान देता हूं, मगर उनसे यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो एवेरेज लैंड रेवेन्यू है वह फी एकड़ ४.५ रुपया है जब कि बिहार में ४.९४ है। अगर माननीय गेंदासिंह जी एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को जोड़ लें जो कि अब यहाँ नहीं है तो चार, पाँच स्टेट्स और भी हैं जिनका लैंड

[श्री नवलकिशोर]

रेवेन्यू का एवरेज उत्तर प्रदेश के ऊपर होगा। तो यह बात कि यहाँ का रेवेन्यू हाईएस्ट है, सही नहीं है।

इसके अतिरिक्त जिन स्टेट्स को कम रुपया इकट्ठा करना है उन्होंने भी भूमि पर टैक्स लगाया है। मिसाल के लिये, आंध्र ४ करोड़ रुपया एडीशनल टैक्स लगा रहा है भूमि पर जब कि उनका लैंड रेवेन्यू ४.९ करोड़ है। हमारा करीब २१ करोड़ के आता है जिसमें हम केवल ३ करोड़ ६० लाख के करीब इस संशोधन द्वारा और लेने जा रहे हैं। हमारा बैठता है १/६, जबकि उनका ८० परसेंट के करीब होता है। श्रीमन्, आसाम में वह २५ परसेंट में ५० परसेंट अपने यहाँ एडीशनल लगाने जा रहे हैं, गुजरात में २० परसेंट और इसी तरह से और भी स्टेट्स हैं। मध्य प्रदेश की बात अभी चल रही है और बिहार का मैंने बता दिया कि ४.९४ है।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। माननीय गेंदासिंह की यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिये कि जब तक एग्रीकल्चरल इकोनामी रहेगी और स्टेट का इन्डस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा और जब तक भूमि पर इतना ही बरडेन (भार) बना रहेगा, तब तक मेन सोर्स आफ इन्कम में लैंड रेवेन्यू भी रहेगा और इसका एक ही तरीका है कि प्रदेश का औद्योगीकरण किया जाय। आप स्वयं देख लें कि जहाँ यह हुआ है वहाँ पर लैंड रेवेन्यू कम हुआ है।

मान्यवर, यह कहा गया कि हम १०९ करोड़ रुपये का उत्तर प्रदेश में टैक्सेशन लगाने जा रहे हैं, जबकि यहाँ यूं ही टैक्स ज्यादा है। मैं आपकी आज्ञा से इन्सीडेन्स आफ टैक्सेशन पढ़ देना चाहता हूं, जो कि इस प्रकार है—

१९५९–६० की पर कैपिटा टैक्सेशन इन्सीडेन्स इस प्रकार है:—

आंध्र	११·१
आसाम	११.२४
बिहार	६.४७
जम्मू काश्मीर	४.१९
केरल	१०.०७
मध्य प्रदेश	७.६५
मद्रास	१०.९८
महाराष्ट्र	१२.२९
मैसूर	९.७७
उड़ीसा	४.२९
पंजाब	११.८
राजस्थान	८.७९
उत्तर प्रदेश	७.२१
वेस्ट बंगाल	१२.७३

१९६०–६१ और १९६१–६२ में और प्रदेशों में जिस अनुपात में यह इन्सीडेन्स बढ़ा है उत्तर प्रदेश में उससे कहीं कम हुआ है।

इसी तरह, मान्यवर, एडीशनल टैक्सेशन थर्ड प्लान में पर कैपिटा इस प्रकार है:—

	पर कैपिटा
आंध्र	२.९४
आसाम	२.७०
बिहार	२.१४
गुजरात	२.८०

जम्मू काश्मीर	..	४.४६
केरल ..	..	२.७२
मध्य प्रदेश	..	२.९६
मद्रास ..	..	२.६६
महाराष्ट्र..	..	२.६२
मैसूर ..	..	३.५६
उड़ीसा ..	..	२.७०
पंजाब ..	..	३.९४
राजस्थान..	..	३.१६
उत्तर प्रदेश..	..	२.९४
वेस्ट बंगाल..	..	२.२९

इतना नया टैक्सेशन होने वाला है। यहाँ भी उत्तर प्रदेश में कई प्रदेशों से कम ही है।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में, जैसा मैंने कहा था, यह दिक्कत भी हुई कि जो पर कैपिटा इन्कम कम हुई, यह जो सेकेन्ड प्लान तक इतने रिसोर्सेज हम नहीं इकट्ठा कर सके, उसकी वजह यह थी कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेन्ट कम से कम हुआ। सेकन्ड प्लान में उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा लागत ३३.५३ थी, जबकि आल इंडिया ५९.९३ और पंजाब का हाइयेस्ट ८०.६२ था। अगर फर्स्ट और सेकेन्ड प्लान का मिलाकर देखें तो मालूम होगा कि आल इंडिया का औसत ८७.४१, उत्तर प्रदेश में सब से कम ५९.१४ और पंजाब का हाइयेस्ट १७५.७० था।

मान्यवर, मैं थर्ड प्लान की बात कहना चाहता हूं। माननीय गेंदासिंह जी ने एक बात कही थी कि हमारा प्लान और बड़ा होना चाहिये था। ७०० करोड़ से भी ज्यादा का होना चाहिये था। उन्होंने यह भी कहा कि प्लानिंग कमीशन ने एक हिन्ट यह दिया है कि हम मैक्सिमम ग्रांट में से काटेंगे नहीं, यानी ३५० करोड़ दे देंगे चाहे आप अपने साधनों से कम भी इकट्ठा करें।

मान लीजिये कि आपका आर्गूमेंट सही है तो अगर प्लान प्रून किया गया यानी काटा गया तो पर कैपिटा लागत कम हो जायगी। मैं गेंदा सिंह जी से कहना चाहता हूं कि ५०२ करोड़ के इनवेस्टमेंट होने पर भी आपका इनवेस्टमेंट फी आदमी अब भी सबसे कम है—यानी ६७.३४ है, जबकि आल इंडिया का औसत ८९.७१ और काश्मीर का २१८ है। तो अगर हम अपने कमिटमेंट को पूरा न करें तो क्या वह चाहते हैं कि वह और कम हो जाय जिससे यह प्रदेश पीढ़ियों तक (फार जनरेशन्स टु कम) बहुत पीछे हो जाय और लोगों तथा इतिहास को कहने का मौका मिले कि सरकार और यहां के लोग जनहित के लिये तैयार और जागरूक नहीं थे ?

माननीय जेड० ए० अहमद नहीं हैं, उन्होंने तमाम आंकड़े दिये कि देहात में टैक्सेशन ज्यादा है, शहर में कम है—उन्होंने यह नहीं कहा कि शहर में यदि कम है तो वहां और ज्यादा बढ़ाया जाय। तो "the Cat was out of the bag" अगर उनकी बात भी मान लें तो जो आंकड़े उन्होंने दिये थे टैक्सेशन के उनका देहात और शहर को रेशियो २:१ आती है जबकि आबादी का अनुपात ७:१ है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जो ५:२ करोड़ का थर्ड प्लान है उसमें से कितना देहात के ऊपर खर्च होने वाला है। मैंने हिसाब जोड़ा है; तो ३२१ या ३२२ करोड़ देहात पर खर्च होगा और १४४ सोशल सर्विसेज और रोड्स पर जो कि देहात और शहर दोनों के लिये हैं। उसके बाद हम यह नहीं कह सकते हैं कि वह केवल शहर के लिये है, देहात के लिये नहीं है।

[श्री नवलकिशोर]

एक बात सब ने कही और नेता जनसंघ ने शुरूआत की—जेड० ए० अहमद ने भी कही कि इस सरकार को टैक्सेज बढ़ाने का अधिकार नहीं है। वजह बतलाई कि चूंकि कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डिफरेंसेज हैं इसलिये कांग्रेस सरकार को बिल लाने का अधिकार नहीं है। मैं जेड० ए० अहमद साहब की बात तो समझ सकता हूं। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी तो चल ही नहीं सकती, बावजूद इसके कि उसकी जबानी हमदर्दी भले ही जनतन्त्र से हो, क्योंकि वह जानते हैं कि उनके यहां पार्टी में डिफरेंसेज के माने हैं कि या तो पर्ज करो या लिक्वीडेट करो। लेकिन गेंदा सिंह जी से मैं जानना चाहता हूं कि जनतांत्रिक संस्थाओं की वर्किंग का क्या आधार है और उनकी इस सम्बन्ध में क्या धारणा है। मैं तो समझता था कि जनतांत्रिक प्रणाली के अन्दर किसी भी प्रश्न के ऊपर दो ओपीनियन्स हो सकती हैं, विचार-विनिमय होता है और आखिर में अगर एक मत हो तो अच्छा है पर यदि न हो तब जो बहुमत से तय होता है वह सब के लिये मान्य होता है। यही कांग्रेस में भी है। यद्यपि इस तरह की किसी भी पार्टी के अन्दर की बातें हाउस में नहीं आनी चाहिये थीं क्योंकि यह संसदीय परम्परा नहीं है। फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो तमाम बातें कही जाती हैं डिफरेंसेज की, जैसी कि उन बेंचेज से पहले भी कही जा चुकी है, उससे विरोधी पक्ष का कोई फायदा होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी अब भी उतनी ही ठोस है जितनी कि पहले थी। विरोधी पक्षों के मुकाबले में हम सब एक हैं।

एक बात यह भी कही गयी है कि ३४ परसेंट वोटों से जीत कर आये हैं इसलिये टैक्स लगाने का क्या अधिकार है। मैं जानना चाहता हूं कि ६६ परसेंट वोटों के ठेकेदार कौन हैं। मान्यवर, आज अपोजीशन की हालत यह है कि वह ८ जगह बटी हुई है और एक मजाक की चीज यह है कि उसमें एक पार्टीलेस पार्टी, निर्दलीय दल, भी है। यह अपरेंटली बड़ी ही पैराडाक्सीकल सिचुएशन मालूम पड़ती है कि हर आदमी स्वतन्त्र है। मैं ६६ परसेंट के हिसाब को बांटना चाहता हूं। कांग्रेस का वोट ३६.११ परसेंट है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने कहा भी था कि कांग्रेस ३५ परसेंट वोट से जीत कर आयी है, यद्यपि उन्होंने एक दिन बड़ी सैन्सीबल बात कही थी कि यह सरकार तो पार्लियामेंटरी तरीके से आई है और कोई दूसरी पार्टी उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती। लेकिन वही बाद को यह भी कह गये कि आप तो ३५ परसेंट से जीत कर आये हैं। मैं पूछता हूं कि आप कितने परसेंट से जीत कर आये हैं। श्रीमन्, उनका परसेंटेज ४.९६ है। पी० एस० पी० का ११.५१ है, जनसंघ का १६.८०, सोशलिस्ट पार्टी का ८.१७, स्वतन्त्र पार्टी का ४.६२, हिन्दू महासभा का १.०५, रिपब्लिकन पार्टी का ३.७२, इंडिपेंडेंट पार्टी का १२.६८। मान्यवर, अगर कोई भी एक ऐसा आदमी होता जो तमाम विरोधी पार्टीज को कमांड करता होता तब तो मैं यह समझ लेता कि वह मिलकर ६६ परसेंट या इतने भारी परसेंटेज से जीत कर आये हैं। यहां तो न इनका कोई कामन प्रोग्राम है और न ही कामन आइडियोलाजी है, कामन प्लेट फार्म की बात तो कोसों दूर रही। सब अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग गाते हैं और तुर्रा यह है कि हम ६६ परसेंट से जीत कर आये हैं और यह कांग्रेस पार्टी ३४ परसेंट से जीत कर आयी है। अच्छा मजाक है!

माननीय गेंदासिंह जी ने एक बात यह कही कि इतिहास हमको माफ नहीं करेगा। मैं इस बात को मानता हूं कि जो पार्टी गलतियां करती हैं उसको इतिहास कभी माफ नहीं करता। मगर, श्रीमन्, बदकिस्मती यह है कि जब कभी भी देश में कोई मूवमेंट आया तो सो-काल्ड सोशलिस्ट पार्टियों ने अपना पार्ट अदा नहीं किया। श्रीमन्, फर्स्ट वार के बाद नाजिज्म और फासिज्म का किस प्रकार उदय हुआ, वह भी इतिहास हमें याद है। वहाँ योरोप के अन्दर सब से ज्यादा सेटबैक समाजवाद को वहां की जो सोशलिस्ट पार्टी कहलाती थी उसके कारण हुआ, उन्हीं की गलतियों के कारण नाजिज्म और फासिज्म आया। मैं माननीय गेंदासिंह जी से कहना चाहता हूं कि वे अपने छोटे भाई की चेतावनी को सुनें, मुझे डर है कि कहीं ऐसा

न हो कि हिन्दुस्तान के इतिहासकारों को यह कहने का मौका मिले कि हिन्दुस्तान के अन्दर, जबकि निर्माण का वक्त था, निर्माण हो रहा था, तो जिस तरह से कांसीट्यूएंट असेम्बली को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने बायकाट किया और न जाने कितनी गलतियां कीं उसी तरह आज भी समाजवादी पार्टियों ने फिर गलतियां कीं और उनको ताकत दी जो हिन्दुस्तान में नाजिज्म और फासिज्म लाना चाहते हैं ।

मुझे ताज्जुब है कि वह पार्टी जो समाजवाद में आस्था रखती है वह टैक्सेशन का विरोध कैसे करती है। श्रीमन्, हम तो १ करोड़ २२ लाख खातों में से ११ लाख खातों पर ही टैक्स लगा रहे हैं। उस पर इतना शोरगुल है कि हमको इतिहास माफ नहीं करेगा ? श्रीमन्, मैं पूछता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी का सन् १९४२ के आन्दोलन और आज चीन के मामले में जो सिद्धान्त तथा नीति रही है क्या उसके लिये इतिहास उनको माफ करेगा। मैं एक मिसाल दे दूं रोम के इतिहास की कि :—

"Nero was fiddling while Rome was burning".

उसी तरह से अगर मैं यह कहूं तो गलत न होगा कि :

"When U. P. was burning, opposition parties were fiddling".

श्री यादवेन्द्रदत्त—यह किस तरफ से बोल रहे हैं आप, क्या उन ९९ आदमियों में आप थे या नहीं ?

श्री नवलकिशोर—अब यह ९९ का चक्कर तो मुझे मालूम नहीं है कि वह क्या था।

मान्यवर, एक बात यह कहना चाहता हूं कि डाक्टर अहमद साहब भी अब आ गये हैं, उन्होंने एक बात यह पूछी थी कि क्या टैक्स इंडिसपेंसेबिल हैं। मैंने अभी अर्ज किया था कि स्टेट के पास सोर्सेज आफ टैक्सेशन बहुत कम हैं। माननीय गेंदासिंह जी के पास तो एक अमलतास है कि शुगर मिल्स को नैशनलाइज कर दो। फैक्ट्रीज के ऊपर टैक्सेशन बढ़ा दो। वह ऐसी बात बताते हैं जो हमारे काबू के बाहर की है।

डाक्टर अहमद साहेब ने कुछ बातें बतलाईं। उन्होंने कहा कि आडिट रिपोर्ट में है कि १२९ करोड़ रुपया तो खर्च ही नहीं किया गया। मैंने उस दिन भी उन्हें जवाब दिया था। ये १२९ करोड़ ५ साल के जो फीगर्स हैं, पेज १३ पर, आडिट रिपोर्ट में दिये हैं उसमें दिया है कि ५६-५७ में हम २५ करोड़ खर्च नहीं कर पाये, यानी १५ परसेंट, ५७–५८ में, २३ करोड़ नहीं खर्च कर पाये। यह बजट का हुआ १२.९ परसेंट। ५८–५९ में २६ करोड़ नहीं खर्च कर पाये, यह है १३.४ परसेंट बजट का। ५९–६० में १७.९ है और ६०–६१ में १०.३ परसेंट है। इसमें कमी हो रही है। उनसे गलती इसमें यह हुई कि उन्होंने पांचों को जोड़ दिया। हमने स्वयं माना है कि दूसरी योजना में हम करीब २२ करोड़ खर्च नहीं कर पाये। यह सब रुपया इसलिये नहीं खर्च हो सका कि फारेन एक्सचेंज की, ट्रांसपोर्ट बाटिलनैक, निर्माण सम्बन्धी सामान और टेक्नीकल परसोनल इत्यादि की दिक्कतें थीं। जब डाक्टर अहमद साहेब ने यह १२९ करोड़ रुपया बिना खर्च हुआ बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि १०९ करोड़ रुपया चाहिये था सो अब तो हमें २० करोड़ रुपया अधिक मिल जायगा। मगर जब ढूंढा तब देखा कि वह केवल आंकड़ों में बह गये थे, था वहां कुछ नहीं।

एक बात यह कही गई कि आडिट रिपोर्ट में २,७५,००,००० रुपये के आडिट आब्जेक्शन्स हैं। कहा गया कि बंगलिन्ग है, वेस्टेज है। लेकिन उसमें सच्चाई यह है कि हमारा बहुत-सा खर्चा सही ढंग से नहीं हुआ। वेस्टेज नहीं है। हो सकता है कि १५६ करोड़ के बजट में कहीं १०/२० लाख का वेस्टेज हो। उस रुपये के खर्चे में फाइनेंशल हैंड बुक के रूल्स और रग्यूलशन्स सही तरीके से आब्जर्व नहीं किये गये। हमारा सौभाग्य है कि माननीय डाक्टर साहेब अब हमारी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन हैं और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हम उनकी काबलियत का पूरा-पूरा फायदा उठाना चाहते हैं और आश्वासन तो मुख्य

[श्री नवलकिशोर]

मन्त्री जी देंगे अगर मैं विश्वास करता हूं कि जो माकूल सुझाव उनकी ओर से आवेंगे सरकार उन पर जरूर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

एक बात इकानामी की कही गई। डाक्टर साहेब ने एक मिसाल पेश की कि उनकी समझ में यह नहीं आया कि फारेन फर्म्स को ट्यूबवेल बनाने की परमिशन क्यों दी गई और ८३,००० रुपये फी ट्यूबवेल कास्ट आ गई। इत्तिफाक है कि इस विषय को ऐस्टीमेट्स कमेटी में मैंने भी छाना था। टी० सी० एम० की इमदाद से गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमें कुछ रुपये दिये थे और कुछ कन्डीशन्स लगाई थीं। उन्होंने ही फारेन फर्म्स को ठेका दे दिया था तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार न भी चाहती तो भी हम मजबूर थे, क्योंकि हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया की कंडीशन्स पर वह मन्जूर किया था।

कुछ ओवर-लैपिंग आफ डिपार्टमेंट्स की चर्चा की गई। कहीं-कहीं यह बात सही हो सकती है। मगर इस सरकार ने अभी हरिजन वेलफेयर और सोशल वेलफेयर को इंटीग्रेट किया। मैं समझता हूं कि कुछ और डिपार्टमेंट्स भी इंटीग्रेट किये जा सकते हैं। माननीय अहमद साहेब और गेंदा सिंह जी अपना थोड़ा समय खर्च करके सरकार को बताने की कृपा करें कि कौन से डिपार्टमेंट्स ओवर-लैपिंग हैं, ताकि गवर्नमेंट उनके बारे में सोचे।

शायद दुबे जी ने कहा था कि नवलकिशोर जी ने कभी यह कहा था कि २० करोड़ की इकानामी हो सकती है। मैंने अपनी तमाम रिपोर्ट्स को ढूंढा। मैंने कभी भी २० करोड़ की बात नहीं कही। एक बात जरूर कही कि इकानामी की गुंजाइश है और आज भी कहता हूं। मुख्य मन्त्री जी ने उसमें शुरुआत की है। यह भी कुछ भाइयों ने बतलाया कि सीनियर आफीसर्स की कान्फ्रेंस में यह तय हुआ कि टू स्टार्ट विद हम ५ करोड़ की इकानामी करेंगे १ साल में। मेरा खयाल है कि ऐसी इकानामी हो सकती है। मगर वह स्टेज कभी आने वाली नहीं है जबकि हम यह कहें कि आगे इकानामी की गुन्जाइश नहीं है, क्योंकि वे आफ लाइफ में इकानामी की हमेशा गुन्जाइश रहती है।

कहा गया कि वर्ष के अन्तिम महीनों में, फरवरी, मार्च में खर्चा बहुत अधिक होता है। सरकार ने शासकीय आज्ञा दे दी है कि सैंक्शन में जो देर होती है वह न हो और तमाम साल में खर्चा यूनीफार्म तरीके से हो।

डिसेंट्रेलाइजेशन या विकेन्द्रीकरण भी एक बहुत बड़ा कदम इसलिये है कि हम हर स्तर पर जनता के प्रतिनिधियों का विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं और यह पैसा उन्हीं के द्वारा खर्च करना चाहते हैं। यदि उतना मेच्योर्ड नेतृत्व हमें मिल जाय तो मुझे विश्वास है कि इकानामी की तरफ हमारा कदम और भी तेजी से उठेगा।

एक बात फ्रेगमेंटेशन की कही गई कि खातों के टुकड़े हो जायेंगे, यह एक राय की बात है। मेरी फीलिंग है कि हमको इसका कोई अन्देशा नहीं है।

गेंदासिंह जी ने कहा कि हमारे सूबे में लोन्स पर ब्याज की दर सब से ऊंची है। ये लोन्स हमारे यहां दो प्रकार के होते हैं--एक तो तकावी जिसमें ५ १/२ परसेंट का ब्याज फिक्स्ड है, लेकिन जो लोन्स सहकारी सोसाइटी के हैं उनमें यह है कि हम सोसाइटीज को ६ से ९ परसेंट तक देते हैं। किसान को ८ ३/४ पर सेंट पर कर्जा मिलता है। गवर्नमेंट के आर्डर्स चले गये हैं कि १/४ परसेंट कम हो जाय, यानी ८ १/२ परसेंट हो जाय। मैंने और प्रान्तों के रेट्स जानने की कोशिश की। केरल में शार्ट और मीडियम टर्म का इन्टरेस्ट ९ परसेंट है, मध्य प्रदेश में ९ परसेंट है, पंजाब में ९ ३/८ पर सेंट यानी ९.३ पर सेंट, तो वह इस मायूसी में न रहें कि हमारे यहां दरें सबसे ज्यादा हैं।

एक बात और कही गई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर की। माननीय नरसिंह नारायण जी ने भी कही। मगर जो आंकड़े उन्होंने दिये वे कुछ सही नहीं थे। उन्होंने कुछ

ज्यादा आंकड़े दे दिये थे। मैं उनके आंकड़े ठीक करके बतला दूं। उन्होंने १९३६–३७, १९४७-४८ और १९६२–६३ के आंकड़े दिये। सन् १९३६–३७ में ४.२० करोड़ रुपया खर्च हुआ जबकि हमारा बजट था १२.४ करोड़ का, यानी करीब ३२ परसेंट हुआ। १९४७–४८ में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर था ११.०७ करोड़ जबकि बजट था ३८ करोड़ ७२ लाख का, करीब २८ परसेंट हुआ। सन् १९६२–६३ में १९१ करोड़ का बजट है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर है २८ करोड़ ४५ लाख, जो १५ या १६ परसेंट भी मुश्किल से आवेगा। तो इसके मायने यह हैं कि हर साल हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर बजट के अनुपात में घटता जा रहा है। यद्यपि मुझे इस बात को मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि उसमें और किफायत हो जाय तो और भी अच्छा होगा। जहां तक दूसरी स्टेट्स की बात है भारत की दो-तीन छोटी-छोटी स्टेट्स को छोड़ कर हमारे यहां उत्तर प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर काफी कम है। यह सब मैं आत्म सन्तोष के लिये नहीं, बल्कि इस बारे में उनकी जो मायूसी है उसको दूर करने के लिये ही यह बात बता रहा हूं।

श्री नरसिंह नारायण जी ने एक ही बात कही कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। जिनको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का थोड़ा सा भी ज्ञान है वे जानते हैं कि जिनको बिल के प्रिंसिपल्स से इत्तफाक होता है वे ही प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव करते हैं। मुझे खुशी है कि माननीय नरसिंह नारायण जी इस विधेयक के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं। चूंकि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह बात कह दी थी कि अगर सब लोग समय का ध्यान रखें, उचित उपयोग उसका हो तो जितने समय की इसके लिये आवश्यकता होगी, उतना समय दिया जायगा और उसमें आपके जो माकूल सुझाव होंगे, उनको मानने के लिये भी हम तैयार हो जायेंगे।

बकाया की वसूली की बात कही गयी। यह ठीक है कि एरियर्स को वसूल किया जाय, कर भी रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन एरियर्स कभी भी स्टेट के एडीशनल रिसोर्सेज नहीं हो सकते, यहां सवाल है ऐडीशनल रिसोर्सेज का। फिर अगर एरियर्स को ही देखा जाय तो गवर्नमेंट आफ इंडिया के एरियर्स ३०० करोड़ हैं। उसके मुकाबले में हमारे तो कुछ भी नहीं हैं।

माननीय नेता विरोधी दल ने फरमाया कि इसको जनमत के लिये भेज दिया जाय। अपनी छोटी-सी जिन्दगी में मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि टैक्सेशन के बिल पर जनता की राय मांगी गयी हो। मेरा खयाल है उनको जिम्मेदारी से बातें करनी चाहिएं कि अगर कहीं अपनी गलती से हम यहां से हट जायं और उनको सरकार बनानी पड़े तो क्या वैसी बात कर सकेंगे। इसलिये यह एक फेन्टेस्टिक आइडिया है। किसी भी पार्लियामेंटरी कन्ट्री में ऐसा नहीं होता।

एक बात उन्होंने यह कही कि साढ़े बारह एकड़ से कम की भूमि अनइकोनामिक होल्डिंग है। जहां तक मैंने प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट, बड़े-बड़े एकोनामिस्ट्स की राय और (Agrarion) एग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी की राय को पढ़ा, मुझे कहीं यह नहीं मिला कि साढ़े बारह एकड़ अनएकनामिक होल्डिंग है। हां, इस माने में तो भले ही हो सकता है कि ३ एकड़ भी उसमें आ जाता है। सब लोगों ने सवा ६ एकड़ से कम को अनएकोनामिक होल्डिंग माना है और सवा ६ एकड़ को एकोनामिक माना है। जहां तक इर्रीगेटेड लैंड की बात है हमारा सदैव से यह प्रयास रहा है और है कि शत प्रतिशत भूमि इर्रीगेटेड हो जाय।

राजस्व मन्त्री जी ने जो ५ साल की बात कही उसको उन्होंने कहा कि यह केवल स्टन्ट है। उनको हमारी नेकनीयती भी स्टन्ट ही दिखायी देती है। सरकार की यह नेकनीयती है कि उसने इसको केवल ५ साल के लिये उस समय रखा है और अगर उसकी आवश्यकता न रही तो फिर इसको खत्म कर दिया जायगा।

[श्री नवलकिशोर]

माननीय नेता विरोधी दल ने गांवों का ऐसा चित्र खींचा कि वहां तो केवल नर कंकाल हैं, नर संहार हो रहा है। इन्सान गोबर से अन्न निकाल कर खाता है। एक बार इसके लिये मैं उनको बधाई दे दूं कि आज जनतन्त्र में उनको क्रो कोडाइल टीयर्स जनता के लिये बहाना तो आया। यह बात तो उस समय की थी जब कि उन राजों महाराजाओं का समय था। ८ एकड़ का किसान भी गोबर में से अन्न बीन कर खाता है, यह बात केवल जनसंघ के नेता के ही मस्तिष्क और बुद्धि में आ सकती है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैंने यह नहीं कहा था, आप गलत कह रहे हैं। मैंने लोकसभा की बात कही, सही बोलें।

श्री नवलकिशोर—उन्होंने कहा कि गोबर में से निकला हुआ अन्न खाते हैं। मेरा कहना यह है कि यह टैक्स जो लगेगा वह ८ एकड़ से ऊपर के काश्तकारों पर लगेगा। आप कृपया प्रैक्टिकल बात कीजिये, उन आदमियों की बात कीजिये जिनके ऊपर इस टैक्स का बोझ पड़ने वाला है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी यहां बैठे हुये हैं, वे कृपया बतला दें कि ८ एकड़ से ऊपर के काश्तकारों पर जो यह टैक्स लगेगा वह मल्टीपिल होगा या फ्लैट रेट पर होगा ?

श्री नवलकिशोर—वक्त आने पर उसे बतला देंगे। एक बात, मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने यह भी कही—जिस समय माननीय राजस्व मन्त्री ने कहा कि यह देश और प्रदेश के नव-निर्माण का महायज्ञ है, इसमें छोटे बड़े सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी आहुति दें, अपना योगदान दें—तो उस पर माननीय दुबे जी ने हंस कर कहा कि यह महायज्ञ नहीं है बल्कि रक्त यज्ञ है। इस देश में पहले महारक्त तथा रक्त यज्ञ भी हुये हैं, इसे हम सभी जानते हैं। परन्तु राजा साहब यह भी जानते हैं कि १५ अगस्त को इस तरह के रक्त महायज्ञ समाप्त हो गये और बचे खुचे जो छोटे-छोटे रक्त यज्ञ थे वे जमींदारी एबालिशन के बाद खतम हो गये। यही नहीं बल्कि यह भी उन्होंने कहा कि स्टेगनेंट एकोनामी के बजाय सेल्फ डेवलपिंग एकोनामी की योजना होनी चाहिये। आखिर हम इन योजनाओं द्वारा क्या कर रहे हैं? इन योजनाओं का लक्ष्य ही यह है?

श्री यादवेन्द्रदत्त—१५ वर्ष तक क्या करते रहे?

श्री नवलकिशोर—मैंने अभी बतलाया कि हमारी इनकम कितनी बढ़ी, हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ा, फिर भी मुझ से पूछते हैं कि १५ साल तक क्या होता रहा?

श्री यादवेन्द्रदत्त—यह भी तो बतलाइये कि एकरेज कितना बढ़ा?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जितनी आपत्ति उठायी गयी, उन सबका जवाब मैंने दे दिया है। एक बात आखिर में उन्होंने कही कि इसका एक दुष्परिणाम होगा, एक भयंकर तूफान आयेगा। मैं बिना किसी अहंकार के राजा साहब को बतला देना चाहता हूं कि हम तो तूफान में ही पैदा हुये और तूफान में ही हमारा पालन-पोषण हुआ है। आप देखें तूफान की बात। मान्यवर, मुझे ताज्जुब हुआ जबकि उस दिन माननीय गेंदासिंह जी ने सत्याग्रह को जस्टिफाई किया था आज की डेमोक्रेसी और नियोजन के युग में। बहरहाल, मैं उसकी कन्ट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं माननीय गेंदा सिंह जी से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस देश के जो सर्वमान्य विचारक आचार्य विनोबा व जय प्रकाश जी हैं और जो अपने को गांधीवादी समझते हैं, जिनका आधारभूत सिद्धान्त गांधीवाद

है, उन सब की यह राय है कि इस समय इस देश में सत्याग्रह के लिये कोई स्थान नहीं है । जहां तक जनसंघ का सम्बन्ध है, उसकी तो एक खूबी है . . . .

(व्यवधान)

नेचर ने सबको आंखें दी हैं कि वे सामने देखें, लेकिन जनसंघ हमेशा पीछे देखता है । प्राचीन संस्कृति, प्राचीन विचार यानी जनसंघ हमेशा भूतकाल में रहता है, वर्तमान को नहीं देखता है और न भविष्य को पहचानता है ।

आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय दुबे जी के एक साथी माननीय लोकपाल सिंह के भाषण को मैंने सुना । उन्होंने बहुत ही काव्यपूर्ण भाषण दिया और उन्होंने राजा महाराजाओं की बड़ी तारीफ की कि आजकल राजा महराजा कैसे रहते हैं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—नये राजा साहब जो बैठे हैं उनके बारे में क्या कहना है ?

श्री नवलकिशोर—प्राचीन काल में ऐसा होता था कि राजा महाराजा जब कहीं जाते थे तो उनके साथ में कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जो उनका यशगान किया करते थे, उनकी वंशावली गाते थे । उन्होंने भी गाई वहां तक मुझको कोई आपत्ति नहीं है मगर . . . . . ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—वही काम आज आप भी कर रहे हैं ।

श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, जितने भी असुर और राक्षसों का नाम रामायण में आया है, उन सब नामों से उन्होंने गवर्नमेंट को तथा हमारे साथियों को सम्बोधित किया मैं इसका क्या जवाब दूं । केवल तुलसीदास जी ने जो रामायण में एक चौपाई कही है उस से केवल मैं आधी चौपाई कहूंगा, पूरी नहीं कहूंगा । उन्होंने कहा है कि "तुलसी बुरा न मानिये . . . . . ।

मान्यवर, मुझे स्वतंत्र पार्टी से कोई शिकायत नहीं है अगर यह इस टैक्स का विरोध करते हैं क्योंकि उनकी आस्था नियोजन में है, न जनतंत्र में है और न किसी तरक्की की चीज में है। मैं श्री जेड० ए० अहमद से जरूर एक बात कहूंगा क्योंकि उनकी आस्था नियोजन में है और जैसा कि वह कहते हैं कि हमारी आस्था जनतंत्र में है तो मैं उन से और माननीय गेंदासिंह जी से कहूंगा कि आज हमारे भारत में जनतांत्रिक नियोजन का एक बड़ा एक्सपेरीमेंट हो रहा है जो अन्य किसी जनतांत्रिक देश में नहीं हुआ और जिसका कोई प्रीसिडेंस अभी तक हमें इन्सपायर करने के लिये प्राप्त नहीं है किसी देश का ! इसकी कामयाबी पर ही सारे देश की, न सिर्फ देश की बल्कि सारी एशिया की डेमोक्रेसी की सफलता निर्भर है। यह तीसरी प्लान देश और प्रदेश के ढांचे को बनाने में एक भारी मोड़ है अगर हम इसके द्वारा देश और प्रदेश की जनता को सही दिशा में मोड़ सके तो अवश्य ही हम प्रगति की ओर अग्रसर हो सकेंगे और अगर हम माननीय गेंदासिंह जी की तरह बहक गये तो भटक जायेंगे । टैक्स लगाना किसी को अच्छा नहीं लगता पर फर्ज को अदा करना पड़ता है, इसलिये वह यह डर निकाल दें कि कहीं वह इस संघर्ष में आईसोलेट न हो जायं और वह प्रतिक्रियावादी शक्तियों का शिकार होने से अपने को बचावें । यह कहना कि टैक्स न लगे, वह न दिया जाय यह कोई साहस या विशेष अक्लमन्दी की बात नहीं है, वह पुराने नेता हैं, समाजवादी भी हैं, जनतांत्रिक विचारधारा के भी हैं और यह पार्टियां जिनका विश्वास जनतंत्र और समाजवाद में है और नियोजन में है उन का फर्ज है कि वे कांग्रेस पार्टी के कन्धे से कन्धा मिलाकर किसानों से अपील करें कि वह गरीब हैं, इसलिये अधिक से अधिक मेहनत कर के अधिक से अधिक पैदावार करें और उसमें से कुछ हिस्सा आहुति और योगदान के रूप में इस निर्माण और नियोजन के महान् यज्ञ में ताकि सारे प्रदेश का जीवन स्तर ऊंचा हो । देश समृद्धिशाली बने और जो स्वप्न देश के नेताओं और पूज्य महात्मा गांधी ने देखा था उस को हम साकार कर सकें । इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और जो संशोधन पेश किये गये हैं उनका विरोध करता हूं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, मैंने जो पहले प्रश्न किया था कि एकरेज कितना बढ़ा है और उसके रिलेशन में टैक्स का परसेंटेज क्या है. . . .

श्री नवल किशोर—मैंने श्रीमन्, अब अपना भाषण समाप्त कर दिया है, इसलिये अब दुबारा फिर कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नवल किशोर जी ने अभी कहा कि उधर से कोई माकूल सुझाव अगर आये तो हम मान सकते हैं । उत्तर प्रदेश के आज के वातावरण में जो सब से ज्यादा माकूल सुझाव मैं दे सकता हूं, वह यह है, कि इस बिल को अविलम्ब वापस ले लें । यह मैं केवल किसानों के हित में नहीं, प्रदेश के हित में नहीं, बल्कि उन्हीं के हित में कह रहा हूं । यह उन्हीं के हित में है कि वह इस बिल को अविलम्ब वापस लेलें । जब यह बिल यहां लाया गया तो मुझे बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ । परन्तु मुझे यह स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं है कि दुख मुझे कम हुआ है और आश्चर्य अधिक हुआ है । दुख कम होने का कारण यह नहीं है कि इस विधेयक को मैं किसी तरह से भी न्याय-संगत समझता हूं, यह बिल मेरे विचार से किसानों के साथ घोर अन्याय है । लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि इस प्रदेश के किसान ऐसे जुल्म और ज्यादतियों को सहने के आदी हैं और उन्होंने अनेक शासकों के क्रूर अत्याचारों को सहन किया है और उन में सहन करने की आदत पड़ गई है । यह जरूर है कि उनकी आह और कराह में इतनी शक्ति है, कि बड़े से बड़ा साम्राज्य भस्म हो जाता है और मुझे संदेह नहीं कि यदि वर्तमान सरकार भी किसानों को अपने साथ न रख सकी और उनके हितों की रक्षा न की गई तो यह राज्य भी अधिक दिनों तक कायम न रह सकेगा ।

आश्चर्य का कारण यह है कि कांग्रेस का जो इतिहास रहा है उसको देखते हुये ऐसे विधेयक की आशा नहीं की जाती थी । कांग्रेस जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में फली फूली, जिसने दरिद्र-नारायण की सेवा करना अपना कर्त्तव्य समझा, और उसी का व्रत लिया था, जिसने किसानों को अपनी शक्ति संचय का साधन बनाया था, जिसने जमींदारी उन्मूलन किया था और कहा था कि ४० वर्षों तक भूमिधरों का लगान नहीं बढ़ेगा और जिसने अपने इतिहास में कम से कम पचीसों बार इस प्रकार के प्रस्ताव पास किये थे कि किसानों का लगान कम किया जाय, छोड़ दिया जाय या घटाया जाय, वही कांग्रेस आज किसानों पर इस तरह का कर लगायेगी, यह बात सोची भी नहीं जा सकती थी, इसीलिये हमें विशेष आश्चर्य है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं, हम तो मालगुजारी नहीं बढ़ा रहे हैं, जोत कर बढ़ा रहे हैं । यह दलील उन्होंने कहीं कानपुर में दी थी और समाचार पत्रों में जब मैंने पढ़ा तो मुझे एक कहानी याद आ गई । एक शराबी था जो बहुत शराब पीता था । एक दिन उसके सगे संबंधियों ने उसको घेरा और कहा कि यह बहुत बुरी बात है, तुम शराब पीना बन्द करदो । उसने कहा अच्छी बात है आज से मैं शराब को ओठों से नहीं लगाऊंगा । लोग संतुष्ट हो गये कि उसकी बुरी आदत छूट गयी, लेकिन कुछ दिनों बाद देखा गया कि वही आदमी शराब के नशे में मस्त था । लोगों ने कहा तुमने तो वायदा किया था कि शराब नहीं पीयेंगे, यह क्या करते हो । तो उसने कहा मैंने शराब पीने के खिलाफ वायदा नहीं किया था बल्कि यह कहा था कि शराब को ओठों से नहीं लगाऊंगा । मैंने तो यो पी है, ओठों से नहीं लगाया इसी प्रकार से मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं यों टैक्स लगा रहे हैं । क्या अन्तर है भूमिकर और जोत कर में ? एक ही किसान और एक ही जमीन से वसूल होना है ? यह तो वही बात रही जैसे उस शराबी ने ओठों से शराब नहीं लगायी, लेकिन पी जरूर ।

श्रीमन्, उस समय मेरा आश्चर्य और भी बढ़ गया जब माननीय नवल किशोर जी ने इस विधेयक के औचित्य को दिखाने के लिये रूस और चीन का उदाहरण दिया । उन्होंने कहा रूस में साढ़े ३७ और चीन में ३३ फीसदी किसानों से उपज का मालगुजारी में वसूल किया गया । श्रीमन्, मैं इसलिये दुखी हूं कि उन्होने अपने पुराने इतिहास को नहीं देखा, अपने नेताओं की बात नहीं कही पुराने प्रस्तावों का ध्यान नहीं दिया, उनका ध्यान गया रूस और चीन की ओर । यही तो दुखः है और यही परेशानी का कारण बना हुआ है कि आज कि कांग्रेस सरकार अपनी पुरानी बातो को न देख कर, पुराने नेताओं की बात को न मानकर रूस और चीन की

तरफ निगाह उठाये हुये हैं। हम जानते हैं रूस और चीन में किसानों के साथ अन्याय हुए हैं, तो क्या वर्तमान कांग्रेस सरकार उन्हीं का अनुकरण करेगी ? माननीय नवल किशोर जी ने कांग्रेस के एक भी प्रस्ताव का हवाला नहीं दिया, मैं उस कमी को आपकी अनुमति से पूरा करना चाहता हूं। जिस समय कांग्रेस बनी उसने इस बात का आश्वासन दिया और प्रस्ताव पास किया कि किसानों का लगान घटाया जायगा। सबसे पहले अहमदाबाद में १९०२ में प्रस्ताव पास हुआ "भारत सचिव के सन् १८६२ और १८६७ के खरीतों की शर्तों के अनुसार उन जगहों में इस्तमरारी बन्दोबस्त कर दी जाय जो कि उसके योग्य हो गई हों, और जिन स्थानों पर सरकार इस समय स्थायी बन्दोबस्त करना उचित नहीं समझती हो यहां लगान में कमी की जाय और कानून में इसकी रोक रखी जाय।"

इसी प्रकार से १९०३ में प्रस्ताव पास किया सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं केवल सन् और जहां-जहां कांग्रेस हुई और प्रस्ताव पास हुए वही बतलाऊंगा। १९०३ में मद्रास में, १९०४ में बम्बई में, १९०५ में काशी में जिसमें कहा गया इस कांग्रेस की राय है कि भारत समान कृषि प्रधान देश की सम्पत्ति की रक्षा उस समय तक नहीं हो सकती जब तक जमीन का लगान नियंत्रित न रहे जैसा कि लार्ड कैनिंग ने सन् १८६२ और लार्ड रिपन ने सन् १८८२ में प्रस्ताव किया था।

इस कांग्रेस को दुख है कि लार्ड कर्जन ने सन् १९०२ के अपने जमीन सम्बन्धी प्रस्ताव में ऐसा नियंत्रण नहीं रखा है और राइट आनरेबिल सर रिचार्ड गार्थ तथा अन्य याददाश्त देने वालों ने जो सलाहें दी थीं उन्हें मानने से इंकार कर दिया है।

श्रीमन्, यह पुरानी बातें हैं। मैं नये युग की बातें भी आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रति वर्ष यह प्रस्ताव पास किये गये हैं। कलकत्ता में १९०६ में, मद्रास में १९०८ में, लाहौर में १९०९ में, कलकत्ता में १९११ में, कराची में १९१३ में और मद्रास में १९१४ में। फिर अन्तिम प्रस्ताव कराची में १९३१ में पास हुआ था जिसे मैं आप के सामने पढ़ रहा हूं।

"कृषकों द्वारा जो लगान या मालगुजारी दी जाती है उसमें काफी कमी की जाय और जिन आराजियों को लाभ न होता हो उनका लगान आवश्यक समय तक के लिये माफ किया जाय। इस माफी के कारण जहां आवश्यकता हो वहां छोटे जमींदारों के साथ रियायत की जाय।"

इसी प्रकार कांग्रेस ने यह भी पास किया था कि लगान अतिरिक्त आय पर पावना होना चाहिये, लेकिन यह पावना अतिरिक्त आय के सम्बन्ध में ही पावना हो सकता है। फिर एग्रेरियन रिफार्म कमेटी की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है। लगान का उचित सिद्धान्त यह होना चाहिये कि लगान के रूप में काश्तकार को केवल उस रकम का एक अंश देना पड़े जो अपने निजी और पारिवारिक खर्चों तथा उत्पादन का लागत से खर्च पूरा करने के बाद उसके पास बच रहें। यह अत्यावश्यक है कि लगान के मौजूदा बोझ को घटाया जाय और अलाभकर आराजियों को लगान से बरी कर दिया जाय।

अन्त में मुझे यह कहना है कि यदि इन प्रस्तावों के अनुकूल कांग्रेस का आचरण होता तो हम को विरोध करने की कोई आवश्यकता न पड़ती। लेकिन वह अपने सारे वायदों और प्रस्तावों को भूल चुकी है। साथ ही भूमिधर बनाते समय जो लिख कर प्रत्येक भूमिधर को दिया था जो कि एक प्रकार से रिटन कांट्रेक्ट है कि ४० वर्ष तक किसानों की मालगुजारी नहीं बढ़ाई जायगी उसको भी यह सरकार भुला देना चाहती है। सोचना पड़ता है कि कौन सी बात ऐसी हो गयी, क्या ऐसा परिवर्तन हुआ कि कांग्रेस जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले किसानों की सबसे बड़ी हितैषी थी आज वह किसानों का गला घोटने को तैयार है। इस परिवर्तन का कारण आगे चल कर भारतवर्ष के इतिहासकार बतायेंगे। परन्तु मैंने इस विषय पर सोचा, तो मेरी समझ में यह बात आई कि आज की और पुरानी कांग्रेस के नेतृत्व में तथा सिद्धांत में अन्तर हो गया है। पुरानी कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में गांधीवाद के रास्ते

[श्री भानुप्रतापसिंह]

पर चल रही थी, और आज यह नेहरू जी के नेतृत्व में समाजवाद के रास्ते पर चल रही है। आज समाजवाद का भूत कांग्रेस के सर पर चढ़कर बोल रहा है। जब कभी मैं समाजवाद की आलोचना करता हूं, तो इधर के बैठने वाले मित्रों की भी भृकुटियां चढ़ जाती हैं। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं। मेरा उनसे निवेदन है कि वह समाजवाद को अन्धविश्वास का विषय न बनायें। समाजवाद को सामाजिक न्याय से अलग कर के उसे देखें, समझें और उसके असली स्वरूप को पहचानने की कोशिश करें। मैं कहना यह चाहता हूं कि सामाजिक न्याय के लिये समाजवाद आवश्यक नहीं है और इस बात का प्रमाण मैं केवल इतना ही दे सकता हूं कि महात्मा गांधी जिन्होंने जीवन पर्यन्त गरीबों की सेवा की थी, उन्होंने समाजवाद को कभी स्वीकार नहीं किया। एक बार यही बात मैंने इस सदन में पहले भी कही थी। उस समय माननीय सुशीला रोहतगी जी ने कहा था कि इसको वह स्वीकार नहीं कर सकतीं। आज मैं महात्मा गांधी के शब्दों में ही उन्होंने समाजवाद के विषय में क्या कहा था आपकी अनुमति से, इस सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह पुस्तिका "माई सोशलिज्म" के नाम से प्रकाशित हुई है और नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद से प्राप्त की जा सकती है। इस पुस्तिका में लिखा हुआ है : "जब सुधारक जनता को समझा बुझा कर ठीक रास्ते पर लाने में असमर्थ होते हैं, तब समाजवाद की टैक्निक का जन्म होता है। मैं इन्हीं प्रश्नों के हल करने में लगा हुआ हूं जो समाजवादियों के सामने है। परन्तु मेरा ढंग बिल्कुल विशुद्ध अहिंसा पर आधारित है। मैं समाजवादी कार्यक्रम की उन बुनियादी मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता, जो इस धारणा पर आधारित हैं कि धनिकों तथा जन-साधारण में और मिलमालिकों तथा मजदूरों में वर्ग-संघर्ष आवश्यक है तथा उनके लिये मिल जुल कर काम करना असम्भव है। मेरा लम्बे अर्से का अनुभव इस के विपरीत है यदि केवल सरकार द्वारा ही सभी उद्योग धंधे तथा व्यापार व्यवसाय चलाये जायेंगे, तो नैतिक और बौद्धिक दृष्टि से लोग दरिद्र हो जायेंगे। अतः मैं उद्योग पतियों और जमीन के मालिकों को अपने कारखानों और अपनी जमीन को अपने ही हाथों में रखने दूंगा। परन्तु मैं उनको इसके लिये तैयार करूंगा कि वे अपने आप को सम्पत्ति का मालिक न समझकर केवल संरक्षक समझें। समाजवादी और साम्यवादी दोनों ही आर्थिक समानता लाने के लिये वर्गों में घृणा पैदा करना तथा उसे और अधिक बढ़ावा देने में—विश्वास करते हैं।"

श्रीमन्, यद्यपि महात्मा गांधी की बातें कहना भी इस युग में एक तरह से असंगत मालूम होता है, क्योंकि आज जितनी अवहेलना महात्मा गांधी के कहे हुये शब्दों की इस देश में हो रही है, शायद और कहीं न होती हो, लेकिन फिर भी यह बात तो स्पष्ट है ही कि बावजूद इसके कि महात्मा गांधी सामाजिक न्याय के सब से बड़े समर्थक थे, फिर भी उन्होंने समाजवाद के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया था। आज मैं स्वतंत्र पार्टी की तरफ से कहता हूं कि सामाजिक न्याय के लिये आप कोई भी कदम उठावें हम उसमें आपके साथ पूरा-पूरा सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन समाजवाद, जिसका अर्थ है कि हमारे उत्पादन के साधन, विनिमय और वितरण के साधन सब सरकार के हाथ में हों उसको हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं और उसी का हम विरोध करते हैं।

श्रीमन्, सम्भव है कि आप कहें कि ये सब बातें आज इस बिल के संबंध में क्यों कही जा रही हैं, तो मैं बतलाना चाहता हूं कि इस बिल से समाजवाद का सीधा संबंध है। समाजवाद का यदि कोई अर्थ है, तो यह है, कि उत्पादन के जितने साधन हैं, वह समाज या सरकार के हाथ में हों। उत्पादन के साधनों को यदि सरकार को अपने हाथों में लेना है, तो उसको कहीं न कहीं से पूंजी प्राप्त करनी पड़ेगी। यदि सरकार स्वयं सब उद्योग-धंधों को लेना चाहती है तो स्पष्ट है कि उसको कहीं से पूंजी लानी होगी और पूंजी लाने के दो ही रास्ते हो सकते हैं। या तो जैसा रूस और चीन में हुआ कि सारे उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की सम्पत्ति को बिना मुआविजा दिये ले लिया जाय। एक तरीका यह है और दूसरा तरीका पूंजी इकट्ठा करने का

यह है कि गरीबों पर टैक्स लगाया जाय। पहला मार्ग जो रूस और चीन में अपनाया गया, उसको अपनाने में वर्तमान सरकार के सामने कई कठिनाइयां हैं। एक तो हमारा संविधान है, जो इस तरह के अपहरण की इजाजत नहीं देता। लेकिन संविधान की कोई ज्यादा इज्जत वर्तमान शासकों की निगाह में नहीं है, वह कई बार उसे बदल चुके हैं, परन्तु सब से बड़ा कारण यह है, कि हमारे शासकगण उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को सम्पत्ति इसलिये नहीं ले सकते हैं, कि उन्हीं के धन से यह चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में जीत कर इन कुर्सियों पर आ बैठते हैं। इसलिये जबतक इस देश में चुनाव की प्रथा है, तबतक कांग्रेस पार्टी कभी भी उद्योगपतियों को आसानी से नाराज नहीं कर सकती। अगर इन पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की सम्पत्ति छीनना है, तो कांग्रेस को चुनाव की प्रथा को समाप्त करना पड़ेगा, इस देश में अधिनायकवाद लाना पड़ेगा। अधिनायकवाद लाने के लिये कांग्रेस पार्टी अभी तैयार नहीं है। यही कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की संपत्ति नहीं ले सकती और इसीलिये सरकार के सामने अन्य कोई रास्ता नहीं है, सिवाय इसके कि गरीबों पर वह टैक्स लगाये किसानों पर जो टैस लगाया जा रहा है यह उसी का नतीजा है।

श्रीमन्, तीसरा रास्ता यदि कोई है तो वह रास्ता वह है जो हमारी पार्टी के वयोवृद्ध नेता, श्री राजगोपालाचारी जी ने स्वतन्त्र पार्टी स्थापित करके दिखाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का कार्यक्षेत्र सीमित होना चाहियें। सरकार का काम यह नहीं है कि वह उद्योग-धंधों को चलाये। सरकार का जो काम हैं वे हैं राज्य में शान्ति और व्यवस्था कायम करना, रेल, तार, डाक, देश की सुरक्षा का प्रबन्ध करना इत्यादि। इनके चलाने में जितने खर्चे की जरूरत हो उतना टैक्स के रूप में वह वसूल करे, परन्तु हमारी सरकार खेती चलाती है, उद्योग चलाती है, व्यापार चलाती है। यदि उसे यह सारी चीजें चलाना है, तो जाहिर है, कि इनके चलाने के लिये बहुत से अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, मुआवजा देना पड़ेगा, पूंजी लगानी पड़ेगी और ऐसी सूरत में सिवाय इसके कि गरीबों से टैक्स वसूल किया जाय, या बिला मुआवजा दिये लोगों की सम्पत्ति का अपहरण किया जाय और तीसरा रास्ता नहीं है। अगर रास्ता है तो यही है कि सरकार अपने कार्यक्षेत्र को सीमित करे। जब हम यह कहते हैं कि जन-साधारण को खेती करने दीजिये, उद्योग-धंधे चलाने दीजिये, व्यवसाय चलाने दीजिये तो हमारा यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि हम उनको खुली छूट दे दें और वे लूट खसोट कर के धनवान होते चले जांय। ऐसा कोई नहीं चाहता। हम तो यह चाहते हैं, कि यदि और पूंजीपति या उद्योगपति आवश्यकता से अधिक लूट खसोट करता है तो आप उसको रोकिये, उसको सजा कीजिये, अगर कोई टैक्स नहीं देता है, तो उसको जेल भेज दीजिये, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि सारे उद्योग-धंधों को सरकार चलाये। यह नितांत गलत है। इस तरह से न किसी देश की उन्नति हुई है और न हो सकती है।

श्रीमन्, यदि थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाय कि इन कामों को चलाने के लिये रुपया कहीं से आजायगा तो भी क्या सरकार को सारे कारोबार सौंपना उचित होगा। मैं आपके द्वारा सदन के सामने इस सरकार की पूरी कारगुजारी रखना चाहता हूं जो इसने कृषि, उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में दिखलायी है। मैं उसके आंकड़े रखना चाहता हूं। इन आकड़ों को देखते हुये किसी का मत नहीं हो सकता है कि इन कामों को चलाने के लिये सरकार उचित माध्यम है। पहले मैं कृषि के क्षेत्र में इनकी कारगुजारी आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले इन्होंने मेकानाइज्ड फार्म्स खोले। उन पर २·१८ करोड़ रुपये की पूंजी लगी। पहले ५ वर्षों में २३ लाख रुपये का घाटा हुआ और फिर बाद के ५ वर्षों में १३.९८ लाख रुपये का घाटा हुआ है यानी २·१८ करोड़ रुपये की पूंजी लगाकर १० वर्षों में लगभग ३७ लाख रुपये का घाटा इस सरकार ने कमाया है।

श्रीमन्, ऊसर रिक्लेमेशन फार्म्स पर ३९ लाख रुपया लगाया गया। उन पर अब तक १६.१४ लाख रुपये का घाटा हो चुका है। यह तो बड़े फार्मों की कारगुजारी है। छोटे फार्म्स

[श्री भानुप्रतापसिंह]

जिनको सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म्स कहते हैं, उनके संबंध में हमने इस सदन में प्रश्न पूछा था और तीन साल के आंकड़े दिये गये हैं उनसे पता चलता है कि उन पर ९६,१६,५९४ रुपये इंवेस्ट किये गये और तीन वर्षों में २,३५,९५५ रुपये का घाटा हुआ है । यह कृषि क्षेत्र में हमारी सरकार की कारगुजारी है । मैं कहता हू कि जिस दिन इस प्रदेश की पूरी कृषि सहकारी खेती के नाम पर, वास्तविक रूप में सरकार के हाथ में होगी, तो प्रदेश की क्या हालत होगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है । श्रीमन्, इसके बाद, सबसे बड़ा उद्योग जो उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है वह है चुर्क की सीमेंट फैक्ट्री । उस पर ७.५ करोड़ की पूंजी लगी है । उस पर पिछले वर्ष ५.१८ लाख रुपये का घाटा हुआ है ।

अब जरा व्यवसाय कैसा करते हैं इस पर भी एक दृष्टि डालिए । सहकारी बीज गोदाम हैं, लेकिन नाम मात्र के लिये सहकारी हैं—संचालक सरकारी, पूंजी सरकारी । ५.१६ करोड़ रुपया लगा है । उस पर सूद नहीं लिया जाता है । फिर भी ९३७ बीज गोदामों पर ५.५ लाख रुपये की हानि हुई है । जिस क्षेत्र में देखिये, कृषि में, उद्योग में, व्यवसाय में असफलता ही असफलता है । एक कोआपरेटिव ट्यूबवेल योजना चलायी गयी थी । ४१.७७ लाख रुपये की तकावी बांटी गयी, कोआपरेटिव ट्यूबवेल चलाने के लिये । वह योजना फेल हो चुकी, बन्द कर दी गयी है, परन्तु ३१.३८ लाख रुपये अब भी बकाया है और वसूल करने के लिये पड़े हुये हैं । इन कारनामों के बाद हमारी चाहे कितनी भी आस्था हो समाजवाद में, और अन्य बातों को हम बिलकुल नजर अन्दाज भी कर दें तो भी क्या हम यह कहने के लिये तैयार हैं कि वर्तमान सरकार ने कृषि, उद्योग और व्यवसाय में कहीं भी सफलता दिखलाई है । तो क्या ऐसी स्थिति में आज हम इस प्रदेश के कृषि, उद्योग और व्यवसाय को ऐसी हाथों में सौंप दें, जिन्होंने कहीं भी सफलता नहीं दिखलाई और जिनके प्लान का अन्तिम उद्देश्य समाजवाद है ?

श्रीमन्, समाजवाद के विषय में और अधिक समय न लेकर मैं जरा इनकी योजनाओं की ओर इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । योजनाओं की काफी आलोचना हो चुकी है । मैं अधिक आलोचना न करके केवल कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और आशा करता हूं कि इन प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री जी स्वयं अथवा उनके कोई प्रवक्ता देंगे ।

पहला प्रश्न यह है कि आप कहते हैं कि देश की उन्नति के लिये समाजवादी नियोजन ही सबसे अच्छा ढंग है । इससे अच्छा कोई दूसरा रास्ता नहीं है देश की उन्नति का । तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि सारे संसार के देशों की तुलना में भारतवर्ष की आर्थिक प्रगति पिछले दस वर्षों में लगभग सबसे धीमी रही है ? आर्थिक प्रगति से मेरा मतलब राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष औसत वृद्धि से है । वह आंकड़े भी मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं, अन्य देशों में पिछले दस वर्षों में कितनी प्रगति हुई और हमारे देश में कितनी प्रगति हुई है । ईराक में राष्ट्रीय आय में ९ प्रतिशत वृद्धि हुई । बरमा में ६ प्रतिशत, ब्राजील में ६ प्रतिशत, फिलीपाइंस में ६ प्रतिशत, टर्की में ६ प्रतिशत, अफ्रीका के देशों में ५ प्रतिशत, घाना में ५ प्रतिशत, थाईलैंड में ४ प्रतिशत और भारत में ३ प्रतिशत ।

मैं पूछता हूं कि यदि आप का तरीका सबसे अच्छा है तो क्या कारण है कि आप सबसे पीछे हैं ? मैंने उन देशों का नाम नहीं लिया जो प्रगति के शिखर पर हैं, जसे अमेरिका, इंगलैंड, पश्चिमी जरमनी और जापान । मैंने अफ्रीका और एशिया के पिछड़े देशों से भारत की तुलना की है । इस तुलना में भारत सबसे पीछे है । इसक आप उत्तर दें । यदि आप का तरीका सबसे अच्छा है तो क्या कारण है कि आप इस प्रगति की दौड़ में सबसे पीछे रह गये ?

एक दावा आपका यह भी है कि आप यह योजनाएं गरीबों के हित के लिये चलाते हैं । यदि वास्तव में इन योजनाओं से गरीबों का हित हुआ होता, गरीबों की गरीबी तनिक भी दूर हुई होती तो शायद मैं विरोध पक्ष में न बैठ कर या तो राजनीति से दूर होता या कांग्रेस पक्ष में

बैठता, लेकिन कांग्रेस की योजनाओं का नतीजा यह निकला है, कि गरीब और गरीब होते गये हैं । मैं उत्तर प्रदेश के उन आंकड़ों को जो शायद इस सदन में कई बार आ चुके नहीं दोहराना चाहता हूं । लेकिन केवल इतना कह देना चाहता हूं कि किसानों की आमदनी घटी है । जहां तक कृषक मजदूरों का सवाल है, वह पहली और दूसरी ऐग्रीकल्चरल लेबर इन-क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट से जाहिर है कि उनकी आमदनी घटी है, उनकी बेरोजगारी बढ़ी है, उनका कर्जा बढ़ा है और कर्जदार परिवारों की संख्या बढ़ी है । इसके अलावा, श्रीमन्, जहां तक औद्योगिक मजदूरों का प्रश्न है, वह केन्द्र के लेबर मिनिस्टर के एक वक्तव्य से स्पष्ट है जो उन्होंने ११ अप्रैल, ६० को संसद् में दिया था । उसे मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, उससे मालूम हो जायगा कि औद्योगिक मजदूरों की क्या दशा है—

"Real wages of industrial labour declined by 25 per cent during the period 1938 to 1947. It began to improve in 1947, till in 1951, it was nearly at par with 1938 wages".

औद्योगिक मजदूरों की वास्तविक आय सन् १९५१ में सन् १९३८ के बराबर हो गई ।

"The improvement continued till 1955, when it was 13 per cent higher compared to 1948, and"

सन् १९५५ तक इसमें वृद्धि होती रही जब तक कि यह सन् १९३८ की तुलना में १३ प्रतिशत अधिक नहीं हो गई । लेकिन फिर उसमें गिरावट आई और वह गिरकर सन् १९३८ के स्तर पर फिर पहुंच गई । "real wages have come down to the pre-war level". श्रीमन्, यह लेबर मिनिस्टर का वक्तव्य है । ऐग्रीकल्चरल लेबर एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है, अपने प्रदेश के किसानों की आमदनी के आंकड़े मौजूद हैं । औद्योगिक और कृषि मजदूरों की और किसानों की संख्या इस देश में ८५ प्रतिशत है और उनकी माली हालत पिछले दस वर्षों में गिरी है । इसको कोई असत्य साबित नहीं कर सकता । इसके लिये कोई प्रमाण नहीं है कि गरीबों की माली हालत इस देश में सुधरी है । अगर कोई है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह आंकड़े क्या हैं, और जैसा मैंने शुरू में कहा है कि मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय या अन्य उनके कोई प्रवक्ता इस प्रश्न का उत्तर दें कि क्या कारण है कि उनकी योजनाओं के फलस्वरूप कृषक मजदूरों की और औद्योगिक मजदूरों की माली हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है ? यह मेरा दूसरा प्रश्न है ।

श्रीमन्, मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि यह कहा जाता है कि ५०० करोड़ रुपया किसी प्रकार से इकट्ठा हो जाय तो उत्तर प्रदेश सम्पन्न हो जायगा । इस प्रकार से दलीलें दी जाती हैं जैसे कि केवल धन के एकत्र हो जाने से हम एकदम ऊपर उठ जायेंगे । मैं इस विषय में यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने प्रथम पंच वर्षीय योजना की तुलना में द्वितीय पंच वर्षीय योजना में दुगुना धन व्यय किया तो क्या कारण है कि दुगुना धन व्यय करते हुए भी नतीजा जो निकला है, वह प्रथम योजना के ही लगभग बराबर है ? कोई वृद्धि उसमें नहीं हो पायी है ? इस विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रथम योजना में २ रुपया जब व्यय किया गया तो १ रुपये की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, और दूसरी योजना में ३.३५ रु० जब खर्च किया गया तब एक रुपयों की वृद्धि हुई । यानी आपकी कार्य-क्षमता घटती जा रही है । पहले जो काम आपने दो रुपये में किया, वह अब ३.३५ रुपये में करते हैं । तो इस बात की क्या गारन्टी है कि ५०० करोड़ रुपया आपको मिल भी जाय तो उससे आप कुछ अच्छा नतीजा निकालेंगे । आपकी कार्य-क्षमता इतनी गिरी हुई है, आपके काम में इतना कम विश्वास रह गया है कि किसी भी प्रकार से यह आशा नहीं की जा सकती है कि आपको एक बार धन मिल भी जाय, तो भी आप उससे कोई नतीजा निकाल सकते हैं । दोनों योजनाओं के नतीजे आपके सामने हैं । यह केवल सारे भारत का ही नतीजा नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश का भी यही नतीजा है । पहली योजना में १६६ करोड़ रुपया खर्च किया गया, १६५ करोड़ रुपये की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई । दूसरी योजना में २८८ करोड़ खर्च किया गया, १७८ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । रुपया ज्यादा खर्च करने पर नतीजा ज्यादा नहीं निकलता, राष्ट्रीय आय में ज्यादा वृद्धि नहीं होती । इसलिये यह बार-बार कहना कि धन एकत्र हो जाने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जायगी, अब तक के नतीजों को देखते

श्री भानुप्रतापसिंह]

हुए संभव प्रतीत नहीं होता। राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिये केवल धन की आवश्यकता नहीं होती। माननीय डाक्टर अहमद साहब ने उस दिन कहा था कि इस देश में, इस प्रदेश में साधनों का संकट है, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, परन्तु मेरा विचार ऐसा है कि इस प्रदेश में अगर कोई संकट है तो वह चरित्र का संकट है। साधन होते हुये भी अगर हमारी कार्य-क्षमता इसी प्रकार से रही, हमारा भ्रष्टाचार हमारी कुनबा परस्ती इसी तरह से कायम रही, तो कभी इस देश में उन्नति नहीं हो सकती, चाहे ५०० करोड़ नहीं, आप एक हजार करोड़ रुपये खर्च कर दें। यह मेरा तीसरा सवाल है।

चौथा प्रश्न योजनाओं के विषय में यह है कि क्या कारण है कि आपकी योजनाओं में जो रुपया किसानों के लिये और गांवों में खर्च करने के लिये रखा गया है वह न तो उनकी आबादी के अनुपात से है, और न कृषि के महत्त्व को देखते हुये उसके अनुपात में है। मेरा सब से बड़ा आरोप योजनाओं पर यह है कि इन योजनाओं में किसानों और गांव वालों की अवहेलना की गई है। इस बात को मैं आपकी योजनाओं के आंकड़ों से ही साबित कर सकता हूं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सारे देश में ६६७ करोड़ रुपया कृषि और कृषि कार्य क्रम पर खर्च किया गया जब कि उद्योग और खदानों पर ८७० करोड़ रुपया खर्च किया गया। कृषि वह व्यवसाय है जिस पर ७० फीसदी जनता अपनी रोजी के लिये निर्भर करती है और वह राष्ट्रीय आय में ५० फीसदी का योगदान देती है। उसके लिये उद्योग और खदान की तुलना में कम रुपया अलाट किया गया है, जब कि हम जानते हैं कि उद्योग और खदान पर चाहे, जो कुछ भी व्यय किया जाय, लेकिन उससे राष्ट्रीय आय में १० प्रतिशत से अधिक योगदान नहीं मिलता है। जहां तक रोजगार का सवाल है उसमें रोजगार केवल ५ फीसदी आदमियों को मिलता है। जिसमें ज्यादा आदमी काम करते हैं और ज्यादा आदमी रोजी पाते हैं, उसमें आप कम रुपया खर्च करते हैं और जिसमें ५ फीसदी आदमी रोजगार पाते हैं, उसमें आप इतनी बड़ी रकम लगाने के लिये तैयार हैं। तीन बटा चार आबादी के लिये आप तुलना में उतना धन खर्च करने के लिये तैयार नहीं हैं जितना केवल ५ फीसदी आबादी के लिये, जब कि आपके देश में खाद्यान्न की इतनी कमी है कि लोगों को जितना भोजन मिलना चाहिये उसका दो बटा तीन भी नहीं मिलता है। देश में अरबों रुपयों का अन्न आप विदेशों से मंगाते हैं फिर भी कृषि विकास के लिये पूरा खर्च नहीं करते हैं। आपकी यह दूसरी पंचवर्षीय योजना जो फेल हुई है, वह कृषि की असफलता के कारण ही फेल हुई हैं। फिर भी आप उसको इतना कम महत्व देते हैं। मैं यह समझता था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो गलती हुई थी वह तीसरी योजना में सुधार दी जायगी, लेकिन वह भी नहीं दिखाई देता है। तीसरी योजना में १२८१ करोड़ रुपया कृषि कार्यक्रम पर खर्च होगा जब कि १,५२० करोड़ रुपया इंडस्ट्री और खदान पर खर्च होगा। यह सारे देश के फीगर हैं। मैं समझता हूं कि उधर के बैठनेवाले दोस्त कहेंगे कि यह कहां की बातें कर रहे हैं। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस रुपये का दुरुपयोग केन्द्र में नहीं हुआ होता, तो वह रुपया यहां पर आसानी से आ सकता था और टैक्स न लगाना पड़ता और हमारे प्रदेश का चित्र भिन्न होता। अभी हमारे माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में हम इतना खर्च करते हैं और नागरिक क्षेत्र में हम इतना व्यय करते हैं और कुछ दोनों में मिला-जुला खर्च करते हैं। तो मैं मिलेजुले की बात छोड़ देता हूं, क्योंकि उसका कोई हिसाब नहीं हो सकता है। तीसरी योजना में ग्रामीण क्षत्रों में उत्तर प्रदेश में २१८.७७ करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी ६४.२७ मिलियन है, इस प्रकार प्रति ग्रामीण पर जो रकम व्यय होने वाली है वह ३४ रुपया है। नागरिक क्षेत्र में ५४.६५ करोड़ रुपये के करीब खर्च होगा जब कि आबादी केवल ९४ लाख है। इसका औसत आता है ५७.६ रुपये प्रति व्यक्ति। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर योजना बनाते समय आपने इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा, कि गांव वालों के लिये, जिनका समान अधिकार है, बराबर धन दिया जाय। ऐसा आपने क्यों नहीं किया? तो मेरा यह चौथा सवाल है कि ग्रामीणों की उपेक्षा क्यों की गयी?

श्रीमन्, उधर के बहुत से बैठने वाले जब आकड़ों से परेशान हो जाते हैं, तो उत्तर न खोज पाने पर कहते हैं कि हमने इतनी सड़कें बनायीं, इतने पुल बनाये, रेलवे लाइनें बनायीं, ट्यूबवेल बनाये, नहरें बनायीं, क्या इन सब से लाभ नहीं हुआ ? मेरा उनसे निवेदन है कि अंग्रेजी राज में भी सरकार रेलवे लाइन बनाती थी, ट्यूबवेल बनाती थी, नहरें बनाती थी, लेकिन उसे कोई लोकहितकारी राज्य नहीं कह सकता। यह रेलवे लाइन, नहरें, ट्यूबवेल, पुल, सड़कें, दोधारी तलवार की तरह हैं । इनसे किसानों को संपन्न भी बनाया जा सकता है, और उनका शोषण भी किया जा सकता है और मेरा यह दावा है कि आपकी इन चीजों के फलस्वरूप जो भी कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है, वह मूल्यों के विषय में जो किसानों का शोषण होता है और जो असमान दर पर मूल्यों में कमी बेशी होती है, उसके कारण उस वृद्धि का लाभ किसानों को नहीं मिला है । मैं इस विषय में सविस्तर आऊंगा, लेकिन यहां मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि यह सड़कें, पुल, ट्यूबवेल आपकी योजना की देन नहीं हैं । कोई भी सरकार बने, वह इन चीजों को बनायेगी और यहां तक कि विदेशी सरकार भी इन्हें बनाती थी । यह सरकार के प्रथम कर्तव्यों में से हैं और इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । इसे हम योजना की देन नहीं मान सकते ।

श्रीमन्, जिन किसानों पर टैक्स लगाया जा रहा है उनकी क्या स्थिति है अब मैं इस पर आता हूं । यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस प्रदेश में किसानों की औसत आमदनी गिरती जा रही है । आज वह इतनी भी नहीं है जितनी कि १९४८–४९ में थी । भाव चाहे जितने बढ़े हों, लेकिन उसका लाभ किसानों को नहीं मिला । माननीय गेंदा सिंह जी और डाक्टर अहमद साहब ने कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के आंकड़े सविस्तर सदन में प्रस्तुत किये हैं और मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उनका एक दूसरे से जो संबंध रहा है उसे मैं सदन में रख देना चाहता हूं । यदि औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य को हम १०० मान लें तो १९५८ में कृषि वस्तुओं का मूल्य ९९.४ था, १९५९ में ९४.५ हो गया, १९६० में ८४.३ हो गया, १९६१ में ७९.१ हो गया और १९६२ में ७८.२ हो गया । श्रीमन्, पिछले पांच सालों में यह निरंतर गिरता जा रहा है और इस समय जो मूल्य किसानों को मिलना चाहिये कृषि वस्तुओं का औद्योगिक वस्तुओं की तुलना में उसका केवल ७८.२ प्रतिशत ही मिल रहा है । संभव है इस प्रतिशत से तस्वीर बिलकुल साफ न होती हो तो मैं विस्तार से बतलाना चाहता हूं कि इसके कारण उत्तर प्रदेश के किसानों को कितनी क्षति पहुंच रही है । उत्तर प्रदेश के कुल कृषि उत्पादन का मूल्य लगभग १ हजार करोड़ रुपया है । इस एक हजार करोड़ रुपये में से ७ सौ करोड़ रुपये का कृषि उत्पादन जो होता है, उसको जो पैदा करता है, वही किसान खा लेता है और बेचता नहीं है । सिर्फ ३०० करोड़ रुपये के मूल्य का माल मंडियों में जाता है और बिकता है । यदि किसान को औद्योगिक वस्तुओं के बराबरी में मूल्य मिलें तो उसे ३७५–७६ करोड़ रुपया उतने ही माल का मिलना चाहिये । इस तरह से प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किसान का ७५–७६ करोड़ रुपये का सालाना शोषण हो रहा है । आप कहते हैं कि हम किसानों के लिये बहुत कुछ करते हैं । आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जितनी धनराशि रखी गई है, वह प्रति वर्ष ४२ करोड़ रुपया सालाना आती है । ४२ करोड़ आप किसानों पर व्यय करेंगे और उनका ७५–७६ करोड़ रु० लुटने देंगे, तो क्या नतीजा होगा ? इससे साफ जाहिर है कि वह और गरीब होते चले जायेंगे और बावजूद आपकी योजनाओं के वह बेचारे और गरीब होते जा रहे हैं ।

मैं एक बात और कह देना चाहता हूं । एक फसल हमारे प्रदेश में किसानों की नकद आमदनी वाली गन्ना हुआ करती है । उसके विषय में अभी अभी एक आदेश निकला है, कि गन्ने का मूल्य चीनी की रिकवरी के अनुसार दिया जायगा, परन्तु क्या आपने सोचा है कि किसानों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? नियम जो बना है और जिसके आदेश निकल चुके हैं वह यह है कि ९.८ प्रतिशत से कम यदि रिकवरी हो तो प्रति दशमलव १.५ नये पैसे प्रति मन मूल्य कम ही मिलेगा । इस प्रदेश में पिछले साल ९.४ प्रतिशत की रिकवरी थी, यानी

[श्री भानुप्रतापसिंह]

दशमलव ४ स्टैन्डर्ड रिकवरी से कम हुई। उसके हिसाब से ६ नये पैसे मूल्य में किसानों को औसतन उत्तर प्रदेश में कम मिलेगा। पिछले वर्ष जो गन्ना पेरा गया वह ३४.६० करोड़ मन था। यदि इस वर्ष भी उतना ही गन्ना पेरा जाय तो २.२० करोड़ रुपये किसान को अगले गन्ना सीजन में कम मिलेगा। मैं यह जानता हूं कि आप यह कहेंगे कि यह भारत सरकार से संबंधित विषय है। यह कानून उन्हीं का बनाया है। यह हमारे अधिकार में नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप का भी क्या कोई कर्तव्य है? यदि आप किसानों की रक्षा करने में असमर्थ हैं और अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हैं तो आप टैक्स क्यों बढ़ाते चले जा रहे हैं?

इसके अलावा सिंचाई कर में जो २५ फीसदी छूट दी गई थी वह भी अब वापस ले ली गई है और बिजली की दरें भी बढ़ाई जाने वाली हैं। बस के किराये, स्टाम्प ड्यूटी आदि यह सब किसानों से ही तो वसूल किये जाते हैं। उनकी आमदनी आप कम कर रहे हैं और उनके ऊपर अनेक प्रकार से दूसरे टैक्स लगाते जा रहे हैं गन्ने का मूल्य भी कम मिलने वाला है। ऐसी स्थिति में कोई औचित्य नहीं रह जाता है इस नये टैक्स को लगाने का।

एक बात और हमारे कांग्रेस के मंत्रिमंडल के सदस्य कहते हैं कि हमने तो गरीब किसानों को छोड़ दिया, फिर आप यह सब बातें क्यों कह रहे हैं? मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कहा गया है कि "One should be thankful for small mercies" तो जितनी भी छूट उन्होंने दी है, उसके लिये मैं उन्हें शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन ८ एकड़ वाले किसान को उन्होंने क्या समझा है? उसकी क्या दशा है? हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी ने कह दिया कि राजा और ताल्लुकेदार ही सिर्फ इसका विरोध करते हैं क्योंकि वह बड़े आदमियों के साथी हैं। तो आज के दिन हमारे राजस्व मंत्री के विचार से ८ एकड़ वाला किसान भी राजा और ताल्लुकेदारों के साथ गिना जाने लगा है। परन्तु विचार करके आप देखें कि वास्तव में यह नया राजा और ताल्लुकेदार राजस्व मंत्री जी के शब्दों में जो है, उसकी आर्थिक दशा क्या है। ८ एकड़ भूमि का कुल मूल्य औसतन मैं समझता हूं ४ हजार रुपये से ज्यादा नहीं होगा। जिसकी सारी सम्पत्ति ४ हजार रुपये के बराबर हो, उसको आपने राजा और महाराजा का पद दे दिया। फिर उसकी आमदनी पर विचार कीजिये, किस हिसाब से उसको मैं जोड़ूं? क्या उस हिसाब से जोड़ूं जिस हिसाब से सरकारी फार्मों की आदमनी होती है। सरकारी फार्मों पर पूंजी की कमी नहीं है, अच्छे से अच्छे विशेषज्ञ काम करते हैं, फिर भी वहां तो नुकसान ही होता है। तो फिर और कौन-सा आधार माना जाय जिसको वह भी और हम भी मान लें। जिस समय लार्ज होल्डिंग टैक्स लगा था, ७५ रुपया प्रति एकड़ आमदनी औसत मानी गयी थी। इस हिसाब से ६०० रुपया सालाना ८ एकड़ वाले किसान की आमदनी होगी। ५ व्यक्तियों के परिवार पर ६०० रुपया सालाना आमदनी को यह सरकार इतनी काफी समझती है कि उस पर टैक्स लगाया जाय। कहा जाता है कि स्वतन्त्र पार्टी वाले तो टैक्सेशन का ही विरोध करते हैं। वह तो चाहते हैं कि बड़े आदमियों के सब टैक्सेज छूट जायं। श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर ८ एकड़ का क्षेत्रफल उन्होंने किस आधार पर निश्चित किया? कोई स्टडी हुई, कोई विशेषज्ञों से राय ले ली गयी, या कमेटी ने कोई सिफारिश की थी, या ऐग्रिकल्चर कास्ट की इन्क्वायरी के फलस्वरूप यह हुआ? हमको तो मालूम होता है कि आपस में गुटबन्दी के कारण कम्प्रोमाइज साल्यूशन के रूप में ८ एकड़ कह दिया गया है इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

टैक्सेशन के विषय में हमारा कहना है कि जो टैक्स दे सकता है उससे अवश्य लें, लेकिन ८ एकड़, १० एकड़ का किसान उस कैटेगरी में नहीं आता। एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार के और व्यवसाय करने वाले लोगों के साथ व्यवहार होता है, जिस प्रकार के टैक्स के नियम उनके लिए बने हुए हैं वही नियम किसानों के लिये क्यों नहीं लागू किये जाते? हम और आप सब जानते हैं कि दूसरे व्यवसाय करने वालों पर जब तक उनकी आमदनी ३६०० रुपया सालाना नहीं होती है तब तक कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता। श्रीमन्, क्या कारण

है, मैं इसको प्वाइंटडली पूछना चाहता हूं, कि किसान को ६०० रुपये से ऊपर ही आप टैक्सेबिल समझते हैं, जब कि अन्य कोई व्यवसाय करने वाले पर ३६०० रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता ? मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर मुझे मिले। हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि यह जो टैक्स है यह मालगुजारी नहीं है, बल्कि टैक्स है। इसके माने यही होते हैं कि वह इनकम टैक्स के अनुसार लगना चाहिये। ऐसी दशा में वही स्टैन्डर्ड मान लीजिये जो अन्य व्यवसाय वालों के लिए है। अगर आप घोषित कर दें कि ३६०० रुपये से ज्यादा जो आमदनी करता है उसी किसान पर टैक्स लगेगा तो इधर के बैठने वालों में से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी और आपका यह विधेयक आज ही पास हो सकता है। मगर आज आप किसानों के साथ बुनियादी इंसाफ नहीं करना चाहते। आप किसानों को इस देश का समान नागरिक नहीं मानते और उन्हें निम्न श्रेणी की जिन्दगी बसर करने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है तो बतलाइये कि आप समान माप-दण्ड क्यों नहीं रखते ? कोई भी योजना होती है तो आप किसानों को अलग समझते हैं और शहर वालों को अलग। अगर यह बात नहीं है, तो किसानों पर भी अन्य व्यवसायों की भांति टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता ?

श्रीमन्, अभी-अभी सारे देश में सीलिंग का कानून पेश हुआ था और इस कानून के विषय में प्लानिंग कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन थी ? उसमें उन्होंने रिकमेंड किया था कि जिन लोगों की आमदनी ३,६०० रुपया सालाना से कम हो उनको छोड़ दिया जाय और बाकी पर सीलिंग का कानून लागू हो जाय। उसी आधार पर सारे देश में सीलिंग का कानून लगा। इसलिये अब ३,६०० रुपया से ज्यादा आमदनी की कोई होल्डिंग ऐसी नहीं रह गयी है जिस का बंटवारा न हो चुका हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अब टैक्स लगने के लिये देहात में टैक्सेबिल कोई इनकम नहीं रह गयी है। कोई समय था कि इससे अधिक इनकम वाले थे और वह टैक्सेबिल थे, लेकिन आपने सीलिंग का कानून लगा कर टैक्सेबिल आमदनी के हर आदमी को देहात में समाप्त कर दिया है।

आज हम लोगों को और खास कर मुझे इस बात का दुःख है कि आप किसानों का स्तर ऊंचा नहीं उठने देना चाहते। अगर आप किसी किसान को देख लेते हैं कि वह भरपेट दो जून खा लेता है या सफेद कपड़े पहन लेता है, तो आप समझ लेते हैं कि वह टैक्स देने योग्य हो गया, लेकिन इस बात को आप शहरों पर लागू नहीं करते।

अभी माननीय नवलकिशोर जी ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये। मालगुजारी के बारे में हम लोगों की तरफ से कहा जाता है कि हमारे प्रदेश में वह सब से अधिक है। उत्तर प्रदेश को छोड़ कर सारे भारत के औसत आंकड़ों को लिया जाय तो मालूम होगा कि उसका औसत २.८ रुपया प्रति एकड़ आता है जब कि उत्तर प्रदेश का औसत ५.६ रुपया प्रति एकड़ है, जो ठीक दुगुना है। अब आप इसको भी ड्यौढ़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ मित्रों को इस बात की शिकायत है कि गांव वालों पर टैक्स बहुत कम है। जब वे ऐसी बात कहते हैं, तो वे यह भूल जाते हैं कि टैक्स देने की क्षमता आमदनी से आती है। अगर आप गांव वालों की आमदनी शहर वालों के बराबर कर दें, तो उनको भी बराबर टैक्स देने में कोई ऐतराज नहीं होगा ? उत्तर प्रदेश में शहर वालों की औसत आमदनी यदि १०० रुपया है, तो गांव वालों की आमदनी २८ रुपया है जो लगभग चौथाई है। ऐसी दशा में जब उनकी आमदनी इतनी कम है तो फिर इतना ही टैक्स क्यों उनसे मांगते हैं ? आखिर आपको किस बात का मलाल है ? टैक्सेज दो प्रकार के होते हैं—डायरेक्ट एण्ड इन्डायरेक्ट। शहर में ३६०० रुपया आमदनी से नीचे वालों पर कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स वह देते हैं। लेकिन गांववाले मालगुजारी के रूप में डायरेक्ट टैक्स देते हैं, कोई उनके लिये छूट भी नहीं है और इनडायरेक्ट टैक्स तो वे देते ही हैं जो भी सामान खरीदते हैं, उन पर। फिर भी आपको किस बात का मलाल है ? उनकी चौथाई आमदनी पर क्या आप गांव वालों

[श्री भानुप्रतापसिंह]

से यह आशा करते सकते हैं कि वह टैक्स उतना ही दें, जितना शहर वाले देते हैं ? फिर भी पिछले १० वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स बढ़ाया गया है और आगे भी बढ़ाने की रफ्तार जारी है। उसके प्रमाण में एक पुस्तिका रखना चाहता हूं जो ' Institute of Economic growth" की ओर से प्रकाशित हुई है। इसको प्लानिंग कमीशन के फैबरिट Dr. V.K.R.V. Rao ने लिखा है। इसका नाम है—

INDIAN TAX STRUCTURE AND ECONOMIC DEVELOPMENT

इसके पेज २८ पर यह लिखा हुआ है—

"It may also be noted that although rural income in proportionate terms has declined somewhat from 69.81 per cent of National Income in 1951-52 to 68.31 per cent in 1957-58, rural tax incidence has gone up from 50.4 per cent of 53.2 per cent to total taxes.

ग्रामीणों की आमदनी घट कर ६९.८१ प्रतिशत से ६८.३१ प्रतिशत हो गयी है फिर भी टैक्स ५०.४ प्रतिशत से ५३.२ प्रतिशत बढ़ गया है यानी ग्रामीण क्षेत्र की आमदनी गिरती गयी है और टैक्स का भार बढ़ता गया है, यह इस पुस्तिका में लिखा हुआ है। इस देश में इस विषय पर सम्मति देने वाला अधिकृत व्यक्ति डाक्टर वी० के० आर० वी० राव से बढ़ कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। पिछले ७—८ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स में जो वृद्धि हुई है वह ६.५ प्रतिशत प्रति वर्ष हुई है। मैं यह वार्षिक वृद्धि के फीगर दे रहा हूं। जिस अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में ६.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहां शहरों में केवल ४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस तरह से यह बात भी नहीं कही जा सकती है कि हम गांव वाले बिल्कुल ही टैक्स नहीं देते हैं। टैक्स देने की हमारी जितनी क्षमता है, उससे कहीं ज्यादा टैक्स दे रहे हैं और यह कहना कि गांव वाले टैक्स नहीं देते हैं, बिल्कुल गलत है। हां, उनके प्रति सरकार का अवश्य ऐसा व्यवहार रहा है, जो कि न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

श्रीमन्, मैं अपनी राय दे चुका इस विषय में, लेकिन सम्भव है उससे कांग्रेसजन प्रभावित न हों, तो मैं कांग्रेस के ही एक पुराने नेता—जो अभी अभी महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं—श्री श्रीप्रकाश जी की सम्मति को पढ़ कर सुना देना चाहता हूं जिसका असर उधर बैठने वालों पर ज्यादा होना चाहिए। उन्होंने लिखा है :

'When taxes are paid to a Government, Government is expected to do something in return for the tax-payer. What does it do for the country-side ? When we come to think of it, they do not do much even for law and order. The people have to protectd themselves. There are not more than 1,000 policemen for the whole rural population of a district that may be 10 to 15 lacs. There is some sort of primary education for which there is a separate cess. Medical relief is technical non-existence. The people have still to depend on an old self-instructed Vaidya here and there. So far as improvements in agriculture are concerned, tenants themselves do what they can from such knowledge that they have hereditarilly acquired, and some that has come to them from the experience of their neighbours. Even when floods and natural calamities overtake them, they have really to help themselves. Little is done for them by Government or any one else. When we do so little for the people and their lands and they do so much for us we meight just as well exempt them from all tax on land, particularly because the total yield is so small'.

श्रीमन्, यह श्रीप्रकाश जी की सम्मति है। इसे मैंने इसलिये पढ़ कर सुनाया कि हमारी बातों को तो वे विरोधी दल की बात ही समझते हैं, लेकिन जो उनके पुराने नेता हैं और जिन्हें इस बात का भय नहीं है कि अगले चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, और जिनके

देशप्रेम के प्रति कोई सन्देह नहीं कर सकता, उनकी यह सम्मति है। उसको तो कम से कम कद्र होनी ही चाहिये। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि जहां तक किसानों की वर्तमान दशा का सम्बन्ध है, मैंने काफी प्रमाण इस बात के प्रस्तुत किये हैं कि उनकी दशा इस योग्य नहीं है कि उन पर टैक्स लगाया जाय। हमारी पार्टी वह पार्टी है जिसने इस बात की स्पष्ट घोषणा की है कि किसानों पर मालगुजारी बिल्कुल नहीं लगना चाहिये। आय-कर जैसे कि और सब व्यवसाय करने वालों पर लगता है उसी प्रकार उन पर भी लगना चाहिये। जब कभी भी अवसर आयेगा तो हमारी पार्टी किसानों पर मालगुजारी बिल्कुल माफ कर देगी। जब हमारी पार्टी की यह राय है और उसी समय यह टैक्स लगाया जा रहा है, तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि उसके प्रति हमारा क्या विचार हो सकता है। परन्तु अब तक जब से यह बिल यहां प्रस्तुत हुआ है हमने और हमारे दल ने इस सदन के अन्दर या बाहर कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो नियमों के विरुद्ध हो। इसका यह अर्थ लगाना कि हम इस बिल का विरोध नहीं करते हैं गलत होगा। हम इसका मजबूती के साथ विरोध करते हैं। इस तरह का अर्थ अगर लगाया जाता है तो मैं कहना चाहता हूं कि आप को धोखा है। हमने नियमों का उल्लंघन केवल इसलिये नहीं किया कि हमारी पार्टी को नियमों का पालन करने में बहुत गहरा विश्वास है। मैं समझता हूं कि जनतंत्र की प्रतिष्ठा नियमों की प्रतिष्ठा को कायम रखने में ही है। परन्तु उस की भी एक हद होती है और उस हद के बाद यदि कोई सरकार आगे बढ़ती है और जो स्वाभाविक नियम हैं, जो ईश्वर की ओर से बने हुये हैं उनका भी उल्लंघन यदि सरकार करती है, तो मजबूर होकर सरकार के बनाये हुये नियमों का उल्लंघन करना पड़ता है। एक और कारण हमारे नियम उल्लंघन न करने का है कि बिल का स्पष्ट रूप अभी सामने नहीं आया है। डाक्टर अहमद साहब ने कहा कि आप की अक्ल ८ गुना बढ़ गई है, सम्भव है कुछ दिनों में वह १६ गुना या २० गुना बढ़ जाय। अभी यह सम्भावना बाकी है कि आप अपना कदम पीछे हटायें और हमारी पार्टी को मजबूरन नियमों का उल्लंघन न करना पड़े। वह ऐसा करना नहीं चाहती। लेकिन यदि कोई रास्ता न निकला, तो अन्तिम अस्त्र के रूप में हमारा दल भी इस बिल का विरोध करने के लिये जो भी सम्भव कार्यवाही होगी वह करेगा। मैं इस बात को कहने के लिये केवल इसलिये मजबूर हुआ हूं कि हम इस कानून के बनाये जाने को बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं और हमने इसको साबित करने की कोशिश भी की है।

अन्त में मैं फिर एक बार महात्मा गांधी के ही शब्दों से अपने भाषण को समाप्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि "गुनाहों के लिये जवाब देना पड़ेगा"। मैं महात्मा गांधी के शब्दों को आप की आज्ञा से सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था भारत की आधे पेट रहने वाली जनता किस प्रकार मौत के नजदीक पहुंच रही है इसको शहरी शायद ही महसूस करते हों। उन्हें क्या पता कि वे जो यह तुच्छ ऐश आराम भोग रहे हैं वह भारत को चूसने वाले पूंजीपतियों के घर भरने में की हुई मेहनत की दलाली के सिवा और कुछ नहीं है और उन पूंजीपतियों का सारा नफा और साथ ही इनकी दलाली दोनों भारत की दीन जनता को निचोड़ कर निकलते हैं। आज भारत के गांव हिलते डुलते हड्डी के ढांचे से बिना चश्मे की आंखों को भी, जो सबूत दे रहे हैं, उसे इधर उधर के वितंडावाद, वाग्जाल या अंकजाल के मनमाने मायावी कोष्ठकों में छिपाया नहीं जा सकता। मुझे तो इसमें रत्ती भर सन्देह नहीं है कि ईश्वर जैसा कोई मालिक इस संसार के सर पर होता तो उसके दरबार में भारत के इन सब शहरों में बसने वालों को इतिहास में इस बेमिसाल मनुष्य जाति के प्रति गुनाह के लिये जवाब देना पड़ेगा।

श्रीमन्, पता नहीं किस संदर्भ में महात्मा जी ने यह शब्द कहे थे। परन्तु मुझको लगता है आज ये जितने उपयुक्त हैं उतने शायद उस समय भी न रहे होंगे। अतः मैं कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी पुनः विचार करें और इस विधेयक को वापस ले लें, नहीं तो उन्हें इस गुनाह के लिए जवाब देना पड़ेगा।

(कुमारी श्रद्धादेवी का नाम पुकारे जने पर)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय विकल जी बार बार खड़े होते हैं और आपका ध्यान आज तक आकृष्ट न हो सका। हम चाहते हैं कि आप उनको बोलने का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, हाउस की राय है कि वह माननीय विकल जी को सुनना चाहता है, वह बार बार खड़े होते हैं और उनको मौका मिलना चाहिये। आपने अभी माननीय सदस्या को बुला लिया है वह भाषण कर लें लेकिन एक निवेदन है कि आप उनको समय दें।

श्री उपाध्यक्ष—यह चेयर का अधिकार है, कोई हाउस का प्रस्ताव नहीं है। आपका मत है थोड़े से आदमियों का। चिट मेरे पास सब पार्टियों की तरफ से आयी है। तो मैं पूछना चाहता हूं आप को न बुलाऊं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—तीन दिन से बराबर खड़े होते हैं....

श्री उपाध्यक्ष—अगर आप कहें तो मैं इन चिटों की वकत न करूं और अगर दूसरे दल की वकत करता हूं तो आप नाराज होते हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—मैं आप की राय से इत्तफ़ाक करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—तो फिर आप विराजिये। यह चेयर का काम है, इसे कोई इनफ्लूएंस नहीं कर सकता।

श्री कल्पनार्थसिंह—हाउस के लोग विकल जी को सुनना चाहते हैं, आप उनको अवश्य मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—यह चेयर का अधिकार है। अभी तो ४३० में से केवल १४ सदस्य ही बोल सके हैं।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। बार-बार आप कहते हैं चेयर का अधिकार है। चेयर के अधिकार का बार-बार प्रयोग करने से जनतन्त्र टूटता है।

श्री उपाध्यक्ष—आप चेयर को कम्पेल नहीं कर सकते हैं।

कुमारी श्रद्धा देवी (जिला मेरठ)—श्रीमन्, जोत कर विधेयक पर कई दिनों से बहस चल रही है और उसमें विभिन्न प्रकार के विरोधी दलों की ओर से तर्क पेश किये गये। कहा गया कि विधेयक को वापस लिया जाय। कहा गया कि किसी प्रकार का कर न लगाया जाय और यह भी कहा गया, जैसा अभी पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि ८ एकड़ के किसानों की क्षमता कर देने की नहीं है कि वह कर दे सकें। मेरे पूर्व वक्ता ने चरित्र निर्माण की बात भी कह दी। चरित्र निर्माण पर माननीय नेता विरोधी दल बहुत ही जोर दिया करते हैं। मेरा निवेदन है कि विश्व के किसी भी अविकसित देश ने, किसी भी खेती प्रधान गरीब मुल्क ने अपनी उन्नति बिना खेती पर कर लगाये हुए की हो ऐसे शायद एक, दो उदाहरण मिलते हों लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है आदि में कृषि ही पूंजी रही है खेती के विकास में और सभी विकसित देशों ने अपनी पूर्वावस्था में खेती पर ही कर लगाया है चाहे वह सन् १७७३ का अमेरिका हो, चाहे १९१७ का रूस हो, चाहे आदि का चीन हो, जापान हो चाहे और मुल्क हों।

कहा गया कि हम गरीबों पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। ८ एकड़ का किसान बड़ा गरीब है, बड़ी दयनीय दशा है, बड़ा अनर्थ हो जायगा, आसमान टूट पड़ेगा, जमीन फट जायगी अगर

उन पर कर लगा दिया। मैं पूछना चाहती हूं कि उनसे भी कोई गरीब है या नहीं? नियोजन का और सरकार का उनके प्रति भी कोई कर्तव्य है या नहीं? मैं अपने यहां के गांवों को लेती हूं। हमारे यहां तीन प्रकार के किसान हैं। एक तो वे किसान जिनके पास बड़ी-बड़ी भूमियां हैं, कांग्रेस की कृपा है और गांधी जी की कृपा से प्रजातन्त्र आया और वे बड़ी जमीन वाले भी आज उस गरीब के कल्याण की सदन में बात कहने लगे। वे राजा महाराजा, ताल्लुकेदार और बड़े-बड़े किसान जिनके पास कई-कई हजार एकड़ के फार्म हैं उनका नम्बर पहला आता है। नम्बर दो पर आते हैं मध्यम श्रेणी के लोग और फिर नम्बर तीन पर अनइकोनामिक होल्डिंग वाले किसान आते हैं जिनके पास सवा ६ एकड़ तक जमीन है। अनइकोनामिक होल्डिंग क्या है इसके बारे में बड़ा विवाद है। फिर भी सवा ६ एकड़ के किसान उसमें आते हैं। सवा ६ एकड़ के किसान को हमने छोड़ दिया। ८ एकड़ वाले को भी हमने छोड़ दिया है ८ एकड़ से ऊपर वालों को हमने लिया है।

मैं एक तुलना करना चाहती हूं। गांव के अन्दर कुछ और लोग भी रहते हैं जिनको कहते हैं खेतीविहीन लोग. उनके कल्याण के लिये नेता विरोधी दलों तथा उनके सदस्य क्या चाहते हैं? उनका कल्याण होना चाहिये या नहीं होना चाहिये। मैं कल्पना नहीं, तथ्य की बात कहती हूं। एक किसान के पास एक एकड़ जमीन है और गांव में एक आदमी वह रहता है चाहे किसी भी बिरादरी का हो, जिसके पास जरा भी जमीन नहीं है। चकबन्दी हुई तब से वह किसान अपने आप अपना काम करने लगा। लिहाजा जमीन विहीनों व मजदूर के पास कोई काम गांव में नहीं रह गया। उसके अन्दर क्या भावना पैदा होगी जिस समय वह मुफलिसी में फंसा रहता होगा? एक एकड़ वाला किसान अपने बच्चे की दवाई के लिये एक एकड़ बेच कर सर्वस्व निछावर कर सकता है और अपने मन की निकाल सकता है पर खेती व रोजगार विहीन का बच्चा बीमार है। उस के लिये दवा, दूध आदि में एक पैसा नहीं खर्च कर सकता। इसके अभाव में उसकी मृत्यु पर कितनी वेदना होती होगी? इसी भांति कितनी होती होगी शादी आदि कार्यों में? लेकिन उस निर्धन, खेतीविहीन के लिये आप क्या कहते हैं? क्या उनके लिये जो थोड़े समृद्ध हैं उन पर थोड़ा और जो ज्यादा समृद्ध हैं उन पर ज्यादा, जैसा कि जेड० ए० अहमद साहब ने कहा, कर लगाना चाहिये या नहीं? आप कहते हैं कि उन पर भी नहीं लगना चाहिये। कैसा है आप का समाजवाद?

श्रीमन्, कांग्रेस ने चरित्र बल के आधार पर ६०–६५ वर्ष एक लम्बी राजनीतिक लड़ाई लड़ी और स्वतन्त्रता प्राप्त की। आर्थिक लड़ाई उस से बहुत लम्बी है और वह भी चरित्रबल पर ही लड़ी जा सकती है। रूस ने आर्थिक आजादी अब आके प्राप्त की है। ४४ वर्ष तक रूस ने एक लम्बी लड़ाई लड़ी आर्थिक क्रान्ति के लिये और मैं यह कह सकती हूं कि सन् १९५० तक वहां पर कोई भी सुख जन जीवन में नहीं पैदा हो सका जबकि उसने यह लड़ाई पूर्ण हिंसा के आधार पर लड़ी है तो हमारे यहां कितनी लम्बी लड़ाई होगी। जबकि पद्धति प्रजातंत्रात्मक है, करों के लिये सभी की राय से चलना है। आर्थिक क्रान्ति केवल कांग्रेस की ही जिम्मेदारी नहीं है। जो समाजवाद में भरोसा रखते हैं, जो चरित्र बल में विश्वास रखते हैं, जिनको अपनी मातृभूमि के प्रति निष्ठा है, उन सब को इस आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये योग देना पड़ेगा। इस सरकार ने आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये दृढ़ संकल्प किया है और आज वैज्ञानिक और प्राविधिक युग में हम आर्थिक क्रान्ति करने जा रहे हैं और हमारा देश और प्रदेश खड़ा होना चाहता है अन्य उन्नत देशों के साथ। तो मान्यवर, यह लड़ाई सभी के सहयोग से लड़ी जा सकती है। इसका आधार चरित्रबल हो सकता है, दृढ़ संकल्प हो सकता है, निरन्तर घोर प्रयत्न हो सकता है, भविष्य में दृढ़ विश्वास और आत्म-विश्वास हो सकता है। इसी को ले कर कांग्रेस चल रही है और हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी भावी संतति को सुरक्षित और समृद्धशाली बनायें। इसी स्वर्णिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिये हमारी पहली, दूसरी और तीसरी योजनायें एक के बाद एक सीढ़ियां हैं। बिना करों के हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं और कोई दूसरी पार्टी अगर पहुंच सकती हो तो कोई विरोधी दल के नेता या सदस्य बतलायें कि किस तरह से पहुंच सकते हैं। प्रश्न यह नहीं कि सत्त

[कुमारी श्रद्धादेवी]

हमारी रहे। इतने लम्बे अर्से में सत्ता कांग्रेस की नहीं रहेगी। अगर किसी को यह भरोसा है तो गलत बात है। हम या हमारे मुख्य मन्त्री कोई ठेकेदार हैं? ऐसा कोई मुगालता इधर नहीं होगा। प्रश्न यह है कि क्या अन्य पार्टियां जो समाजवाद में विश्वास रखती हैं या आर्थिक क्रान्ति लाना चाहती हैं और एक लम्बी लड़ाई लड़ना चाहती हैं और प्रजातन्त्रात्मक ढंग से लड़ना चाहती हैं तथा उनका आधार चरित्रबल होगा या प्रजातन्त्रात्मक पद्धति में कोई दूसरा आधार होगा? दूसरा आधार होगा तो रूसी आधार ही होगा। उसके लिये तैयार रहिये, कम्युनिस्ट पार्टी का आह्वान कीजिये। तो मान्यवर, करों के विरोध में प्रदर्शन करके या इस सदन की अनुशासन व परम्पराओं को तोड़कर इस सदन में असंयतता को लाकर कुछ लोग जनता में क्रोध पैदा कर रहे हैं, क्षोभ पैदा कर रहे हैं और घृणा की आग पैदा कर रहे हैं तो जनता की मनस्थली को बिगाड़कर क्या हमारे समाजवादी भाई समाजवाद को आगे ले जा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि यह गलत है।

मान्यवर, आर्थिक क्रान्ति हमारे यहां आकर रहेगी। यह विज्ञान के युग की मांग है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह रूसी ढंग से आयगी, हिन्सात्मक तरीके से आयगी या प्रजातांत्रिक पद्धति से आयगी, अहिन्सात्मक तरीके से आयगी। मेरा कहना समाजवाद में विश्वास रखने वाले भाइयों से है कि आर्थिक क्रान्ति यदि प्रजातांत्रिक पद्धति से आनी है तो निश्चय ही हमको धैर्य का अवलम्बन करना पड़ेगा तथा करों का सहारा लेना पड़ेगा और सभी समाजवाद में विश्वास रखने वालों को सामाजिक और आर्थिक मान्यतायें बदलनी पड़ेंगी। संग्रहात्मक प्रवृत्ति के स्थान पर, स्वार्थमूलक व्यक्तिगत सम्पत्ति की भावना के स्थान पर और एक्जीक्यूटिव नेचर के स्थान पर समाजवादी भावना लानी होगी। इसी प्रकार से साम्प्रदायिकता, जातीयता, असमानता तथा छुआछूत के स्थान पर मानव मानव एक है, यह भावना लानी पड़ेगी, विश्व-बन्धुत्व की भावना लानी पड़ेगी। लेकिन श्रीमन्, यह एक दिन का विषय नहीं है। जो लोग सदन की मर्यादायें तोड़ते, कहते हैं कि हम श्रीमन् के आदेश के बाद भी बोलते ही रहेंगे केवल अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, कहते ही रहेंगे तो ऐसी बातों से समाजवाद नहीं आ सकता है बल्कि दृढ़ विश्वास से आयगा, चारित्रिक बल से आयगा और हृदय परिवर्तन से आयगा। लेकिन श्रीमन्, हृदय परिवर्तन एक दिन का विषय नहीं है।

श्रीमन्, पुरातन शब्दों में समाजवाद का आधार माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने माना है। उन्होंने कहा है कि समाजवाद हमारे यहां के एक मन्त्र में हैं अर्थात् गागर में सागर है। मैं देश के नौजवानों से कहना चाहूंगी कि वे डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी की किताब "समाजवाद" को पढ़ें। समाजवाद की उन्होंने इस प्रकार से परिभाषा की है कि—'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित दुःखभाग्भवेत्:' 'भद्रं कर्णोभिः श्रृणुयामदेवाः भद्रं पश्येम अद्धिभियजथाः स्थिरैस्तुष्ट्वा तनुमि व्यसेगह देवहितं यदायुः, कानों से हम सबका कल्याण सुनें, वाणी से कल्याण की बात कहें, आंखों से कल्याण को देखें और निर्धनों का कल्याण करें, ग्रामीणों का कल्याण करें तथा दीनों का कल्याण करें। यह उन्होंने समाजवाद की परिभाषा की है। मैं आधुनिक शब्दों में भी समाजवाद की परिभाषा बताऊंगी। 'सर्वेभवन्तु सुखिनः' सब सुखी रहें, रोटी, कपड़ा और मकान से। 'सर्वे सन्तु निरामयाः' सबको स्वास्थ्य मिले, 'सर्वे भद्राणि पश्यन्तु' सब लोगों का कल्याण देखें अपने जीवन में, 'मा कश्चित दुःख भाग्भवेत" कोई दुख को प्राप्त न हो। आधुनिक शब्दों में हमें ऐसा समाज लाना है जहां सब के लिये रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, स्वास्थ्य हो, या शिक्षा हो या प्रारम्भिक आवश्यकताएं में, सब के लिये समान अवसर हो। तो मैं पूछती हूं कि गांव के अन्दर जो निर्धनतम हैं, उनके लिये भी ये सब चीजें चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो कर लगाना जरूरी है। अगर कर लगाना जरूरी है तो उसके लिये धैर्य और त्याग की जरूरत होगी। मान्यवर, त्याग और धैर्य की भावना आज हमारे भारत के लोगों के अन्दर कम से कम ग्रामीण जनता के अन्दर सदियों से जड़ पकड़े हुए है। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि जिन को समाजवाद में विश्वास है,

कम से कम उस भावना को मत खराब करें। उसका तो उन्मूलन न करें। उस को अपनी संतति के नाम पर, अपनी भावी संतति के कल्याण के नाम पर, अपने भविष्य के नाम पर सुरक्षित रखिये। आप द्वेष और घृणा पैदा करके उनकी मनःस्थली को न बिगाड़िए। यहां पर गांधी जी ने समाज कल्याण के दधीचि का उदाहरण दे कर भूखे नंगे से लड़ाई लड़ी। लोग हम जैसे साधारण थे। दो चार अनुपम होंगे। लेकिन ज्यादातर लोग साधारण थे, गिरे हुए भी थे। गांधी जी ने ऐसी त्याग और तपस्या की कथाएं सुनायीं कि भूखे नंगों में जीवन आया उनके अन्दर चारित्रिक बल आया। दधीच की कहानी सुनायी कि समाज के कल्याण के लिये दधीच ने अपनी हड्डियों का दान अस्त्रों के लिये दिया, जन कल्याण के लिये, परोपकार के लिये। इसी तरह से बलि ने अपने शरीर के मांस का कतरा कतरा जन कल्याण के लिये, समाज के लिये दे दिया। यही कहानी सुना कर गांधी जी ने हमें उन अंग्रेजों से जिन के राज्य में सूरज भी नहीं छिपता था, उस चर्चिल से जो हमें सूई की नोक की बराबर भी कुछ देने को तैयार न था, उस से हमें स्वतन्त्रता प्राप्त कराई।

(इस समय ४ बज कर २७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

गांधी जी ने कहा था कि मेरे ११ व्रत हैं। इन में सत्य, अहिंसा आदि स्वतन्त्रता के लिये काम में आयेंगे। धैर्य, त्याग और अपरिग्रह यह तब काम आयेंगे जब आप लोग प्रजातंत्रात्मक पद्धति से आर्थिक क्रान्ति की लम्बी लड़ाई लड़ेंगे। मेरा कहना यह है कि यहां का निर्धनतम आदमी इतना चरित्रवान है, यहां का गरीब किसान भी इतना चरित्रवान है कि चाहे जो कुछ उससे आप ले सकते हैं उसकी सन्तति के कल्याण के लिये। मैं उदाहरण देना चाहूंगी, जेठ मास की दोपहरी में जबकि जमीन ज्वालामुखी की तरह भभकती है उस वक्त सड़क पर कंकड़ और पत्थर कूटने वाला मजदूर, दो मन ढाई मन की बोरी ढोने वाला मजदूर, रिक्शा तांगा चलाने वाला मजदूर अपनी सन्तति के कल्याण के लिये जब धार्मिक गुरु उससे कहता है ऐसा करो तो सर पर दान सामग्री का बोझ रखकर के पैरों-पैरों गंगा के तट पर जाता है, यमुना के तट पर जाता है और तीर्थों की यात्रा करता है, हज जाता है, अजमेर शरीफ जाता है और जो धूप, धूल, लू और शीत की कमाई होती है, खून पसीने की कमाई होती है उस का श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से त्याग व दान करके अपने को कृतार्थ मानता है। यह त्याग ज्यादातर निर्धनतम किसान व मजदूर ही करता है। आज यह कोई नयी बात नहीं है। फिर भी आप कहते हैं कि किसान दे नहीं सकता। विषय भावनाओं का है। आप इस भावना को जिन्दा रखना चाहते हैं या दफना देना चाहते हैं। अगर यह भावना जिन्दा है तो रूसी ढंग से आर्थिक क्रान्ति नहीं आयेगी, रूसी ढंग से तीस, तीस और बीस-बीस हजार आदमियों की एक जगह हत्या करके आर्थिक क्रान्ति नहीं आयेगी। आर्थिक क्रान्ति अगर इस भावना को आपने जिन्दा रखा, समाजवादियों ने इस भावना को जिन्दा रखा तो इस ढंग से आयेगी। इस भावना को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी भी कांग्रेस की नहीं है। उसकी जिम्मेदारी समाजवाद में विश्वास रखने वाले अन्य सभी लोगों की भी है।

मान्यवर, आज हमारे देश के चारों ओर या तो मिलिटरी शासन है या अधिनायकवादी शासन है, आंख फैलाकर देख लीजिये। श्रीमन्, हमारा काश्मीर दबा हुआ है और चीन हमारे देश के अन्दर आज सीमा पर बैठा हुआ है और हम कर क्या रहे हैं? तो हम कर क्या रहे हैं? हम पैदा कर रहे हैं परस्पर द्वेष, घृणा, नफरत। हम ईंधन बना रहे हैं द्वेष और घृणा का, नफरत और क्रोध का और हम करों का बहाना ले रहे हैं, सहारा ले रहे हैं जो देगा और समझाने पर हजार बार देगा उस किसान का। तो, श्रीमन्, विरोधी दल नफरत व क्रोध का ईंधन बना रहे हैं और जलाने जा रहे हैं अपने राष्ट्र को। याद रखिए कि नफरत के जजबात आप गरीबों में और खेती विहीन लोगों में पैदा कर रहे हैं। दियासलाई लगाने के लिये, चिनगारी लगाने के लिये आपके कम्युनिस्ट भाई मौजूद हैं। आप यह सोचते हों कि उस आग से आप बच जायेंगे, उस खेतीविहीन मजदूर से अच्छी दशा में, ग्रामीण से अच्छी दशा में आज हम सब एम० एल० ए० हैं तो क्या हम लोग अगर वह आग लगेगी, हिंसा की ज्वाला जलेगी तो हम और आप उससे बच जायेंगे? कोई नहीं बचने वाला है। आपकी यह जितनी धार्मिक

[कुमारी श्रद्धादेवी]

परम्परायें हैं, या समाजवादी परम्परायें हैं, वह सब नष्ट हो जायंगी। आपकी समाजवादी पुस्तकें और धार्मिक पुस्तकें सब जला दी जायेंगी।

श्रीमन्, एक बात कही नेता विरोधी दल ने कि हम सब बड़े बुद्धिहीन हैं, निर्बुद्धि हैं, हमारा शासन बड़ा खराब है, इसे क्यों पैसा दिया जाय? बड़े कटु शब्द प्रयोग किये थे जो नवल किशोर जी ने आज दुहराये, सुना है या और कुछ कटु शब्द कहे थे, तो मान्यवर, हम खूनी हैं, हमारा शासन खूनी है, माननीय गेंदासिंह जी तो चले गए, लेकिन माननीय मैनेजरसिंह जी हैं, माननीय बलवानसिंह जी हैं, तो यह खूनी शासन है, हम लोग बड़े खूनी हैं जिन्होंने कि ३० वर्ष की अपनी जवानी जेल के सीखचों में गुजारी और जिन्होंने अपने बीबी-बच्चों की परवाह नहीं की---भूखे नंगे देखा, मरते और सड़ते देखा है। आज राजा लोग, शोषक लोग कहते हैं हम खूनी हैं। हम तो बड़े खूनी ठहरे। जिस वक्त कांग्रेस लड़ाई लड़ रही थी उस वक्त अगर किसान लगान नहीं देते थे तो किसानों को पकड़ कर नंगे-धुड़ंगे किसानों को डंडों से पिटवाया जाता था। यह आंखों देखी बात है कि जमीन पर उनको पत्थर बांधकर घसीटा जाता था। इतना ही नहीं, श्रीमन्, उनकी जो नन्हीं-मुन्नी बच्ची होती थी, जमींदारों से जान बचाने के लिये १०, १५ साल की बच्ची की शादी ६० वर्ष के आदमी से बेचकर की जाती थी। उनका तवा, हुक्का, परात, लोटा, थाली बेच दी जाती थी तब भी जमीन आप से नहीं बच पाती थी।

श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---श्रीमन्, यह टैक्स लगे या नहीं, लेकिन यह कहकर हमारी तौहीन तो न की जाय कि लड़की बेचकर हम लगान देते थे।

श्री अध्यक्ष---उनको खूनी कहा गया है तो गलत कहा गया है। यही वह कह रही हैं।

कुमारी श्रद्धादेवी---श्रीमन्, यह अपमान की बात नहीं है। मैं यह कह रही थी कि जो आज यह घृणा करों को सामने लाकर पैदा की गई ये कम्युनिस्ट भाई जमींदारों के पुराने जुल्म याद दिलायेंगे, ये भी उन पर बीती बातों की याद दिलायेंगे, चारों ओर जब हिंसा की आग प्रदेश व देश में जलेगी, जब मानवता चीखे रोयेगी तो उस समय जो नेता विरोधी दल हैं उनकी श्रेणी के शोषक लोगों का क्या हाल होगा यह वह खुद सोच लें। इसलिये करों के बारे में इतनी घृणा और द्वेष मानवता के नाम पर पैदा न करें।

दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने त्याग किया तो वह खूनी है और वे हैं बुद्धिहीन। हो सकता है कि २० वर्ष जेल में रहने के बाद, यातनायें सहने के बाद ये लोग बुद्धिहीन हो गये हों। जिन्होंने राजनीतिक लड़ाई लड़ी है वह स्वतन्त्रता प्राप्त की है वह तो खूनी हैं, लेकिन राजा लोग अपनी उदारता का आदर्श उपस्थित करें और अब उनको मौका मिला है कि उनको जितना प्रिवी पर्स दिया जाता है उसका सब से पहले त्याग करना चाहिये। हमारा रेवेन्यू जो आता है वह २०, २२ करोड़ के लगभग आता है। उसमें से हमको सम्भवतः जहाँ तक मुझे याद है करीब ७ करोड़ रुपया जमींदारों को दे देना पड़ता है। तो जमींदार भी अच्छे हैं। खेती विहीन किसानों के लिये राजा लोग त्याग करें, जमींदारों से करायें और वे उदाहरण रखें कि कैसे त्याग करते हैं और फिर हम लोगों की बात कहें। गांधी जी ने इतिहास में अनूठे ढंग से राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त की थी। जवाहरलाल जी अनूठे ढंग से आर्थिक क्रान्ति लाना चाहते हैं। सहकारिता की भावना से, पारस्परिक प्रेम की भावना से। उन्होंने प्लान रूस से लिया है, हिंसावादी रूस से। अनुभव के आधार पर प्लान अच्छी चीज है। उन्होंने यहां पर उसको लागू किया और नेहरू जी की यह पद्धति प्रजातान्त्रिक स्वीकार की है और दूसरे देशों ने भी इसको लागू किया है। तो इस प्लान को सफल बनाने के लिये प्रजातांत्रिक ढंग से जन-कल्याण करने के लिये मैं समझती हूं कि आप किसी को इन करों का विरोध नहीं करना चाहिये, सभी को प्रजातन्त्रात्मक ढंग से चलाई योजनाओं में करों का समर्थन करके योग देना चाहिये।

मैं यह समझती हूं कि आप सब लोगों को धैर्य से काम लेना चाहिये। आप सब लोगों को परस्पर प्रेम से बात कहनी चाहिये, आप लोगों को मनन करना चाहिये दीन-हीनों की दशा पर।

श्रीमन्, किसी अविकसित देश का विकास करने के लिये एक बड़े कुचक्र का सामना करना पड़ता है। उसके सामने समस्या होती है, बचत की, पूंजी की। धन इतना कम होता है कि बचत हो नहीं पाती और बचत नहीं होती तो पूंजी का निर्माण कैसे हो। पूंजी नहीं तो विकास कैसे हो? तो यह एक बड़ा कुचक्र किसी गरीब देश के सामने होता है। ऐसी ही स्थिति किसी गरीब आदमी के सामने शादी के समय होती है, हर टेहले के समय होती है। सब जानते हैं कि वह शादी कैसे सम्पन्न करता है। उसका जेवर बिक जाता है, बच्चे के कपड़े, दूध आदि से बचत करता है, वह कर्जा लेता है, मित्रों का सहयोग प्राप्त करता है और भात आदि की कई प्रथायें हैं जिनमें मिल जुल कर किसी प्रकार वह काम होता है। ठीक इसी तरह किसी गरीब मुल्क को अपनी स्थिर आर्थिक दशा से गतिशील आर्थिक अवस्था में पहुंचने के लिये आवश्यकता होती है धैर्य की, त्याग की, दृढ़ आत्मविश्वास की और भविष्य में दृढ़ विश्वास की। इन्हीं आधारों पर, श्रीमन्, कोई भी देश तरक्की कर सकता है। श्रीमन्, ८ एकड़ भूमि पर कर लगाने का विरोध आज चल रहा है। इसके लिये पहले तर्क उपस्थित किया गया था कि हमारा प्लान असफल रहा, हमारी राष्ट्रीय आय गिरी, पर कैपिटा आय गिरी, हमारे कृषि के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, हमारा प्रशासन पर बड़ा खर्च है, और हम बड़े निकम्मे हैं प्लान के रुपये को खर्च नहीं कर पाये।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, माननीया सदस्या को बोलते हुये ४० मिनट हो चुके हैं। अब दूसरे सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिये। वे बार-बार रिपीटिशन कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष---आप नियम देख लें। यदि यहां कोई निश्चित सीमा हो जाय तो मैं कह सकता हूं कि वे अब न बोलें।

(व्यवधान)

कुमारी श्रद्धादेवी---हम बड़े अपराधी लोग हैं पर मैं श्रीमन, प्रयत्न करुंगी एक-एक का जवाब देने का। गत दस वर्षों में हमारी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति कम हुई है। हमारी राष्ट्रीय आय कम हुई है इस बात को डाक्टर अहमद ने भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रीय आय २२ प्रतिशत बढ़ी है। १९५०-५१ से ३३६ करोड़ हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी है। १९५०-५१ में १,६३९ करोड़ थी और १९६०-६१ में १,९६८ करोड़ हो गयी।

दूसरा चार्ज है कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति की आय घटी ग्रामीण आय तो मैं बाद में बताऊंगी। हमारे प्रत्येक व्यक्ति की आय १९५०-५१ में २५९ थी और १९६०-६१ में आकर २६८ हो गयी [९ रुपये बढ़ी] यह दावा हम भी नहीं करते और मुख्य मन्त्री जी भी नहीं करेंगे और कोई भी नहीं करेगा कि बहुत कुछ प्रगति हो गयी, लेकिन श्रीमन्, आय घटी नहीं, बढ़ी। मैं आगे प्रदेशों की आय से कम्पेरीजन करूंगी, तुलना करूंगी।

इसके बाद खाद्यान्न में लीजिये। खाद्यान्न में १९५०-५१ से १९६०-६१ तक २५ लाख टन की वृद्धि हुई। जेड० ए० अहमद साहब ने भी उसको माना। तो क्या वह कृषि की अवनति हुई? उसके बाद गत १० वर्षों में गुड़ और चीनी में ३४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। आलू के अन्दर २४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। तिलहन के अन्दर ६९ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी तरह से, श्रीमन्, बिजली में १४७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। ढाई हजार नगर और गांव में बिजली पहुंची। तो क्या, श्रीमन्, हम पीछे गये? ६ हजार मील सड़कें बनीं १० वर्षों में---६०० मील प्रति वर्ष के हिसाब में तो हम बहुत पिछड़ गये? कच्ची सड़कों का हिसाब नहीं बतलाती,

[कुमारी श्रद्धादेवी]

८८ बड़े-बड़े पुल बने। २,००० नई सरकारी बसें चलीं। ४,००० वर्ग मील वन का क्षेत्रफल बढ़ा। २६ लाख एकड़ सिंचित एरिया बढ़ा यह क्या हम पिछड़े हैं? गत १० वर्षों में छात्रों की संख्या ३४ लाख से ५४ लाख हो गयी, १० हजार नये स्कूल खुले, १७३ डिग्री कालेज खुले, टेक्निकल कालेज खुले, मेडिकल कालेज खुले, कृषि विद्यालय खुले। श्रीमन्, गत १० वर्षों में ही ३ लाख हरिजन छात्रों की संख्या बढ़ कर ८ लाख हो गयी। छात्रवृति पहले ३ लाख दी जाती थी, वह १३२ लाख हो गयी। इसी के साथ-साथ मैं यह कह सकती हूं कि हरिजन-कल्याण और पिछड़ी हुई जातियों पर साढ़े दस करोड़ रुपया खर्च किया गया। मान्यवर, हम बहुत पीछे गये। क्या ठीक है हमारे पिछड़ेपन का।

क्या ये आंकड़े प्रगति के द्योतक नहीं हैं? एक प्रश्न यह भी विचारणीय है कि इन वर्षों में हमारे प्रदेश की जन-संख्या कितनी बढ़ी? वह बढ़ी १ करोड़ ३७ लाख।

श्री नौनिहालसिंह चौधरी (जिला इलाहाबाद)---मेरी नम्र प्रार्थना है कि माननीया सदस्या करीब १, १ १/२ घंटे से खड़ी बोल रही हैं, थक गई होंगी, उन्हें बैठने की अनुमति दी जाय। बैठ कर बोलें।

कुमारी श्रद्धादेवी---मैं यह कह रही थी कि १० वर्षों में जन-संख्या १३७ लाख बढ़ी। अगर सरकार द्वारा ये भागीरथ प्रयत्न नहीं किये गये होते, अगर ये योजनायें नहीं चलाई गयी होतीं, ३३६ करोड़ की राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हुई होती, तो हमारे देश में वही स्थिति होती जैसे रूस में १९२१ में भयंकर अकाल पड़ा था, हिन्सात्मक तरीकों से आर्थिक क्रांति लाने वाले ही रूस में पड़ा था और १९२१ में ही नहीं, श्रीमन्, बल्कि पहली पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष में भी पड़ा था, सन् १९३१ में पड़ा था। अंग्रेजों के जमाने में बंगाल में अकाल पड़ा था। मगर इस सरकार के जमाने में कोई अकाल से नहीं मरा है। बल्कि मैं यह कह सकती हूं कि अगर १० वर्षों में ये भागीरथ प्रयत्न नहीं किये गये होते तो मेरा खयाल है कि हमारे यहां के प्रति व्यक्ति की आमदनी, पर कैपिटा इनकम, १६ रुपये घट जाती तब क्या होती हमारी गुरबत की दशा?

अब मैं दूसरी बात यह कहना चाहती हूं कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि नहीं, ऐसा भी कहा गया। माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि अगर हुई तो मन्दगति रही, क्या उसकी गति मन्द रही? मैं अन्य प्रदेशों के आंकड़े देकर तुलना करना चाहती हूं। फूड ग्रेन्स में आंकड़े होंगे लाखों टन में। आंध्र प्रदेश में १४५५-५६ में उत्पादन हुआ १४५५ लाख प्वाइंट छोड़ दीजिये। १९६०-६१ में ६३ लाख, ८ लाख बढ़ा। आसाम में १७ लाख का १७ लाख रहा, कोई वृद्धि नहीं हुई। बिहार में नेता विरोधी दल ने बिहार की बड़ी बात कही---वहां १९५५-५६ में ५१ लाख और ६०-६१ में ६२ लाख, ११।। लाख टन की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश में ७६ लाख और १९६०-६१ में ९० लाख, १४।। लाख की वृद्धि हुई। मद्रास में ४५ लाख और १९६०-६१ में ५१ लाख, ६।। लाख टन की वृद्धि हुई। पंजाब में---बड़ा शोर मचता है जिस का---वहां ४७ लाख टन और १९६०-६१ में ६० लाख टन, १३ लाख टन की वृद्धि हुई। राजस्थान में ४१ लाख और १९६०-६१ में ५० लाख टन, ९ लाख टन की वृद्धि हुई।

			लाख टन			लाख टन
मैसूर	१९५५-५६	..	३७	१९६०-६१	..	३८
उड़ीसा	१९५५-५६	..	२४	१९६०-६१	..	४०
वेस्ट बंगाल	१९५५-५६	..	४९	१९६०-६१	..	५२
उत्तर प्रदेश	१९५५-५६	..	११६	१९६०-६१	..	१४१

यानी २५ लाख टन की वृद्धि हुई यानी हर प्रदेश से हम आगे रहे।

यह मैंने इसलिये बताया क्योंकि गेंदासिंह जी ने कहा कि हमारा प्रदेश पैदावार में अन्य प्रदेशों से बहुत पिछड़ा हुआ है। अब मान्यवर, शुगर केन (गुड़) में ले लीजिये—

१९५५–५६			लाख व हजार टनों में	१९६०–६१
आंध्र	..	..	५ लाख १७ हजार (५ लाख १७ हजार टन)	६ लाख २७ हजार
आसाम	..	..	.६६ हजार टन	१ लाख टन
बिहार	..	..	२ लाख ९२ हजार टन	६ लाख ८५ हजार
गुजरात	..	..	५ लाख ५२ हजार टन	बहुत ज्यादा घट गया
मध्य प्रदेश	..	..	५ लाख १५ हजार टन	१ लाख ६३ हजार टन
मद्रास	..	..	३ हजार ३३ हजार टन	४ लाख टन
मैसूर	..	..	२ लाख ९० हजार टन	४ लाख १३ हजार
पंजाब	..	..	५ लाख ५६ हजार टन	७ लाख ८० हजार टन
राजस्थान	..	..	.४५ हजार टन	.९० हजार टन
उत्तर प्रदेश	..	..	२९ लाख ४० हजार	३३ लाख टन

श्रीमन्, हम सबसे आगे रहे फिर भी पीछे कहे जाते हैं यह कौन-सा न्याय है ?

इसी प्रकार आयल सीड्स को लीजिये—

१९५५–५६	..	..		१९६०–६१
आंध्र	..	..	११ लाख ८८ हजार	घट गया १० लाख ७९ हजार टन
	..	..		
आसाम	..	..	.५६ हजार टन	.६० हजार टन
			५०–५१	६०–६१
बिहार	..	..	५६ हजार	६० हजार
केरिल	..	..	२० हजार	२० हजार टन
मैसूर	..	..	५ लाख ५४ हजार	७ लाख
उड़ीसा	..	..	६५ हजार	९० हजार टन
मध्य प्रदेश	..	..	४ लाख ५४ हजार	५ लाख ६१ हजार
पंजाब	..	..	१ लाख ४४ हजार	१ लाख ८५ हजार

श्रीमन्, पंजाब का ही बड़ा शोर है जरा देखिये।

राजस्थान	..	..	२ लाख ५२ हजार	२ लाख ७२ हजार
वेस्ट बंगाल	..	..	४९ हजार	४० हजार टन
उत्तर प्रदेश	..	..	७ लाख ६५ हजार	११ लाख ८० हजार

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—श्रीमन्, श्रद्धा जी के पास काफी आंकड़े हैं मैं उनसे यह जानकारी चाहता हूं कि यह जो पैदावार बढ़ी है वह क्या पर-एकड़ बढ़ी है क्योंकि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा था कि पर-एकड़ पैदावार गिरी है।

कुमारी श्रद्धादेवी—मेरा मतलब दोनों से है। यह मैं इसलिये रख रही थी कि उनका पहला तर्क था कि हम पिछड़े हुये हैं, हमारी योजनायें असफल रही हैं, उनका मैंने जवाब दिया। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारी गति मन्द रही। हमारी प्रगति मन्द

[कुमारी श्रद्धादेवी]

क्यों रही ? हमारी प्रगति मन्द रहने की जिम्मेदारी विरोधी दलों पर है जो सिद्धांतविहीन तर्क उपस्थित किया करते हैं।

श्रीमन्, प्रगति तथा पूंजी का सीधा संबंध है पर विरोधी दल के सदस्य अपनी अस्थायी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिये गरीब भोले भाले किसानों की भावना को राजनीतिक फूटबाल बना रहे हैं, उन्हें बहका रहे हैं और जो कि किसी भी प्रकार के यानी हर प्रकार के करों का विरोध करते हैं। हो सकता है कि पहली बार आपकी सलाह पर कुछ ध्यान दिया गया हो, लेकिन गत १० वर्षों में हमारी गति मन्द क्यों रही ? सीधी सी बात है, श्रीमन्, कि हमारी योजना सबसे छोटी थी। हमारी योजना छोटी इसलिये थी कि हमारे पास पूंजी कम थी। पूंजी कम क्यों थी ? सीधी सी बात है कि हमने कर सब प्रदेशों से कम लगाया। तो अब हम तीव्र गति से चलें, इसके लिये आदर्श किसको मानें ? मैं आगे चल कर बतलाऊंगी कि रूस १५ वर्ष में हमारे लिये आदर्श नहीं बन सका प्लान के मामले में और जन-जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की सामग्री देने के बारे में। ऐसी हालत में हम अन्य प्रदेशों को आदर्श मानें तथा जितने भी माननीय सदस्य हैं वे अन्य प्रदेशों से ज्योति लें। यहां कहा गया था कि यहां बाढ़ आयी थी जिससे यहां की हालत बहुत खराब है, इसलिये कर नहीं लगाये जाने चाहिये। शुरू शुरू में जब विधेयक प्रस्तुत हुआ था तो यह कहा गया था। तो क्या अन्य प्रदेश जैसे आसाम, उड़ीसा व और प्रदेशों में बाढ़ नहीं आयी थी ? वहां क्या प्राकृतिक प्रकोप नहीं हुआ था ? वहां भी प्राकृतिक प्रकोप रहे बावजूद इसके उनके प्लान क्यों बड़े बने ? इसलिये कि उन्होंने हमसे ज्यादा साहस किया, वहां के विरोधी दल के सदस्यों ने भी और वहां की सरकार ने भी। मान्यवर, वहां के लोगों पर गत १० वर्षों में एक व्यक्ति के पीछे कितना कर लगा, उसके आंकड़े मैं प्रस्तुत करना चाहती हूं।

सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश को ले लें। उत्तर प्रदेश में गत १० वर्षों में एक आदमी पर कर लगा ७ रु०, जबकि महाराष्ट्र में लगा साढ़े १४ रु०, यानी दुगुना से भी ज्यादा लगा। पंजाब में १२ रु०, बंगाल में १३ रु०, केरल में साढ़े ११ रु०, मैसूर में साढ़े ११ रु०, आसाम में ११ रु०, आंध्र में ११ रु०, गुजरात में १० रु०, राजस्थान में ९ रु० और मध्य प्रदेश में ८ रु० एक आदमी के पीछे कर लगा, जब कि उत्तर प्रदेश में श्रीमन्, ७ रु० ही लगा। इस तरह से किसी ने सवाया लगाया, किसी ने दुगुना लगाया और किसी ने ड्योढ़ा लगाया।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, समय समाप्त हो गया। क्योंकि ५ बजे गये हैं।

एक सदस्य—सदन का समय तो साढ़े ५ बजे तक है।

कुमारी श्रद्धादेवी—तीसरी पंचवर्षीय योजना में कर लगा २.९४ प्रतिशत ....

•

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—श्रीमन्, माननीय नवलकिशोर जी ये सब आंकड़े प्रस्तुत कर चुके हैं।

कुमारी श्रद्धादेवी—ये आंकड़े बिलकुल नहीं दिये हैं। मेरी मरजी है कि मैं जो आंकड़े चाहूं पेश करूं।

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण जारी रखें।

कुमारी श्रद्धादेवी—आपको खासतौर पर सुनना चाहिये क्योंकि डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने आंकड़ों का आधार लिया। हमारे उत्तर प्रदेश में कर एक आदमी पीछे १० रु० लगा, जब कि महाराष्ट्र में लगा १७, पंजाब में १६, बंगाल में १५, केरल में १४, मद्रास में १४, मैसूर में १४, आंध्र में १३, आसाम में १३, गुजरात में १२, राजस्थान में १२ और मध्यप्रदेश में ११। तो हमारी प्रगति की गति मन्द नहीं है, वह तो पंजाब, महाराष्ट्र में

मन्द होनी चाहिये क्योंकि हमने तो केवल ७ ही लगाया । उन्होंने दुगुना । अब आप यह भी देखें कि १० वर्षों में और प्रदेशों ने प्रति व्यक्ति पर कितना व्यय किया और इस दस साल में हमने कितना प्रति व्यक्ति के पीछे व्यय किया। अच्छा होगा कि मैं पहले जन-संख्या भी बता दूं। हमारी जन-संख्या १९६०–६१ में ७ करोड़ ३८ लाख है पंजाब की २ करोड़, बंगाल की ३ करोड़ ४० लाख, केरल की १ करोड़ ६८ लाख। श्रीमन्, अब आप देखें कि उनकी प्लान कितने की थी। हमारी प्लान ३९४ करोड़ों की थी, पंजाब की ३११ करोड़ की और बम्बई की ५७४, मध्य प्रदेश की २३९ करोड़ थी । अब उन्होंने प्रति व्यक्ति पीछे खर्च कितना किया ? यू०पी० ने विकास कार्य पर खर्च किया ५८ रुपया, पंजाब से बड़ी तुलना की जाती है १७५ रुपया यानी ३ गुने से भी ज्यादा। बंगाल ने १०० रुपया, मैसूर ने १०० रुपया प्रति व्यक्ति पीछे खर्च किया, राजस्थान ने ९३ रुपया, आंध्र ने ८५ रुपया केरल ने ८० रुपया, आसाम ने ७७ रुपया और बम्बई ने १०७ रुपया खर्च किया, मध्य प्रदेश, ८३ रु० । हमारी दोनों प्लान ३९४ करोड़ की थीं पर कैपिटा आय कितनी बढ़ी, जरा देखिये। हमारी पर कैपिटा आय ९ रुपया बढ़ी। परकैपिटा आय पंजाब की १९५०–५१ में ३२६ रुपया थी, १९५५–५६ में ३१६ हो गई और अब १९६०–६१ में वह जरूर कुछ बढ़ी होगी उसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। इसी तरह से इन सालों में केरल की २२०,२२८, १९५०–५१ में ५७ और १९६०–६१ में २३८ रही। करीब दुगुना खर्च एक आदमी के पीछे किया । इसी तरह से १९५०–५१ में आसाम में उन्हीं वर्षों में १९५१ में ३२०, १९५६ में २८१ और ३१० रही और १९५०–५१ से भी दस घट गई। मध्य प्रदेश में १९५०–५१ में २१४, १९५५–५६ में १९०, १९५७–५८ में २१८, १९६०–६१ में २४० इस तरह से आय बढ़ गई । श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि यदि हमारे यहां भी उसी तरह से गत १० वर्षों में कर लगाया गया होता यानी दूसरे प्रदेशों की तरह से और जन-संख्या के हिसाब से ही यहां भी प्लानिंग किया गया होता और उत्तर प्रदेश की १ हजार करोड़ की दोनो प्लानें होतीं और तब हमारी राष्ट्रीय आय में ६५० करोड़ की वृद्धि और हुई होती। इस तरह से हमारी पर कैपिटा आय जो ९ रुपये बढ़ी वह ५० रुपये और हो जाती यानी ५९ रुपये १९६०–६१ में होती जो कि प्रत्येक प्रदेश की पर कैपिटा आय से ज्यादा होती जो सब प्रदेशों से आगे होती। हमने भूल की जो कर ज्यादा न लगाये और तीसरी योजना में भी हम अन्य प्रदेशों से जन-संख्या के हिसाब से पीछे हैं । हमारी जन-संख्या के हिसाब से और अन्य प्रदेशों के हिसाब से तीसरी पंचवर्षीय योजना ६६० करोड़ रु० की होनी चाहिये, जबकि यह है ५०२ की, यानी १५८ करोड़ रुपये की कमी है। जब भारत वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति के पीछे तीसरी योजना में ८९ रु० खर्च होगा तब भी हमारे प्रदेश में १ व्यक्ति के पीछे ६७ रु० खर्च होगा, २२ रु० फी व्यक्ति के पीछे अब भी कम होगा और जब कम होगा तो १९६६–६७ में आप लोग फिर कहेंगे पर कैपिटा इनकम अन्य प्रदेशों के मुकाबले पीछे रह गई। आप करों का घनघोर विरोध कर रहे हैं परन्तु तुलना करेंगे अन्य प्रदेशों की राष्ट्रीय और पर कैपिटा इनकम से, कृषि के उत्पादन से और औद्योगिक उत्पादन से भी। यह कैसी बौद्धिक ईमानदारी है, यह कैसा न्याय है ? हम ७ रुपया प्रति व्यक्ति पीछे कर लगायें और ५९ रुपया प्रति व्यक्ति खर्च करें और चाहे हमारी राष्ट्रीय परकैपिटा इनकम अन्य प्रदेशों से ज्यादा हो जाय, कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन बढ़ जाय तो श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि हमारे यहां का जागरुक जन और आज की संतति तथा भावी संतति यह कहेगी अन्य प्रदेशों के मुख्य मंत्री और विरोधी दल के सदस्य बड़े जागरुक थे उन्होंने हिम्मत के साथ कर लगाये और वह लोग अपने प्रदेशों को आगे ले गये, लेकिन हमारे यहां के बच्चे कहेंगे कि ५ वर्ष में अपने स्वार्थ के लिये हमारे प्रतिनिधि हमारे भविष्य को कुंठित कर गये। आपकी पढ़ी-लिखी संतति कोसेगी, बुरा कहेगी कि आपने उनके भविष्य को बुरी तरह से करों का विरोध करके बिगाड़ा। उन्हें गरीब बनाया ।

श्रीमन्, जब विधेयक पेश किया गया था तो नेता विरोधी दल द्वारा कहा गया था कि प्रशासन पर बड़ा भारी खर्चा है। अगर ऐसा है तो जैसा मुख्य मंत्री जी कह चुके और सम्भवतः कहेंगे भी, कमी जरूर होनी चाहिये। परन्तु देखना यह है कि जन-संख्या के हिसाब

[कुमारी श्रद्धादेवी]

से क्या अन्य प्रदेशों के मुकाबले प्रशासन पर हम ही ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हम ही निकम्मे हैं? जरा भी जनता के पैसे का हमको दर्द नहीं? माननीय नेता विरोधी दल और कुंवर श्रीपाल सिंह जी को बड़ा भारी दर्द है। उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी ७ करोड़ ३८ लाख है उसमें १४.६ प्रतिशत प्रशासन पर खर्च है। पंजाब में जिसकी आबादी डेढ़ करोड़ से २ करोड़ हो गई उसमें १८.२ प्रतिशत है। राजस्थान जिसकी आबादी २ करोड़ ३ लाख है उस पर है १९.४। हमारी आबादी जब कि दूनी, तिगुनी और चौगुनी है उस पर खर्च है १४.६। केरल और मैसूर दो प्रदेशों में हमारे प्रदेश से कम है। केरल की आबादी है १ करोड़ ६८ लाख और १२.७ परसेंट प्रशासन पर खर्चा होता है। मैसूर में ११.७ परसेंट प्रशासन पर खर्च होता है।

एक बात नेता, विरोधी दल ने कही कि हमें जो रुपया मिला था हम उसे खर्च नहीं कर पाये हम बड़े अयोग्य थे। सरकार बड़ी अयोग्य थी। क्योंकि वह खर्च नहीं कर पायी। देखना यह है कि हम ही अयोग्य हैं या दूसरे प्रदेश भी अयोग्य हैं जो कि माननीय डाक्टर अहमद, गेंदासिंह और माननीय राजा यादवेंद्रदत्त दुबे की निगाहों में बड़े योग्य हैं। गत १० वर्षों में ६,५६० करोड़ रुपया सेंटर से मिला जिसमें से प्रदेश ने ५,२१० रुपया प्लान पर अन्य प्रदेशों ने खर्च किया है। अब बचा है १,३५० करोड़ रुपया हर प्रदेश से। कारण कुछ भी हो, अयोग्य तो हम ही नहीं हैं, उस श्रेणी में और लोग भी आ गये, लेकिन यह सही है, जैसा कि नवलकिशोर जी ने बतलाया, फारेन एक्सचेंज की कमी के कारण, लोहे, कोयले की कमी के कारण हम इसको खर्च नहीं कर पाये।

माननीय अहमद साहब ने कहा था कि गत वर्षों में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति की ग्रामीण आय घटी है। मेरा कथन है कि यह बढ़ी है। पहले मैं उत्तर प्रदेश के आंकड़े दे दूं। १९५०-५१ में ग्रामीण प्रति व्यक्ति की आय १८८ थी, १९५२-५३ में १९१ हुई, १९५३-५४ में १९०, १९५४-५५ में २००, १९५५-५६ में २००, १९५८-५९ में १९४.९९ हुई। तो १९५८-५९ के साल से ही घटी है। फिर उन्होंने १९५९-६० के आंकड़े दिये थे जो मैंने नोट किये थे १९६० व ६१ के नहीं दिये। १९६०-६१ में २०५.४१ आय हो गयी। सच है हमारी आय बढ़ी फिर भी हमारी आय स्थिर कैसे रही? लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन ग्रामीण जन-संख्या १९५०-५१ में ५ करोड़ ४५ लाख थी जो १९६०-६१ में बढ़ कर ६ करोड़ ४२ लाख हो गयी। यानी १ करोड़ ग्रामीण जन-संख्या बढ़ी। अगर हमारी आय स्थिर रही तो यह १ करोड़ जो जन-संख्या बढ़ी इसका हिसाब लगा कर देख लिया जाय। उसे कहां से खिलाया पिलाया?

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी यहां दफ्तर खोले बैठे हैं। अगर वे ये आंकड़े सुनते तो बड़ा कल्याण होता।

कुमारी श्रद्धादेवी—सन् १९५० से १९६० तक हमारी ग्रामीण आय से १७ प्रतिशत बढ़ी। जो और ग्रामीण आय बढ़ी है वह कोई इसमें शुमार में नहीं आती। आप विरोध करेंगे इसलिये मैं पहले ही उसका जवाब दे दूं। जो आइटम ग्रामीणों की आय में मैं शुमार करने जा रही हूं वह जब रूस में १७ वीं कांफ्रेंस कम्युनिस्टों की हुई थी तो स्टालिन के ऊपर यह चार्ज लगाया गया था कि ग्रामीण आय नहीं बढ़ी। तो उन्होंने तसलीम किया था कि ग्रामीण आय तो नहीं बढ़ी, लेकिन उन्होंने आंकड़े दिये थे, सारे आंकड़े मैं यहां नहीं दे रही हूं कि ३८ प्रतिशत जन-जीवन की अन्य चीजों पर खर्चा किया, इसलिये उन्होंने ग्रामीण आय बढ़ी हुई मानी। तो वह मैं इन आंकड़ों में शामिल नहीं करती लेकिन कहां खर्चा किया उसको मैं थोड़ा कहना चाहती हूं। श्रीमन्, गांव के अन्दर कुछ लोग जमीन के अतिरिक्त उद्योग-धंधों में लगे हैं, कुछ लोग स्कूलों में लगे हैं। स्कूलों की फीस माफ की गयी। लोगों के स्वास्थ्य पर खर्च किया गया, फ्री चिकित्सा हुई। वह तो मैं आगे बताऊंगी कि कितने परसेंट

हमारी अवस्था बड़ी है। स्कूल और अस्पताल की सर्विस में अधिकतर ग्रामीण ही हैं, ग्रामीण ही पंचायतों की सर्विस में सेक्रेटरी बन कर गये, ग्रामीण ही केन सर्विस में गये, ग्रामीण ही विकास खंडों में बी०डी० ओ०, ए०डी०ओ० वगैरह बन कर गये। मैंने अपने यहां के जिलों का हिसाब लगा कर देखा है, उन सर्विसेज में ज्यादातर ग्रामीण लोग हैं। इसी तरह से अगर मैं एक आइटम लेती हूं कि ग्रामीण जो स्कूल सर्विस में गत वर्षों टीचर्स बन कर गये उनकी संख्या है ५० हजार और अगर मैं उनका वेतन ७० रुपये मान लूं तो साढ़े ४ करोड़ रुपये की वृद्धि ग्रामीण आय में हुई जोकि मैं इसमें शामिल नहीं करती। ६० हजार मील लम्बी सड़कें बनीं। कच्ची सड़कों का मेरे पास हिसाब नहीं है। इस ६ हजार को भी ग्रामीण की आय में ही शामिल नहीं करती अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारी ग्रामीण परकैपिटा आय बढ़ी है केवल पंजाब, आसाम को छोड़कर।

१९५०–५१			१९५५–५६		
बंगाल	२३२	रुपया	आंध्र	२०६	रुपया
राजस्थान	२३२	,,	मद्रास	१८२	,,
केरल	२०२	,,	उत्तर प्रदेश	२३२	,,
मध्य प्रदेश	२२५	,,	पंजाब	३३०	,,
मैसूर	१२५	,,	आसाम	३१७	,,
उड़ीसा	१६३	,,	बिहार	२११	,,

श्री बलवानसिंह—यह दलील आपकी हमारे माफिक है।

कुमारी श्रद्धादेवी—जी हां, हम तो आपके माफिक ही बात कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—माननीय बलवानसिंह जी, सुन लीजिये तो भी फायदा होगा।

कुमारी श्रद्धादेवी—मान्यवर, कहा गया कि इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में शहरों पर ज्यादा खर्चा किया जायगा। इस समय शहरों की आबादी ९३ लाख है और १९६६ में जाकर ९६ लाख हो जायगी। श्रीमन्, हमारे प्लान में केवल शहरों पर जो खर्चा किया जा रहा है वह कुल ५५ करोड़ रुपया है। शेष रुपया २१९ करोड़ रुपया ग्रामों पर खर्च किया जायगा। सम्मिलित नगरों और ग्रामों पर २२९ करोड़ रुपया खर्च किया जायगा। गांवों के अन्दर ८५ प्रतिशत लोग रहते हैं तो उनके कल्याण के लिये, ग्रामीण जनता के कल्याण के लिये केवल शहर की ९३ लाख जनता ही कर दे तो यह कहां के न्याय की बात है? गांव के लोग कर न दें यह कौन-सा न्याय है? जब शहरों पर ही केवल कर की बात थी तो उस समय में यात्रीकर के ऊपर बोली थी। मैंने उस समय एक पैसे के कर की बात कही थी तो माननीय मैनेजरसिंह ने उसका घनघोर विरोध किया था। उस समय सभी विरोधी दलों ने उसका भी विरोध किया था। बात समझ में नहीं आती आप करों का हर भांति विरोध करके कैसा प्रदेश चाहते हैं?

श्रीमन्, देहाती जनता ८५ प्रतिशत है और शहर की जनता केवल १५ प्रतिशत है। शहर की जनता को हर चीज मोल लेनी पड़ती है जबकि ग्रामीण जनता को बहुत सी चीज मोल नहीं लेनी पड़तीं, न किराया पड़ता है। सादा जीवन मितव्ययता का है। शहरों में मिट्टी, पानी तक मोल आता है, अनाज, दाल, साग, घी, गुड़, शकर, साबुन मोल लेना पड़ता है, घर का किराया देना पड़ता है, बिजली का खर्चा देना पड़ता है, उस जनता पर तो कर लगाये, लेकिन जो कर देने में समर्थ है जिसको कोई चीज मोल नहीं लेनी पड़ती है, घर का किराया नहीं देना पड़ता है और जीवन की सामग्री मोल नहीं लेनी पड़ती है, उस पर कर न लगायें यह कौन-सा न्याय है?

मान्यवर, हमारे यहां गरीबी बहुत ज्यादा है। हमारे यहां के लोग इतने गरीब और निर्धन हैं कि वे गोबर में से गल्ला निकालकर खाते हैं और उन पर कर लगाया जा रहा है।

[कुमारी श्रद्धादेवी]

यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि हम उन पर कर लगाने जा रहे हैं। हम उन पर तो लगाने नहीं जा रहे हैं बल्कि उनके लिये कर लगाने जा रहे हैं। बेरोजगारों पर कर अनइकोनामिक होल्डिंगस पर हम कर नहीं लगाने जा रहे हैं। हमारे इन दस वर्षों में गरीबी बढ़ी है या घटी है। मेरा कहना यह है कि इन दस वर्षों में हमारे यहां गरीबी कुछ घटी है। माननीय जेड० ए० अहमद साहब ने कहा था और बस्ती से जो सज्जन आते हैं वह जो अभी बोल रहे थे, भानुप्रताप सिंह जी। उन्होंने भी यह कहा।

श्री कल्पनाथसिंह—क्या सदन का समय कुछ बढ़ाया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—जरा शांत रहें। आप टाइम बढ़ाने के लिये कह रहे हैं और नौनिहाल सिंह जी के पैरों में दर्द होता है।

कुमारी श्रद्धादेवी—आज भी यह कहा गया कि गांव के अन्दर गरीब, गरीब हुआ और अमीर, अमीर हुआ है। मेरा पहला कथन तो यह है कि अगर अमीर, अमीर हुआ है तो विरोधी दल के नेता व राजा को कोई दर्द नहीं होना चाहिये, लेकिन मैं कहती हूं कि अमीर, अमीर हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन गांव के अन्दर गरीब कुछ ऊंचा जरूर उठा है, उसकी हालत कुछ सुधरी है। अब मैं साइकिल, स्कूल की बात कहूंगी तो बात लम्बी हो जायगी, लेकिन बलवान सिंह के गांव में आधे से ज्यादा पक्के मकान बन गये हैं। वह तो मानेंगे नहीं, लेकिन आंकड़ों से बताना पड़ेगा। श्रीमन्, हर राज्य में ५० रुपये से जिनकी आमदनी कम है उनकी कितनी संख्या है और उत्तर प्रदेश में कितनी है ? प्लान की बात मैं कह रही हूं, १९५०–५१ से १९५५–५६ तक आंध्र में १०० में से २२ हैं, टैक्स हम से दूना लगा दिया है। बिहार में १९ हैं। ठीक है। केरल में २० हैं। गुजरात में १९ हैं। मध्य प्रदेश में १९ हैं। मद्रास में ३१ हैं। महाराष्ट्र में १९ हैं। उड़ीसा में ३५ हैं। केवल राजस्थान में १६, मैसूर में १४, बंगाल में १४, पंजाब में ७.४ हैं।

श्री अध्यक्ष—आप देर तक बोलेंगी।

कुमारी श्रद्धादेवी—कल भी बोलूंगी, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं कल साढ़े दस बजे तक के लिये।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१५ अक्तूबर, १९६२।

उत्तर प्रदेश संसदीय

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५९ पर]

स्थानीय निकायों की सूची जिनसे सूचना नहीं प्राप्त हुई है

महापालिका

(१) लखनऊ

नगरपालिका

(१) झांसी जिले की नगरपालिकाएं

टाउन एरिया कमेटी

(१) शाहजहांपुर जिले की टाउन एरिया कमेटियां ।
(२) इलाहाबाद जिले की टाउन एरिया कमेटियां ।
(३) झांसी जिले की टाउन एरिया कमेटियां ।
(४) लखनऊ जिले की टाउन एरिया कमेटियां ।

नोटीफाइड एरिया कमेटी

(१) झांसी जिले की नोटीफाइड एरिया कमेटियां ।
(२) लखनऊ जिले की नोटीफाइड एरिया कमेटियां ।
(३) वाराणसी जिले की नोटीफाइड एरिया कमेटियां ।
(४) मिर्जापुर जिले की नोटीफाइड एरिया कमेटी–पिपरी चोपान चुर्क ।

कैन्टूनमेन्ट बोर्ड

(१) मेरठ ।
(२) मथुरा ।
(३) शाहजहांपुर ।
(४) इलाहाबाद ।
(५) लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश संसदीय अध्ययन

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे ८७१ पर]

गाजियाबाद तहसील के कोल डिपो होल्डर्स की सूची

(जिनको जनता के उपयोग के लिये कोयला दिया गया)

क्र०सं०	कोल डिपो होल्डर्स के नाम	एलाटमेंट जनवरी, १९६२ से अगस्त, १९६२ तक (वैगनों में)			
		साफ्ट कोक	हार्ड कोक	स्टीम कोक	योग
१	श्री जोधा राम, गाजियाबाद	८	२	,,	१०
२	श्री योगेन्द्र पाल भागी, गाजियाबाद	८	२	,,	१०
३	मेसर्स वैश्य कोल डिपो, गाजियाबाद	८	२	,,	१०
४	कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसायटी नं० २—गाजियाबाद ..	७	३	,,	१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७३ पर)

MUNICIPAL DEPARTMENT

December 31, 1955

No. 10325-H/XI-A—531-54—In supersession of the regulations published with notification no. 461/XI-368, dated March 13, 1940, as amended from time to time and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 287 of the U. P. Municipalities Act, 1916 (U. P. Act no. II of 1916), the Governor is pleased to make the following regulations regarding retention and retirement of servants of municipal boards, after their previous publication in Notification no. 1846-H/XI-A/531-54, dated September 21, 1954, as required by section 300(1) of the said Act and to order that these regulations shall come in force from the date of their publication in the official Gazette.

REGULATION

1. The age of retirement from service of all servants of municipal boards shall be 55 years; beyond which no person shall ordinarilly be retained in the service of the board :

Provided that the age of retirement of such servants as were—

(*a*) between 45 and 50 years of age on December 31, 1955, shall be 57 1/2 years ; and

(*b*) fifty years of age or over on December 31, 1955 shall be 60 years.

2. Extension in service may, however, be allowed up to the age of 60 years, for special reasons to be recorded by the Board in the relevant resolution therefor, or, where the board is not itself the appointing authority, by the appointing authority in its order :

Provided that no extension shall be allowed—

(i) for any period exceeding one year at a time, and

(ii) unless the servant concerned continues to be physically fit and efficient :

Provided further that in no case shall a person be retained in employment beyond the age of 60 years :

Provided also that in the case of servants of Board on the educational establishment, other than ministerial servants, no extension shall be granted except on the recommendation in writing of the District Inspector of Schools or the District Inspectoress of Girls, Schools, as the case may be.

By order,
J. N UGRA,
Secretary.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
MUNICIPAL (A) DEPARTMENT

No. 996-F/XI-A—877/57

Dated Lucknow, June 25, 1958

NOTIFICATION

IN exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 297 of the U. P. Municipalities Act, 1916 (U. P. Act no. II of 1916), read with section 21 of the U. P. General Clauses Act, 1904 (U. P. Act I of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment to the regulations regarding retention and retirement of Municipal Board employees, published with notification no. 10325-H/XI-A—531-54, dated December 31, 1955, after its previous publication with notification no. 3187-F/XI-A—877-57. dated April 5, 1958, as required by sub-section (1) of section 300 of the former Act, and to order that the said amendment shall come into force with effect from July 1, 1958.

AMENDMENT

Substitute the following *for* regulation 1 :

"1. The age of retirement from service of all servants of Municipal boards shall be 58 years ; beyond which no person shall ordinarily be retained in the service of the board :

Provided that those employees of a Board, who were 50 years of age or above on December 31, 1955 will be allowed to continue in service till they attain the age of sixty years".

By order,
S. D. SANWAL,
Secretary.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८८१ पर)

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६२

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है)

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ को संशोधित करने का

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५९

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) यह अधिनियम, उसकी धारा ५ को छोड़ कर, तुरन्त प्रवृत्त होगा और उक्त धारा ५ ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगी जो राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, तदर्थ निश्चित करे।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५९ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में—

(१) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय—

"(ञञ)" व्यापार अथवा वाणिज्य के व्यवहार में प्रयुक्त का तात्पर्य—

(१) प्रतिफल (consideration) के बदले धन का मूल्य संक्रमित करने या देने के लिए, या

(२) किसी पथकर अथवा शुल्क के संबंध में भुगतान करने के लिए।

किसी ऐसे व्यवहार के लिए, या उसके संबंध में, प्रयुक्त से है जो ऐसा व्यवहार हो, जिसके संबंध में लम्बाई, क्षेत्रफल, आयतन धारण शक्ति या भार की माप में मात्रा का अवधारण किया जाये या उसकी घोषणा की जाये;

और (२) खंड (ठ) में शब्द "लोहे के गज" के स्थान पर शब्द "दंड-तुला" रख दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५९ की धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में—

(क) उपधारा (१) में शब्द "और चांदी सोने तथा रत्नों के लिये कार्यमानकों के विशेष सेट तैयार किये जा सकते हैं" निकाल दिये जायं और

(ख) उपधारा (४) में 'कोलन' के स्थान पर 'पूर्ण विराम' रख दिया जाय और उसका प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५९ की धारा १० का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

अमुद्रांकित व्यापारिक बाटों तथा मापों की बिक्री तथा प्रयोग का निषेध।

"१०—कोई बाट या माप अथवा तोलने या मापने का यंत्र तब तक न बेचा जायगा, न दिया जायगा और न व्यापार या वाणिज्य में प्रयुक्त किया जायगा, जब तक कि वह नियत रीति से परीक्षित

अथवा पुनःपरीक्षित न हो गया हो, तथा उसे निरीक्षक ने नियत रीति से परीक्षण मुद्रा से मुद्रांकित न कर दिया हो।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५९ की धारा, १२ तथा २५ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा १२ तथा २५ से शब्द "व्यापारिक" निकाल दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५९ की धारा २० और ४३ का सशोधन

६—धारा २० के खंड (क) से और धारा ४३ की उपधारा (२) के खंड (ग) से शब्द "व्यापारिक" निकाल दिया जाय।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ उन बाटों और मापों पर लागू होता है जो व्यापार अथवा वाणिज्य के व्यवहारों में प्रयुक्त होते हैं। मूल अधिनियम में पद "व्यापार" अथवा वाणिज्य के व्यवहार में "प्रयुक्त" की परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं की गयी है, और इसका परिणाम यह हुआ है कि अधिनियम के अन्तर्गत व्यवहारों के सम्बन्ध में अस्पष्टता पैदा हो गयी है। अब तक के प्राप्त अनुभव से यह प्रकट हुआ है कि योजना तब तक प्रभावपूर्ण रीति से कार्यान्वित नहीं की जा सकती जब तक कि किन्हीं अन्य बाटों का निर्माण, विक्रय, क्रय तथा उनका परिदान (delivery) भी अधिनियम की परिधि के भीतर नहीं लाया जाता है। योजना के प्रभावपूर्ण कार्यान्वय के निमित्त मूल अधिनियम की कुछ धाराओं में विद्यमान इन न्यूनताओं को दूर करने और कुछ अन्य धाराओं के क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से मूल अधिनियम की धारा २, ३, १०, १२, २०, २५ तथा ४३ को संशोधित करना आवश्यक समझा गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ पुरःस्थापित किया जा रहा है।

जगमोहन सिंह नेगी,
खाद्य मंत्री।

प्रतिनिहित विधायन का ज्ञापन-पत्र

प्रस्तावित संशोधनों से यह अपेक्षा नहीं की जा रही है कि नये विधायन अधिकारों को प्रतिनिहित किया जायगा। संशोधन विधेयक की धारा १० की दशा में भी विधायन अधिकारों के किसी भी नये प्रतिनिधान का प्रस्ताव नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि मूल अधिनियम की उक्त धारा के वाक्य विन्यास को, अस्पष्टता दूर करने के उद्देश्य से, परिवर्तित कर दिया गया है। अतएव विधेयक में विधायिनी शक्ति के प्रतिनिधान के प्रस्ताव सामान्य प्रकार के हैं।

जगमोहन सिंह नेगी,
खाद्य मंत्री।

विवरण-पत्र जिसमें मूल अधिनियम की वे धारायें दी गई हैं जिनका संशोधन किया जाना है

२—प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न होने पर इस अधिनियम में— परिभाषायें

(क) "केन्द्रीय सरकार" का तात्पर्य जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७ की धारा ३ (८) में यथा पारिभाषित सेंट्रल गवर्नमेंट (Central Government) से है; ऐक्ट १०, १८९७

(ख) "व्यापारिक बाट या माप" का तात्पर्य उस बाट अथवा माप से है जो व्यापार अथवा वाणिज्य के किसी व्यवहार में प्रयुक्त मानक बाट अथवा माप समझा जाता हो;

(ग) "नियंत्रक" का तात्पर्य धारा १४ के नियुक्त बाट तथा माप नियंत्रक से है तथा इसके अन्तर्गत उपनियंत्रक अथवा सहायक नियंत्रक भी होंगे;

(घ) "निरीक्षण" का तात्पर्य धारा १४ के अधीन नियुक्त बाट तथा माप के निरीक्षक से है;

(ङ) "मापक यंत्र" का तात्पर्य तौलने के यंत्र से भिन्न किसी भी मापक यंत्र से है तथा लम्बाई, क्षेत्रफल आयतन अथवा धारण शक्ति मापने का कोई भी यंत्र इसके अन्तर्गत है;

(च) "टकसाल" का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार की टकसाल (Mint) से है ;

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(ज) "मानक बाट या माप" का तात्पर्य स्टैन्डर्ड्स आफ वेट्स ऐंड मेजर्स ऐक्ट, १९५६ की धारा १३ की उपधारा (१) में उल्लिखित धन अथवा माप की किसी इकाई से है तथा पूर्वोक्त ऐक्ट की धारा १४ की उपधारा (१) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग के लिये अनुज्ञात कोई भी अन्य बाट तथा माप भी इसके अन्तर्गत हैं; ऐक्ट ८९, १९५६

(झ) "निर्देशक मानक" का तात्पर्य स्टैन्डर्ड्स आफ वेट्स ऐंड मेजर्स ऐक्ट, १९५६ की धारा १५ की उपधारा (२) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिये गये मानक बाटों तथा मापों के सेट (Set) से है ; ऐक्ट ८९, १९५६

(ञ) "मुद्रांकन" का तात्पर्य ऐसी रीति से चिन्ह बनाने से है कि वह यथासाध्य अमिट हो जाय तथा ढलाई, नक्कासी, अम्ल लेखन और छाप लगाना भी इसके अन्तर्गत है;

(ट) बाट या माप अथवा तौलने या मापने के यंत्र के संबंध में प्रयुक्त, व्याकरण-संबंधी परिवर्तनों सहित "परीक्षण" के अन्तर्गत बाट या माप अथवा तौलने या मापने के यंत्र की तुलना, जांच अथवा परीक्षा की प्रक्रिया है तथा पुनः परीक्षण भी इसके अन्तर्गत है;

(ठ) "तौलने का यंत्र" का तात्पर्य तौलने के किसी यंत्र से है, तथा तुला और उसके बाट, तुला दंड, तराजू, स्प्रिंगदार तराजू , लोहे के गज तथा तौलने की अन्य मशीनें भी इसके अन्तर्गत हैं ।

कार्य मानक

३—(१) व्यापारिक बाटों और मापों तथा व्यापार या वाणिज्य के व्यवहारों में प्रयुक्त तौलने या मापने के यंत्रों की शुद्धता के परीक्षण के लिये राज्य सरकार जितने आवश्यक समझे उतने प्रमाणीकृत मानक बाटों तथा मापों के सेट तैयार करा सकती है जिन्हें "कार्यमानक" कहा जायगा और चांदी, सोने तथा रत्नों के लिये कार्यमानकों के विशेष सेट तैयार किये जा सकते हैं।

(२) कार्यमानक ऐसे पदार्थ से तथा ऐसी प्ररचनाओं तथा विशिष्टताओं के अनुसार बनेंगे तथा ऐसे माध्यम द्वारा तैयार किये जायंगे तथा ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा और ऐसी नीति से मुद्रांकित तथा प्रमाणीकृत किये जायेंगे, जो नियत किये जायं।

(३) कार्यमानक, ऐसे स्थानों पर, ऐसी अभिरक्षा में तथा ऐसी रीति से रक्खे जायेंगे, जो नियत किये जायं।

(४) कार्यमानक का द्वितीय मानक से परीक्षण होगा तथा उसे ऐसे व्यक्तियों द्वारा, ऐसे स्थानों पर, ऐसे समयान्तर से तथा ऐसी रीति से चिन्हित किया जायगा, जो नियत किये जायं:

प्रतिबन्ध यह है कि सोने, चांदी तथा रत्नों के लिये विशेष कार्यमानक का परीक्षण निर्देश मानक से किया जायगा।

(५) कोई कार्यमानक जो नियत अवधि के भीतर इस प्रकार परीक्षित तथा चिन्हित न हुआ हो, वैध नहीं माना जायगा और इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त नहीं किया जायगा।

(६) कोई कार्यमानक जो दोषपूर्ण हो गया हो, उस समय तक वैध नहीं माना जायगा और इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त न होगा, जब तक कि वह नियत रीति से परीक्षित तथा चिन्हित न किया गया हो।

* * *

अमुद्रांकित व्यापारिक बांटों तथा मापों की बिक्री तथा प्रयोग का निषेध

१०—कोई बाट अथवा माप अथवा तौलने या मापने का यंत्र तब तक न बेचा जायगा, न दिया जायगा और न व्यापार या वाणिज्य में प्रयुक्त किया जायगा, जब तक कि वह नियत रीति से परीक्षित अथवा पुनःरीक्षित न हो गया हो तथा उसे निरीक्षक ने नियत रीति से परीक्षण मुद्रा से मुद्रांकित न कर दिया हो।

* * *

बिना लाइसेंस के बाट या माप के निर्माण आदि का निषेध

१२—नियत रीति से प्राप्त लाइसेंस के बिना कोई व्यक्ति किसी व्यापारिक बाट या माप अथवा तौलने या मापने के यंत्र का निर्माण अथवा उसकी मरम्मत या उसका विक्रय नहीं करेगा।

* * *

शुल्कों का उद्ग्रहण

२०—राज्य सरकार निम्नलिखित के लिये ऐसे शुल्क ले सकती है जो नियत किये जायं:—

(क) व्यापारिक बाटों तथा मापों और तौलने तथा मापने के यंत्रों के निर्माण, मरम्मत या बिक्री के लिये धारा १२ के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान करना, तथा

(ख) व्यापारिक बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों का परीक्षण, अंकन तथा चिन्हित करना, मुद्रांकन और समायोजन ।

* * *

२५—जो व्यक्ति धारा १२ द्वारा अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त किये बिना कोई व्यापारिक बाट या माप अथवा तौलने या मापने के यंत्र का निर्माण करता है, उसकी मरम्मत करता है अथवा उसे बेचता है वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकता है, अथवा अर्थ दंड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा ।

बिना लाइसेंस के बाटों आदि के निर्माण के लिये शास्ति

* * *

४३—(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

नियम बनाने का अधिकार

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों से निम्नलिखित विषयों में से या किसी के लिये व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) जो तौलने तथा मापने के यंत्र रक्खे जायंगे, उनकी संख्या, रीति जिसके अनुसार उनका परीक्षण, अंकन, चिन्हाकन तथा मुद्रांकन किया जायगा तथा उन्हें रखा जायगा और उनके संबंध में आवश्यक विवरण;

(ख) रीति जिसके अनुसार बाट तथा माप निर्माणकर्त्ताओं द्वारा चिन्हित या अंकित किये जायंगे,

(ग) आकार तथा रीति जिसके अनुसार और शर्तें जिनके अधीन व्यापारिक बाटों तथा मापों और तौलने तथा मापने के यंत्रों के निर्माण, मरम्मत अथवा विक्रय के निमित्त लाइसेंस स्वीकृत किये जायेंगे;

(घ) इस अधिनियम के अधीन निरीक्षकों की सामान्यतया अर्हताएं, कृत्य, तथा कर्त्तव्य;

(ङ) बाटों तथा मापों और तौलने तथा मापने के यंत्रों का परीक्षण और मुद्रांकन तथा वह अवधि जिसके भीतर उनका पुनः परीक्षण किया जायगा;

(च) व्यापार तथा वाणिज्य के व्यापार में प्रयुक्त होने वाले बाटों तथा मापों और तौलने तथा मापने के यंत्रों का निरीक्षण;

(छ) उन बाटों तथा मापों के जो इस अधिनियम द्वारा अनुमत नहीं हैं अभिग्रहण, उन्हें रोक रखना तथा उनका निस्तारण;

(ज) बाटों तथा मापों और तौलने तथा मापने के यंत्रों से संबंधित बहियों, लेखे तथा अभिलेख जो रखे जायंगे तथा रीति जिसके अनुसार वे रखे जायेंगे या प्रस्तुत किये जायेंगे;

(झ) आकार तथा रीति जिसके अनुसार निरीक्षकों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत की जायेंगी तथा अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया;

(ञ) व्यापारिक बाटों तथा मापों और तौलने तथा मापने के यंत्रों का पदार्थ, आकार तथा विशिष्टतायें और उनका निर्माण तथा विक्रय;

(ट) कोई अन्य विषय जो नियत करना हो या जो नियत किया जा सकता हो ।

(३) इस धारा के अधीन कोई नियम बनाते समय राज्य सरकार यह व्यवस्था कर सकती है कि उसका उल्लंघन अर्थ दंड से दंड्य होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है ।

(४) इस धारा के अधीन नियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन रहेगा कि नियम सरकारी गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाये जायं ।

(५) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बन जाने के पश्चात् यथाशक्त शीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे, जो विधान मंडल उस सत्र में करे जिसमें वे इस प्रकार रक्खे जायं ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २०७ एल० ए०—१९६३-८३० । (प्रो०)